खण्ड-311, अंक-1
शुक्रवार, 25 श्रावण, शक संवत् 1896
(16 अगस्त, 1974 ई0)

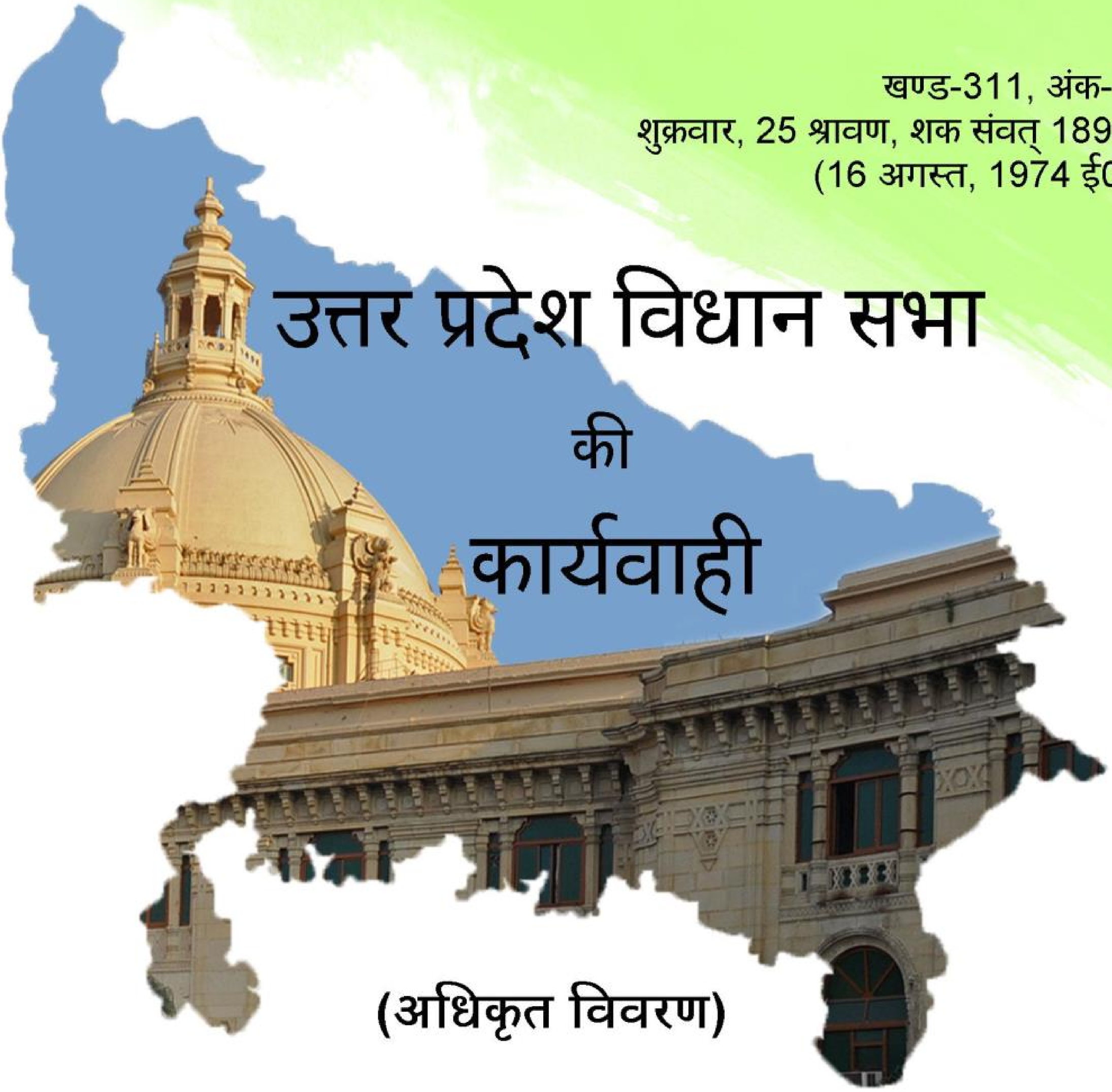

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 311 में 0 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार 16 अगस्त, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--382

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री उर्फ जिमी मियां (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप , श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री

गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डा०
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनारायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अंसारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)

प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, यादव श्री
बलवान सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूपसिंह केन, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिस्त्रयार खां, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद अफरार अहमद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघनाथ सिंह शीशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह, "जूदेव", श्री

रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद, गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम आधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति विन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूपराम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उरवान गोंडा)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विद्याधर, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीकुल रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्री
शन्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री

शिव कुमार पांडेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द, श्री
सच्चिदानन्द वाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट —चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सालिक राम जायसवाल भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार 16 अगस्त, 1974

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

ग्राम भुरपाणी (ताल) व पट्टी घुरदौड़स्यू (गढ़वाल) में भू-स्खलन

*1—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी गढ़वाल)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी-गढ़वाल के भूरपाणी (ताल) ग्राम पट्टी घुरदौड़स्यूं में दिनांक 8, 13 व 17 जून, 1974 को भारी बज्रपात और अत्याधिक वर्षा के कारण भयंकर भू-स्खलन हुआ जिसके कारण उस ग्राम की सारी खती नष्ट

[श्री शिवानन्द नौटियाल]
हो गई तथा गांव का अधिकांश हिस्सा बह गया और गांव वाले पूर्णतया उजाड़ हो गये ? यदि हां, तो ग्रामीण जनता के पुनर्वास एवं उनके जीवन रक्षा हेतु सरकार ने तत्काल क्या कदम उठाये ।

राजस्व मंत्री (स्वामी प्रसाद सिंह)--

गढ़वाल जिले के ग्राम ताल भूरपानो पट्टी धुड़दौड़स्यूं में पहाड़ पर बज्रपात तथा अति वृष्टि दिनांक 8-6-74 को हुई । दिनांक 13 जून तथा 17 जून, 1974 को उक्त ग्राम में बज्रपात व ओलावृष्टि नहीं हुई । 8 जून को हुई अतिवृष्टि से सिंचित तथा असिंचित दोनों प्रकार की कृषि भूमि को क्षति पहुंची, परन्तु न तो कोई जनहानि हुई और न कोई मकान ही क्षतिग्रस्त हुआ । अतः पुनवास का प्रश्न नहीं उठता । प्रभावित व्यक्तियों से तकावी के लिये प्रार्थना-पत्र देनें को कहा गया है । तकावी के लिये इच्छुक व्यक्तियों को नियमानुसार तकावी दी जायगी ।

श्री शिवनन्दन नौटियाल--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह प्रश्न अल्प सूचित तारांकित 26-6-74 को दिया था और आज 16 अगस्त, और मंत्री जी ने कहा है कि 8-6-74 को अतिवृष्टि हुई उससे इस गांव की सिंचित और असिंचित भूमि को नुकसान हुआ है । इसके बाद जो समय बीत गया है उसके बीच में क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने 28 जून के बाद सूचना एकत्रित की है ? मेरी सूचना यह है कि यह गांव लगातार भू-स्खलन की स्थित में है ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो नया सवाल है । इसके बारे में दूसरा प्रश्न होगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है और मुआवजा किस हिसाब से देंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, मुआवजे का तो कोई प्राविधान नहीं है । जो तकावी होती है अगर प्रार्थना-पत्र देंगे तो दी जा सकती है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

श्रीमन्, मैंने यह पूछा था कि हानि कितने प्रतिशत हुई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, इसकी सूचना नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी--

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है कि भूमि स्खलन हुआ, सिंचित और असिंचित भूमि को नुकसान हुआ है, यह मंत्री जी मानते हैं तो यह बताना चाहिये कि कितना नुकसान हुआ है ?

श्री अध्यक्ष--

यह मुख्य पूरक प्रश्न है । इसका उत्तर होना चाहिये ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इसके माने यह हैं कि 50 प्रतिशत से हानि कम हुई है ।

श्री शिवा नन्द नौटियाल—

मान्यवर, मेरी सूचना है कि अधिक वर्षा होने के कारण तथा बिजली गिरने से इस गांव को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और यह भू-स्खलन की स्थित में है तो क्या मंत्री जी मेरी सूचना को आधार मान कर दूसरे स्थान पर इस गांव को बसाने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसको अवश्य देखेंगे ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अवश्य इसको देखेंगे ।

श्री गोविन्द सिह नेगी—

कितना नुकसान हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

50 प्रतिशत से कम हुआ है ।

श्री गोविन्द सिह नेगी —

श्रीमन्, यह किस आधार पर कहते हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, अगर 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान होता तो वहां के जिलाधिकारी जरूर प्राविधान करते ।

श्री अध्यक्ष—

अगर 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान होता है तो रिपोर्ट आती है । इससे नीचे है, यह अनुमान है ।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल) —

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब वह इसकी जांच करायेंगे तो अन्य पर्वतीय जनपदों में भी भू-स्खलन हुआ है इसकी भी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप नियम 51 में लिख कर दें ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जरूर जांच करा लेंगे ।

यमुना कन्स्ट्रक्सन डिवीजन, देहरादून के अन्तर्गत अध्यापित भूमि के प्रतिकर में की गयी बढोत्तरी की जांच

*2—श्री वीरेन्द्र वर्मा, (जिला मुजफ्फरनगर), श्री राज बहादुर चन्द, (जिला बस्ती), श्री राम समुझ तिवारी तथा श्री गोपी नाथकामेश्वर पुरी (जिला बस्ती) —

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने अभी हाल ही में राजस्व परिषद् में किसी बड़े गड़बड़ घोटाले को पकड़ा था जिसमें काफी वरिष्ठ अधिकारियों की भी सांठ-गांठ पायी गई थी ? यदि हां, तो इसमें कितनी धनराशि का गड़बड़ घोटाला पाया गया और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कोई गड़बड़ घोटाला नहीं पकड़ा गया। मैंने राजस्व परिषद् कार्यालय में श्री महाबीर सिंह ग्राम कुंजा की शिकायत कि जो भूमि देहरादून जिले में यमुना कन्स्टक्शन डिवीजन के अन्तर्गत पावर हाऊस तथा कालोनी आदि के निर्माण हेतु अध्याप्ति की गई थी, उसका प्रतिकर पत्रावलियों में बढ़ा दिया गया था, सम्बन्धी पत्रावलियां मांगी थी। ये सभी पत्रावलियां उस समय मुझे उपलब्ध नहीं कराई जा सकी थी। इन पत्रावलियों के उपलब्ध न कराने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को तुरन्त निलम्बित कर दिया गया तथा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। जहां तक पत्रावलियों में प्रतिकर बढ़ाये जाने की शिकायत का प्रश्न है मामले की जांच सर्तकता अधिष्ठान को दे दी गई है।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पत्रावलियां उन्होंने पकड़ी थीं उनमें कितना प्रतिकर प्रस्तावित था ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, सूचना से 30 हजार का भुगतान किया गया था जो नाजायज था।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

किस तिथि में उन्होंने यह पत्रावलियां मांगी थी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, यह तारीख तो शायद प्रश्न के उत्तर में दी हुई है।

श्री अध्यक्ष—

इसमें नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

तारीख नहीं है तो कृपया यह बता दें कि विभागीय क्या कार्यवाही हुई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मामला सर्तकता विभाग को दे दिया गया है और मालूम यह पड़ा है कि पत्रावलियां मिल गयीं हैं और उसकी जांच चल रही है। नीचे के कर्मचारी निलम्बित कर दिये गये हैं और यह देखने के लिए कि किसी बड़े अधिकारी का हाथ है या नहीं है इसलिए जांच हो रही है।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

जब माननीय मंत्री जी के पास इस तरह की शिकायत आयी तो सतर्कता विभाग को देकर मामला लटकाने की क्या आवश्यकता थी ? विभागीय कार्यवाही तत्काल क्यों नहीं की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य का कहना है कि विभागीय कार्यवाही कर सकते थे। सर्तकता विभाग को इस लिए दिया गया कि मालूम हो जाये कि और किस-किस का हाथ इसमें था। सरकार की यह मंशा नहीं थी कि इसको टाला जाये ?

श्री अब्दुल रउफ लारी (जिला गोरखपुर)—

जो गड़बड़ी उनको मिली तो उसमें कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसमें असल फाइल नहीं मिली थी। इसी की जांच हो रही है कि कौन अधिकारी जिम्मेदार है।

श्री उदल (जिला वाराणसी)—

माननीय मंत्री जी ने इसको जांच के लिए दे दिया है या नहीं इसको स्पष्ट कर दें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जांच चल रही है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मंत्री जी ने कहा कि जांच हो रही है। और इसको जांच के लिए दे दिया है तो किन-किन अधिकारियों की शिकायत के आधार पर दिया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, इसलिए दिया गया है कि इस फाइल के गुम होने में किन-किन का हाथ है।

प्राक्कलन समिति की संस्तुति के आधार पर राजस्व परिषद् की समाप्ति की मांग तथा राजस्व परिषद् (न्याय) में लम्बित मुकदमे

*3—श्री वीरेन्द्र वर्मा, श्री राज बहादुर चन्द, श्री राम समुझ तिवारी तथा श्री गोपी नाथ कामेश्वर पुरी—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्राक्कलन समित के प्रतिवेदन के प्रकाश में सरकार राजस्व परिषद् को कब तक समाप्त कर रही है ? क्या मन्त्री महोदय यह भी बतायेंगे कि राजस्व परिषद् पर प्रतिवर्ष कुल कितना धन व्यय होता है तथा राजस्व परिषद् (न्यायिक) द्वारा गत तीन वर्षों में अलग-अलग कितने मुकदमों का निस्तारण किया गया और कितने विचाराधीन हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट अभी शासन के विचाराधीन है।

राजस्व परिषद् पर प्रतिवर्ष लगभग 26.72 लाख रुपये व्यय होता है।

पिछले तीन राजस्व वर्षों में राजस्व परिषद् द्वारा 16132, 16205 तथा 12023 मुकदमों का निस्तारण किया गया। 1, अक्तूबर 1973 को 28175 मुकदमे निस्तारण के लिये शेष थे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा:—

माननीय माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट विधान सभा में 6-4-71 को प्रस्तुत की थी, मान्यवर आपको स्मरण होगा अध्यक्ष महोदय, कि आपकी उपस्थिति में तत्कालीन सरकार के माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी यह कहा था कि सरकार के विचाराधीन है और आज भी यही उत्तर हमको मिला है। तो माननीय माल मंत्री महोदय बताएगें कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर वह विचार कर रहे हैं अथवा कैबिनेट की कोई कमेटी विचार कर रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमान्, जब तक फाइल नहीं होती है तब तक यही कहा जाता है कि विचाराधीन है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, मैंने यह कहा कि कैबिनट की कौन-सी कमटी इस पर विचार कर रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, कैबिनेट की सब-कमेटी इस पर विचार कर रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि विचार सब-कमेटी कर रही है। क्या माननीय मंत्री जी आश्वाशन देंगे कि यह विचार-विमर्श कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

शीघ्रता करने की कोशिश की जायगी।

श्री राज बहादुर चन्द—

क्या सरकार ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है कि राजस्व परिषद् को खत्म करना है कि नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, कैबिनेट की सब-कमेटी ने सिद्धान्त ! स्वीकार कर लिया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में है कि प्राक्कलन समिति ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उस समय 16 वर्ष तक के पुराने केसेज राजस्व परिषद् के सामने विचाराधीन थे ? तो जब मान्यवर, 16 वर्ष तक के केसेज रहेंगे तो जाहिर है कि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा और अब भी 28 हजार केसेज उनके सामने पेंडिंग हैं माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि 28 हजार केसेज राजस्व परिषद् के सामने कितने वर्ष से पेंडिंग हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह तो इसके साथी जो भूतपूर्व राजस्व मंत्री थे उनको ज्यादा इल्म होगा। यह जो 2,800 हैं इसमें सूचना नहीं है कि कितने पुराने हैं। अगर मननीय सदस्य चाहते हैं तो सूचना मंगा देंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि 26-72 लाख रुपया व्यय होता है, तो गालिबन यह राजस्व परिषद् प्रशासनिक और न्यायिक दोनों पर ही व्यय होता है। यह मानते हुए जितने मुकदमें राजस्व परिषद् द्वारा निस्तारित किये गये थे राजस्व परिषद् न्यायिक के हैं कि प्रशासनिक के या दोनों के हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—श्रीमन् इससे जाहिर होता है दोनो के हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, 26 लाख रु० खर्च हो रहा है और 28 हजार केसेज पेंडिंग हैं। तो आखिर कोई व्यवस्था आप कर रहे हैं पेंडिंग केसेज के निस्तारण के लिए ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

व्यवस्था करने का प्रश्न ही विचाराधीन है कि क्यों इतने पुराने केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं।

श्री काशी नाथ मिश्र—

गांवों के किसान तो बोर्ड आफ रेवेन्यू को मुर्दों की जमात कहते हैं और हम लोग उसे सफेद हाथी कहते हैं। तो जबकि इनके यहां पर हजारों न्यायिक (जुडिशियल) मुकदमें पड़े हुए हैं, इसी अपराध में बोर्ड आफ रेवेन्यू को खारिज करने में क्या दिक्कत है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

गांव समाज मल्हपुर, ब्लांक ककवन, (कानपुर) की जमीन के पट्टे में बरती गयी अनियमितता स सम्बन्धित ग्रान प्रधान का प्राथना-पत्र

*1—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 1973 में गांव मल्हपुर, ब्लाक ककवन, जिला कानपुर में गांव समाज की जमीन के पट्टे कुछ ऐसे सीरदार व भूमिधर लोगों को कर दिये गये हैं कि जो किसी भी हालत में जमीन पाने के अधिकारी एवं पात्र नहीं हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और सरकार इस प्रकार के पट्टे करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं ? प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*2—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या यह सही है कि गांव प्रधान मल्हपुर, विकास खंड ककवन, जिला कानपुर ने माह दिसम्बर, 1973 में एक-एक रजिस्टर्ड ए0 डी0 पत्र, जिलाधीश कानपुर व परगनाधीश, बिल्हौर को भेज कर सूचना दी थी कि उनके गांव में सम्बन्धित लेखपाल ने सरकारी नियमों की अवहेलना कर कुछ ऐसे लोगों को गांव समाज की जमीन के पट्टे करा दिये हैं कि जो गांव समाज की जमीन पाने के अधिकारी एवं पात्र नहीं हैं यदि हां, तो गांव प्रधान को इस सूचना पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। जांच के उपरान्त प्रधान की शिकायत सही नहीं पाई गई जिसके कारण उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। पट्टे देने का प्रस्ताव भूमि प्रबन्धक समिति, मल्हपुर के प्रस्ताव दिनांक 28 जून, 1973 द्वारा पारित हुआ था। लेखपाल को समिति में वोट देने का अधिकार नहीं है।

श्री मोती लाल देहलवी—

क्या माननीय राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस गांव में जिन लोगों को पट्टे दिये गये वे सीरदार और भूमिधर हैं या नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, ये 35 पट्टे हैं, इनमें से 2 के पट्टे अनियमित करार दिए गये शेष 33 की लिस्ट ह, अगर आज्ञा हो तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—

लिस्ट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोती लाल देहलवी—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न था कि जिन लोगों को पट्टे दिये गये, वे सीरदार या भूमिधर हैं या नहीं, इसका उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मेरे पास इस प्रकार की सूचना नहीं कि वे किस किस्म के हैं या सीरदार हैं या भूमिधर हैं लेकिन जिन लोगों के पास 5 बीघे से कम भूमि है, उनको ही पट्टे दिये गये हैं ।

श्री मोती लाल देहलवी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस गांव में जो भूमिहीन लोग हैं, वे भूमिहीन हरिजन लोग हैं, वह जमीन उन लोगों को क्यों नहीं दी गयी ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वे लोग जो भूमिहीन हैं, अगर वे पट्टे नहीं लेना चाहते हैं तो इसके लिए माननीय मोती लाल जी प्रेशर डाले, मैं तो नहीं डाल सकता हूं ।

श्री मोती लाल देहलवी—

क्या इसी गांव के किसी भूमिहीन हरिजनों ने पट्टे लेने की कोई दरख्वास्त दी थी ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसकी तो सूचना नहीं है लेकिन प्रधान ने अवश्य शिकायत की थी, हरिजनों की कोई शिकायत नहीं थी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों को पट्टे दिये गये हैं, उनके बाप के नाम तो खेती में पड़े हुए हैं लेकिन लड़कों के नाम खेती नहीं होती, उनको भूमिहीन करार दे दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने अपने उत्तर में बता दिया है कि 5 बीघे जमीन से कम होने वाले लोगों को पट्टे दिये गये हैं इसलिए यह सवाल नहीं उठता ।

श्री ऊदल—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस बात की जांच करायेंगे की वहां के जो भूमिहीन हरिजन हैं उन्होंने भी पट्टों के लिए दरख्वास्त दी, उन्हें नहीं दी गयी और 5 बीघे वालों को जमीन दे दी गयी ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मैं इसके बारे में जांच करवा लूंगा और अगर वे पहले से उम्मीदवार थे तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो दरख्वास्त गांव के प्रधान ने जिलाधीश को और हाकिम-परगना को दी थी वह क्या है, उसको पढ़कर सुना देंगे ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह दरख्वास्त करीब 2 पेज में है, इजाजत हो तो पढ़कर सुना दें ।

श्री अध्यक्ष—

सारांश बता दें चाहे पढ़ दें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सेवा में माननीय परगनाधीश महोदय, बिल्हौर। निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम मल्लरपुर तहसील बिल्हौर का प्रधान है। इस मेरे ग्राम में भूमि प्रबन्धक समिति की वार्षिक बैठक दिनांक 26-6-73 को की गयी जिसमें सदस्यगण एवं मैं भी उपस्थित हुआ। लेखपाल ने कार्यवाही रजिस्टर पर प्रारंभ करवायी। कायवाही पर मेरे तमाम सदस्यों के दस्तखत बनवा लिये, परन्तु कार्यवाही पर कुछ भी नहीं लिखा। कोरे कागज पर लिखते रहे। हम लोगों ने एतराज किया कि सभी कार्यवाही भी रजिस्टर पर लिखी जाय, जिस पर हम लोगों के हस्ताक्षर बनवा लें, परन्तु उन्होंने कार्यवाही रजिस्टर पर फिर भी नहीं लिखा और हम लोगों को जवाब दिया कि आपके प्रस्ताव को कायवाही रजिस्टर पर लिख देंगे। अभी पता नहीं कि क्या लिखना पड़े। इसलिए अभी प्रस्ताव पारित हो जाय तभी कार्यवाही लिखेंगे इस प्रकार उन्होंने वधानिक कार्यवाही नहीं लिखी और जो अलग कागज पर लिखा था उसको और सभी कागजात को अपने साथ लेते चले गये और कहा बिल्हौर में कार्यवाही लिखेंगे। बिल्हौर आ के उन्होंने कार्यवाही रजिस्टर पर अनेक ऐसी बातें लिखीं कि जो मीटिंग में पास नहीं हुई थी। जिसको पट्टा देना स्वीकार किया गया था उसको नहीं दिया तथा हरिजनों को ऐसी भूमि दे दी जो जोतने बोने के लायक नहीं है।

आपने मेरे पास खराब प्रति भिजवा दी है ताकि पढ़ी न जा सके।

श्री अध्यक्ष—

आपके पास भी तो होगी देहलवी साहब ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इस दरख्वास्त पर जिलाधीश के द्वारा जांच करवाई गयी और इसको सही नहीं पाया गया।

श्री अध्यक्ष—

क्या जांच के दौरान में ग्राम प्रधान के बयान लिये गये और अगर लिये गये तो क्या बयान लिये।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ग्राम प्रधान, एक भूतपूर्व गांव प्रधान थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को पट्टे करवा दिये थे। लास्ट में जो दो आदमी बतलाये, उनकी बुराई की वजह से वह दरख्वास्त दी थी और वह काट दिये गये थे। बाकी जो भूमिहीन वहां हैं तो जांच से प्रतीत होता है कि डुग्गी पिटवाई गयी थी और इतने लोग आये थे जिनको पट्टे दिये गये।

श्री मोतीलाल देहलवी—

अध्यक्ष महोदय, न तो हमारी सूचना के अनुसार डुग्गी पिटवाई गयी और न रजिस्टर में कार्यवाही लिखी गयी न प्रस्ताव हुआ। माननीय मंत्री जी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं, जबकि किसी दरख्वास्त की जांच होगी तो दरख्वास्त देने वाले के बयान लेंगे या नहीं लेंगे ? मैं यह पूछ रहा हूं कि गांव प्रधान के बयान जांच में लिये या नहीं अगर लिये गये तो प्रधान ने क्या बयान दिये ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना में गांव प्रधान के बयान तो आयेंगे नहीं। वह तो फाइल में अलग होंगे लेकिन आज तक किसी हरिजन ने दरख्वास्त नहीं दी कि हमको पट्टा नहीं दिया गया।

श्री मोतीलाल देहलवी--

जांच में अमूमन यह नियम है कि दरख्वास्त देने वाले का बयान लिया जाता है और एक लेखपाल की सिफारिश माननीय मंत्री जी द्वारा हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दिया है कि यहां वह नहीं है फाइल में होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि कोई और प्रधान था या वही प्रधान है ?

श्री मोतीलाल देहलवी--

गांव के प्रधान का कहना है कि जांच नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष--

वह भूतपूर्व है या वर्तमान ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मैं पहले गलत कह गया था कि हाकिम परगना ने जांच की। गांव प्रधान का अधवांकित प्रार्थना-पत्र 23-12-73 को प्राप्त हुआ और उसकी जांच क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा करायी गयी। नायब तहसीलदार ने जांच के बाद प्रार्थना-पत्र दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया। प्रधान के प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि अवलोकनार्थ संलग्न है। मैं तो कहता हूं कि माननीय सदस्य दरख्वास्त दें कि अन्याय हुआ है तो मैं दोबारा जांच करवा लूंगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि जांच हो गयी और जांच करने वाले हैं नायब तहसीलदार और दो पट्टे गलत हो गये। इन तमाम चीजों को देखते हुये संदेहास्पद मामला लगता है। तो क्या माननीय मंत्री जी दोबारा जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

वैसे तो जांच करने के लिये तहसीलदार और नायब तहसीलदार काफी नेगी साहब बता दें कि किस से जांच करायी जाय। मैंने पहले ही देहलवी था कि वह दरख्वास्त दें मैं दोबारा जांच करवा लूंगा।

जिला मेरठ के हरिजनों को आवास हेतु आवंटित भूमि पर कब्जा

*3--श्री भूप सिंह केन तथा श्री राज पाल (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला मेरठ के कितने ग्रामों में हरिजनों को आवास के लिये कितनी-कितनी भूमि दी गई है और यदि दी गई है तो क्या उस पर उनको कब्जे दिलाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जिला मेरठ के 1,120 गांवों में 28,086 जरूरतमन्द परिवारों को 491,60 हैक्टेयर भूमि आवास स्थल हेतु आवंटित की गई जिसमें से 912 गांवों में 19491 परिवारों को 319.02 हैक्टेयर भूमि का कब्जा दिया जा चुका है। शेष परिवारों को कब्जा न दिये जा सकने के विभिन्न कारण हैं, जैसे दीवानी न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश, चकबन्दी क्रियाओं के समाप्त होने की प्रतीक्षा, भूमि का विवादित हो जाना तथा कहीं-कहीं आवंटियों द्वारा भूमि पर कब्जा लेने से इन्कार कर देना।

श्री राज पाल—

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि किन किन प्रार्थियों ने भूमि पर कब्जा नहीं लिया और क्यों नहीं लिया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह तो माननीय सदस्य बतलायें कि किस कारण नहीं लिया। वैसे तो यही मालूम होता है कि उनको भूमि की जरूरत नहीं होगी खेत के लिये। जो पट्टा हुआ है, हो सकता है कि उसमें खराब जमीन हो।

श्री राज पाल—

क्या वह भूमि आवास के योग्य नहीं थी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

हो सकता है कि ऊंची नीची जमीन ही इसलिये नहीं लिया हो। आवास ही का प्रश्न था वह में खेती के लिये गलत कह गया। यह भी हो सकता है कि उनके पास साधन न हों आवास बनाने के, इसलिये न लिया हो। तो जमीन न लेने के तो कई कारण हो सकते हैं।

श्री राज पाल—

किन-किन लोगों ने पट्टे नहीं लिये ?

श्री अध्यक्ष—

किन-किन लोगों ने नहीं लिये इस का वह नवाब दे दें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, कागज में तो जमीन ट्रान्सफर हो गयी है पर मौके पर कब्जा नहीं दिलाया गया है, तो क्या मंत्री जी कब्जा दिलाने के आदेश देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिन्होंने कब्जा नहीं लिया है या जिनको नहीं मिला है उसके कई कारण हैं अब जिसे नहीं मिला है उसकी दरख्वास्त मेरे पास माननीय सदस्य भेज दें, मैं देख लूंगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जो जमीन दीवानी के मुकदमों में इन्वाल्व नहीं है, क्या उस जमीन पर कब्जा दिलायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कुछ तो स्टे दीवानी अदालत से हुआ है, कुछ चकबन्दी के कारण हुआ है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने स्वयं इनकार कर दिया है।

श्री राज पाल—

जो रिपोर्ट माननीय मंत्री जी को मिली है वह गलत है, क्या मंत्री जी इसकी पुनः रिपोर्ट मंगवायेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जब तक आप लिखित प्रार्थना-पत्र कोई नहीं देंगे, यह सम्भव नहीं होगा।

देवरिया जनपद में अल्प संख्यकों और हरिजनों को आवास हेतु आवंटित भूमि

*4 —श्री हरि केवल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद की सलेमपुर, देवरिया, हाटा एवं पडरौना तहसीलों में 15 अगस्त, 1973 से मई, 1974 तक कितने हरिजनों, अल्प संख्यकों एवं अन्य वर्ग के लोगों को बसने के लिये भूमि आवंटित की गई है, उस पर वे लोग काबिज हो गये हैं ? यदि नहीं, तो अभी तक कितने लोगों को कब्जा पाना शेष रह गया है और उनको कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला देवरिया के तहसील देवरिया, सलेमपुर, हाटा एवं पडरौना में 15 अगस्त, 1973 से मई, 1974 तक 32, 848 हरिजनों, अल्पसंख्यकों आदि को बसने के लिए 636-735 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गयी है। उक्त आवंटित भूमि पर सभी व्यक्तियों का कब्जा हो गया है। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

ग्राम पनेरगांव (अल्मोड़ा)भूमि पर अवैध कब्जा

*5—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित) --

विधान सभा की बैठक दिनांक 25 मार्च, 1971 को तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतावेंगे कि सरकार द्वारा जिन नाजायज कब्जेदारों को दिनांक 27 दिसम्बर, 1970 में बेदखल कर दिये जाने की सूचना सदन में दी गई थी, क्या तब से यह भूमि खाली है ? यदि नहीं है, तो फिर किस व्यक्ति ने यह भूमि ले ली है और आज के दिन तक उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जिला अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत पट्टि पल्ला अठ्ठागुली व चौक आलिया की लगभग 38 नाली बंजर बेनाम भूमि से सात नाजायज कब्जादारों को दिनांक 27 दिसम्बर, 1970 को बेदखल कर दिये जाने की सूचना दिनांक 25-3-71 को सदन में दी गई थी। तब से यह भूमि खाली है एवं किसी व्यक्ति के अधिकार में नहीं है। प्रश्न का अगला भाग नहीं उठता है।

तहसील कन्नौज (फर्रुखाबाद) में पाले से रबी की फसल को क्षति

*6—श्री श्याम लाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कन्नौज तहसील, जिला फर्रुखाबाद में पाले के भीषण प्रकोप के कारण रबी की समस्त फसल 75 प्रतिशत से अधिक नष्ट होने पर भी आज तक वहां की सरकारी वसूली स्थगित नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

फर्रुखाबाद जिला की तहसील कन्नौज में अरहर को छोड़कर रबी की अन्य फसलों की प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार 60 से 75 प्रतिशत हानि असिंचित क्षेत्र में तथा 25 से 50 प्रतिशत हानि सिंचित क्षेत्र में हुई। अरहर की फसल को सिंचित क्षेत्र में 60 प्रतिशत तथा असिंचित क्षेत्र में 80 प्रतिशत की क्षति का अनुमान है।

रबी की फसलों को पहुंची क्षति को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा समस्त राजकीय देयों की वसूली तीन माह के लिए स्थगित कर दी गई थी जो इस समय भी स्थगित है। रबी की फसल में 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षतिग्रस्त खातों की मालगुजारी आदि में छूट नियमानुसार स्वीकृत की जायेगी।

श्री झाम लाल अहेरवार—

क्या मंत्री जी उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करगे जो स्थगन आदेश के बावजूद भी जबरन वसूली कर रहें हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिनका नुकसान हुआ हैं उनकी वसूली स्थगित है, माननीय सदस्य को इत्तला नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय सदस्य का कहना है कि वसूली आदेश के बावजूद जबरन वसूली हो रही है। तो क्या मंत्री जी ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जो आपके आदेशों के विरुद्ध वसूली कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर आ चुका है ।

ग्राम ककरऊ तहसील फिरोजाबाद (आगरा) में अनुसूचित जाति एवं भूमिहीनों को आवास हेतु भूमि का आवंटन

*7—श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा ककरऊ, तहसील फिरोजाबाद, जिला आगरा में भूमि प्रबन्धक समिति ने दिनांक 9 जुलाई, 1973 को जाटवों, अनुसूचित जाति एवं कुछ भूमिहीनों को मकान बनाने हेतु प्लाटों का आवंटन किया था ? यदि हां, तो क्या उसकी स्वीकृति सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रदान कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला आगरा की तहसील फिरोजाबाद के गांव ककरऊ की भूमि प्रबन्धक समिति ने 1 जुलाई, 1973 को 57 व्यक्तियों को आवास स्थल आवंटन का प्रस्ताव पारित किया था, परन्तु परगनाधिकारी ने केवल 37 व्यक्तियों के आवास स्थल आवंटन को अनुमोदित किया। शेष 20 व्यक्ति आवंटन के नियमानुसार पात्र नहीं पाये गये।

श्री राम प्रकाश यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन आवास स्थलों का आवंटन किया गया वह किस तिथि को किया गया और क्या यह सही है कि मेरे प्रश्न के बाद उन आवास स्थलों का आवंटन किया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, माननीय सदस्य की मंशा आवंटन से थी, इस बात की सूचना नहीं है कि किस तारीख को आवंटन किया गया।

श्री राम प्रकाश यादव—

मैं उन्हें बतला देना चाहता हूं कि आवास स्थलों का आवंटन 12.7.74 को हुआ जब कि मेरा प्रश्न 18.6.74 को हो चुका था ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आपकी बात सही होगी।

श्री राम प्रकाश यादव--

फिर एक साल उनके अनुमोदन के लिये क्यों लगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इसके कारण की यहां सूचना नहीं है। यह हो सकता है कि आपके प्रश्न के बाद उनका आवंटन किया गया हो।

श्री राम प्रकाश यादव--

जिन 20 व्यक्तियों के लिये अनुमोदन नहीं किया गया है, उसका क्या कारण है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जिन 20 व्यक्तियों को आवंटन नहीं स्वीकार किया गया, उनमें एक तो मुसलमान दो नाई, और 17 अहीर थे। इन 20 व्यक्तियों में न तो कोई भूमिहीन था और न अनुसूचित जाति का था इसलिए उनको नहीं दिये गये। इन 20 व्यक्तियों की सूची† संलग्न है।

ब्लाक राजेपुर फर्रुखाबाद के लिए बाढ़ सहायतार्थ मोटर बोट की मांग

*8--श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को यह जनकारी है कि फर्रुखाबाद जनपद का राजेपुर ब्लाक जो गंगा व रामगंगा के बीच स्थित है लगभग प्रति वर्ष बाढ़ का शिकार होता है तथा जिला प्रशासन के पास एक भी मोटर बोट उपलब्ध न होने के कारण राहत कार्य अत्यधिक कठिन हो जाता है। यदि हां तो क्या सरकार जनपद प्रशासन को कम से कम एक मोटर बोट इस वर्ष सम्भावित बाढ़ से पूर्व उपलब्ध करायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जिला फर्रुखाबाद का राजेपुर ब्लाक जो गंगा व रामगंगा के बीच स्थिति है बाढ़ से प्रभावित होता रहा है। जिला फर्रुखाबाद में बाढ़ सहायता कार्य के लिये एक मोटर बोट उपलब्ध कराने का निर्णय बहुत पहले ही लिया जा चुका है तथा उसके क्रय करने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लैंगहार्न कम्पनी, कलकत्ता को आर्डर भी दिया जा चुका है। इस कम्पनी से प्राप्त होने पर एक मोटर बोट जिला फर्रुखाबाद को दी जायगी।

शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त, 1974 के लिये निर्धारित

तारांकित प्रश्न

*1--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

*2-3--श्री उमानाथ, श्री ओम प्रकाश सिंह तथा डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

(6 अगस्त, 1974 को तारांकित प्रश्न संख्या 44-45 के अन्तर्गत उत्तरित)

---

†सूची प्राप्त नहीं हुई।

कटियारी परगना के (हरदोई) के ग्रामों का कुंडा नदी की बाढ़ से कटाव

*4—श्री शारदा भक्त सिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि हरदोई जनपद में वित्तीय वर्ष 1973–74 में कटियारी परगना के ग्राम सुर्जआपुर पुरारतन, बेड़ीजोर तथा अरवल आदि कुन्डा नदी की बाढ़ से कट कर ध्वस्त हो गये ? यदि हां, तो क्या उन ग्रामों को पुनः बसाने के लिये भूमि व आर्थिक सहायता देने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला हरदोई के ग्राम पुरारतन की पूरी आबादी वर्ष 1971 में ही कट गई थी । वर्ष 1973 में ग्राम सुर्जनापुर, बेडीजोर और अरवल आदि की आबादी कुन्डा नदी के बाढ़ से केवल अंशतः कट गई । सभी लोग निजी स्वामित्व की भूमि पर रह रहे हैं । इन गांवों के निवासी गांव छोड़ कर किसी दूसरे स्थान पर बसने के लिये तैयार नहीं हैं । प्रभावित लोगों को तात्कालिक अहेतुक सहायता और गृह प्रनुदान के रूप में क्रमशः 7,510 रुपया और 3,715 रुपया वितरित किया गया ।

मोहम्मदाबाद गोहना तहसील (आजमगढ़) में बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ वितरित अनुदान

*5—श्री शिवप्रसाद (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1974 में बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ आजमगढ़ जनपद के मुहम्मदाबाद गोहना तहसील में किन-किन व्यक्तियों को कितनी सहायता किस आधार पर बांटी गई है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला आजमगढ़ की मुहम्मदाबाद गोहना तहसील में मार्च, 1974 में बाढ़ अतिवृष्टि एवं जलप्लावन से प्रभावित 137 ग्रामों के 550 ऐसे परिवारों को जिनके कच्चे मकानों को 50% से अधिक क्षति पहुंची थी, मकान की मरम्मत हेतु, प्रति परिवार 100 रुपया के हिसाब से कुल 55,000– रुपये गृह अनुदान के रूप में वितरित किया गया ।

महुली जंगल (इलाहाबाद) के तेन्दू पत्ते की नीलामी

*6—श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद) श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, (जिला इलाहाबाद) श्री शतरुद्र प्रकाश, (जिला वाराणसी) श्री सत्य प्रकाश मालवीय, (जिला इलाहाबाद) तथा श्री राम रति बिन्द (जिला वाराणसी)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद महुली जंगल में तेंदू पत्ते के टेन्डर 1974 में ऊंचे भाव के रेट को रद्द करके कम रेट मानिक ब्रोरा पर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

जनपद इलाहाबाद के महुली जंगल के तेन्दू पत्तों की बिक्री के लिये सर्व प्रथम 2 मार्च 1974 को टेन्डर खोले गये । इसमें सबसे ऊंचा टेन्डर इसलिए अस्वीकृत करना पड़ा क्योंकि वह निविदा शर्तों के अनुकूल नहीं था तदुपरान्त उस इकाई को नीलाम द्वारा सबसे ऊंची बोली देने वाले को दिनांक 15 अप्रैल, 1974 को बेचा गया ।

श्री हर प्रताप सिंह--

जो टेंडर लिया जाता है, पहले सिक्योरटी जमा होती है तब टेन्डर पड़ता है। ऐसा नहीं है जैसा कि इसमें लिखा है कि निविदा की शर्तों के अनुसार था। टेंडर जब दिया जाता है तो पहले रुपया जमा हो जाता है। यह भी बतलावें कि कई बार टेंडर पड़े और किस-किस हिसाब से टेंडर पड़े।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

दो बार टेंडर पड़े हैं। अर्नेस्ट मनी पूरा नहीं दाखिल हो सका इसलिए टेंडर कैंसिल करने पड़े।

श्री हर प्रताप सिंह--

जब तीसरी बार नीलामी हुई तब किस-किस रेट पर टेंडर पड़ा था और सबसे ऊंचा टेंडर क्या था ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

सबसे ऊंचा टेन्डर 115 रुपये का था।

श्री हर प्रताप सिंह--

और नीलाम किस रेट में किया गया है।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

नीलाम हुआ है 88 रुपये 25 पैसे के रेट से।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

सबसे ऊंचा टेन्डर इसलिए नहीं स्वीकार किया गया कि वह निविदा की शर्तों के अनुसार नहीं था, जैसा कि कहा गया है, अकेला टेंडर था और जो टेंडर नियमों के अनुसार आया था उनको क्यों नहीं स्वीकार किया गया।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मान्यवर, नियमित टेंडर कोई था ही नहीं। किसी ने भी सिक्योरिटी का रुपया नहीं जमा किया था।

श्री हर प्रताप सिंह--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा जो यह जंगल नीलाम किया गया था और जिन महोदय ने लिया था क्या उन्हीं को देने के लिये बार-बार टेंडर कैंसिल किये जाते थे। और क्या उन्होंने डराकर-धमकाकर दूसरों को ठेका नहीं लेने दिया और जो 115 रुपये वाला टेंडर था रद्द करवा दिया, क्या यह बातें सत्य हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मान्यवर, इसकी सूचना मेरे पास कोई नहीं है।

श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि सबसे ऊंचा टेंडर 115 रुपये वाला था और जो 88 रुपये वाला था उसको दिया गया। तो वह कौन से नियम हैं, जो ऊंची कीमत वाले टेंडर को नीलामी नहीं दी गयी और कम वाले को दी गई ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया अरनेस्ट मनी जमा नहीं की गयी थी।

श्री जंग बहादुर वर्मा--

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो 88 रुपये वाला टेंडर था, उसी व्यक्ति को कितने सालों से बराबर नीलामी में दिया जा रहा है?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैंने कहा है कि अलग-अलग कीमत के टेंडर पहले दिये गये थे, चूंकि अरनेस्ट मनी जमा नहीं की गयी थी इसलिये वह कैंसिल करने पड़े थे।

श्री जंग बहादुर वर्मा--

मान्यवर, मेरा मतलब यह है कि इस संबंधित व्यक्ति को कितने सालों से नीलामी दी जा रही है, कितने सालों से यह नीलामी ले रहा है?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

श्रीमन्, यह सब पुराने ठेकेदार हैं। मुझे नहीं मालूम है कि कितने सालों से दिया जा रहा है।

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, जो यह ठेकेदार हैं इनका नाम क्या है?

श्री अध्यक्ष--

नाम आप बाद में पूछ लीजियेगा।

*7-8--श्री बृजपाल सिंह यादव--

[13 अगस्त, 1974 को प्रश्न संख्या 18-19 के अन्तर्गत उत्तरित]

*9--श्री शिवचरन लाल--

[13 अगस्त, 1974 को प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत उत्तरित।]

ग्राम मंगरावा (आजमगढ़) में अग्निकाण्ड

*10--श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़) तथा अबुल फैज शाह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 30 अप्रैल, 1974 को ग्राम मंगरावा, जिला आजमगढ़ में खलिहान में आग लगने के कारण कितना नुकसान हुआ और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया और कितनी सहायता प्रदान की?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

ग्राम मंगरावा में दिनांक 30-4-74 को कोई अग्निकांड नहीं हुआ। 20-4-74 को मंगरावा रामपुर ग्राम में अग्नि दुर्घटना हुई थी जिसके फलस्वरूप 15 कृषकों के खलिहान तथा 3 व्यक्तियों के 10 पेड़ जल गये। कुल 33,296 रुपये की अनुमानित हानि हुई।

उक्त 18 प्रभावित व्यक्तियों को कुल 1,540 रुपया अनुदान के रूप में तत्काल सहायता हेतु वितरित किया गया।

*11—श्री जंग बहादुर वर्मा—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

*12—श्री नन्हे लाल—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

रेवेन्यू आफिसर के पदों की समाप्ति

*13—श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में रेवेन्यू अफसरों के तीस पदों का कब सृजन किया गया था और 31 मार्च, 1974 से इन्हें समाप्त करने का ऐसा क्या कारण है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

शासनादेश दिनांक 2 अगस्त, 1973 द्वारा रेवेन्यू आफिसर के 48 पद सृजित किये गये थे। यह पद उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के कार्यान्वयन में परगनाधिकारियों की सहायता के लिये थे। 1, अप्रैल, 1974 से नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू हो जाने के कारण परगनाधिकारियों के पास कार्य कम हो गया। अतः रेवेन्यू आफिसर के पद समाप्त कर दिये गये।

माल विभाग (बलिया) में राजपत्रित व अराजपत्रित हरिजन कर्मचारी

*14—श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के माल विभाग में राजपत्रित व अराजपत्रित पदों पर कितने अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त हैं और उनके प्रत्येक वर्ग में कितने-कितने हरिजन हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ट 121 पर)

श्री अध्यक्ष—

जवाब में कहना चाहिये कि, 'जवाब में संलग्न है'। यह कहना कि सदन की मेज पर सूचना रखी है, उचित नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वांछित सूचना संलग्न है।

श्री रघुनाथ—

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि अराजपत्रित और राजपत्रित कर्मचारियों की जो नियुक्ति हुयी है वह 18 परसेंट के हिसाब से पूरी नहीं है। तो क्या रोजगार दफ्तर से जांच करके इन पदों को पूरा करने की कोशिश करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, अराजपत्रित और राजपत्रित हरिजन कर्मचारी जिनका परसेंटेज अभी पूरा नहीं है, उसको पूरा करने के लिए जैसे-जैसे जगहें खाली होती जाती हैं वैसे वैसे परसेंटेज पूरा करने के लिए हरिजन लिये जाते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो तालिका दी है उसमें 181 लिपिकों में केवल 7 अनुसूचित जाति के लिपिक हैं । क्या मंत्री महोदय इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि आगे जो भी भर्तियां हों उनके अंदर हरिजन तब तक लिये जायें जब तक कि 18 परसेंट पूरा न हो जाय ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, यही पालिसी है ।

राज्य स्तरीय खेलकूद संघों को आवंटित धनराशि

*15—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या खेलकद मन्त्री बताने की कृपा करेगें कि विभिन्न राज्य स्तरीय खेलकूद संघों को वर्ष 1973–74 में कुल कितने रुपये का अनुदान देने का प्राविधान था उसमें से किस-किस संघ को कितना धन आवंटित किया गया तथा इस आवंटन का आधार क्या था ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

विभिन्न राज्य स्तरीय खेलकूद संघों को वर्ष 1973–74 में कुल रु0 40,000 का अनुदान देने का प्राविधान था, उसमें से निम्न राज्य स्तरीय खेलकूद संघों को निम्नानुसार धन आवंटित किया गया :—

	रु0
1—प्रदेशीय राइफिल संघ	5,000.00
2—प्रदेशीय बैडमिंटन संघ	13,500.00
3—प्रदेशीय जिम्नास्टिक संघ	850.00
4—प्रदेशीय टेबुल टेनिस संघ	3,000.00
5—प्रदेशीय वालीबाल संघ इलाहाबाद	1,000.00
6—प्रदेशीय बालीबाल संघ, लखनऊ	950.00
7—प्रदेशीय स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड	7,500.00
8—प्रदेशीय महिला हाकी संघ	3,0000.00
9—प्रदेशीय लान टेनिस संघ	5,000—.00

इन प्रदेशीय संघों को उनके क्रिया कलाप तथा आय-व्यय को ध्यान में रखकर अनुदान स्वीकृत किया गया। राज्य स्तरीय संघों को अनुदान का पात्र होने के लिये यह आवश्यक है कि उनके द्वारा पर्व अनुदानों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा आय व्यय लेखा दिया जाये तथा उनके द्वारा वर्ष में प्रदेशीय प्रतियोगिता कराई गई हो ।

श्री मोहनलाल कपूर—

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय जी बताने की कृपा करेंगे कि आपने केवल 9 संघों को यह अनुदान दिया है । उसके अतिरिक्त मान्यता प्राप्त राज्य स्तर पर कितने संघ हैं और उनको आपने क्यों मदद नहीं दी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मान्यवर, इसके दो कारण हैं—एक तो वह संघ हैं जिन्होंने अपना लेखा-जोखा नहीं भेजा है और दूसरे वह संघ हैं जो खेलकद की प्रतियोगिता नहीं कराते है, इसलिए अनुदान उनको नहीं दिया गया है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर से संबंधित, मान्यवर मंत्री जी ने जो 40 हजार रु0 का अनुदान दिया है उसमें हाकी, वालीवाल तथा रेस्टलिंग आदि नहीं हैं जबकि उनके लिये एसोशियेशन हैं और विदेशों में भी उनके प्रतिनिधि जाते हैं तो किन कारणों से इन एसोसियेशन को जिनके नाम बताये हैं कोई अनुदान नहीं दिया गया है ? दूसरे मान्यवर, इलाहाबाद और लखनऊ के जो वालीबाल एशोसियेशन हैं उनको 1,000 रु0 और 950 रु0 अनुदान दिया गया है तो बकाया प्रदेश के और जिलों में इस प्रकार क्यों अनुदान नहीं दिया गया है।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मान्यवार, पहला प्रश्न था वह हाकी के लिये पूछा गया था। इसलिये वह देखें तो प्रदेशीय स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड उसके अन्तर्गत है जिसको 7,500 रु0 का अनुदान दिया गया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, वालीवाल तथा रेस्टलिंग और जिसमें हाकी भी है तो दूसरे खेलों को अनुदान क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मान्यवर जो एसोसियेशन अलग-अलग नाम से हैं जैसे हाकी व दूसरे तो वे सेन्ट्रल स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अन्तर्गत आ जाते हैं। इसलिये उनको 7,500 रु0 दिया गया है।

श्री ऊदल—

श्रीमन् इस बात को देखते हुये कि खेलकूद का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है, जो विदेशों में टीमें जाती हैं उनका भी स्तर ऊंचा रहा है तो खेलकूद का और स्तर ऊंचा हो इसके बारे में क्या मंत्री महोदय के विचाराधीन कोई योजना है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मान्यवर, बहुत से ऐसे कार्य किये जा रहे हैं जिससे कि खेल-कूद का स्तर ऊंचा हो।

श्री काशी नाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा कि अनदान विभिन्न संस्थाओं को देते हैं। तो जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर खेल-कूद की परिषद् है उसी तरह से राज्य स्तर पर आप कोई एशोसियेशन या परिषद क्यों नहीं बनाते हैं ? और उसी के माध्यम से खेल-कूद की संस्थाओं को अनुदान दिया जाय और राज्य स्तर पर जो संस्था बने वह ट्रेनिंग या प्रशिक्षण भी देवे।

श्री अध्यक्ष—

आपका कोई सुझाव है ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, मेरा कहना है कि राज्य स्तर पर परिषद् बने तो उसमें आपको क्या दिक्कत है।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मान्यवर बोर्ड डाइरेक्टरेट बन गया है।

श्री मोहन लाल कपूर—

मान्यवर, जो अनुदान दिये जा रहे हैं वह मन मरजी से दिये जा रहे हैं। जो लोग एप्रोच कर लेते हैं उनको सहायता मिल जाती है। मान्यवर, 30 संघ मान्यता प्राप्त हैं

और जिनमे विशेष संघ हैं कबड्डी, कुश्ती और हाकी जिसमें लड़के और लड़कियां भी खेलने जाती हैं। एक टीम वेस्ट बंगाल में खेलने गई और जूनियर बालकों की कबड्डी की टीम पिछले साल वेस्ट बंगाल खेलने गई थी और 10—12 हजार रुपया भी खर्च हुआ था तो ऐसे मान्यता प्राप्त संघों को क्यों नहीं अनुदान दिया गया।

श्री अजीत प्रताप सिह—

मन्यवर, ऐसी बात नहीं है कि एक आदमी के ऊपर हो। हमारी जो स्पोर्ट्स काउन्सिल है पहले उसके सामने कागजात आते थे, अब डाइरेक्ट्रेट बन गया है, आइन्दा यह काम यही करेगा।

नगरपालिका, सहारनपुर की सीमा के भीतर कृषि क्षेत्र पर जमींदारी का खात्मा

*16—श्री काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 4 अगस्त, 1972 को सहारनपुर नगरपालिका सीमा के अन्दर कृषक भूमि का जमीदारी खात्मा हो चुका है ? यदि हां तो जमीदारी विनाश के नक्शे अब तक न बनने के क्या कारण हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिह—

ग्राम दारा कोटला के दो गाटों को छोड़कर नगरपालिका सहारनपुर सीमा के भीतर स्थित समस्त कृषि क्षेत्र पर 5 अगस्त, 1972 से जमींदारी विनाश हो गया।

आवश्यक प्रपत्रों के उपलब्ध न होने के कारण मुआवजे के नक्शे अब नहीं बनाय जा सके।

श्री काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन—

क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दो गाटों को क्यों छोड़ दिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिह—

दो गाटों को इसलिये छोड़ दिया गया क्योंकि इसका लिटीगेशन चल रहा था। 4-8-72 की सूचना में स्पष्ट किया गया है कि इसका उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर था।

श्री जंग बहादुर वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से नगरपलिका और महापालिकाओं में जमीदार जमीन का कर वसूल किया करते थे उसको समाप्त किया गया, उसी तरीके से वहां पर मकानों की जो जमींदारी कायम हैं और उसका कर वसूल करते हैं तो उसको भी समाप्त करने के क्या कोई विचार है ?

श्री अध्यक्ष—

यह अलग सवाल है।

श्री काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन—

माननीय मंत्री ने जवाब दिया है कि जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं हैं, मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या ये कागजात कहीं बाहर से मंगाये जाने हैं या वहीं कहीं से आने हैं ? यदि हां, तो दो वर्षों से क्यों नहीं बने ?

श्री स्वामी प्रसाद सिह—

यह तो उत्तर से ही स्पष्ट है कि बड़ी कोशिश की गई और यह आदेश दिये गये थे कि वहीं जाकर परिपत्र प्राप्त करें और छपवा दें।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे, उनकी बातों से यह मालूम होता है कि बहुत कोशिश की गई परिपत्र उपलब्ध न हो पाये, तो क्या यह आशा कर ली जाय कि उन जगहों के नक्शे बनेंगे ही नहीं ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय सदस्य यह न सोचें कि राज्य सरकार ऐसा करने में असमर्थ है ।

श्री काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन--

कोई निश्चित तारीख बतायेंगे कि वह कब बनेंगे ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

यह मुश्किल है ।

*17--श्रीराम रेखा यादव--

[13 अगस्त, 1974 को प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत उत्तरित]

तहसीलदार जालौन के विरुद्ध परमिट जारी करने के सम्बन्ध में शिकायत

*18--डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--

क्या यह सही है कि तहसीलदार जालौन के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों पर परगनाधिकारी जालौन ने उक्त तहसीलदार को किसी भी प्रकार का परमिट न जारी करने का लिखित आदेश दिनांक 21 फरवरी, 1974 को जारी किया गया फिर भी उक्त तहसीलदार ने अनेक परमिट स्वयं जारी किये और उनके विरुद्ध पुनः दिनांक 21 फरवरी, 1974 के बाद भी भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई हैं ? यदि हां, तो कितने तथा क्यों ? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां, परगनाधिकारी जालौन ने दिनांक 21-2-1974 को यह लिखित आदेश दिये थे कि सीमेन्ट आदि आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य तहसीलदार जालौन के स्थान पर वहां के वरिष्ठतम नायब तहसीलदार करेंग परन्तु बाद में प्रशासकीय सुविधा को देखते हुए जिलाधिकारी जालौन ने ऐसे मौखिक आदेश उक्त कार्य को वहां के तहसीलदार व समस्त नायब तहसीलदारों को करने के दे दिये थे । अतः उक्त दिनांक के बाद भी तहसीलदार ने यह काय किया । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी जालौन को एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर वह जांच करा रहे हैं ।

*19--श्री बादाम सिंह--

[13 अगस्त, 1974 को प्रश्न संख्या 22 के अन्तर्गत उत्तरित]

*20--श्री भगवती चरण निर्मोही तथा श्री शिवानन्द नौटियाल--

[13 अगस्त, 1974 को प्रश्न संख्या 23 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

भिनगा जंगलात (बहराइच) में पेड़ों का अवैधानिक रूप से कटना

*21--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के भिनगा जंगलात में कितने स्थानीय फारेस्ट गार्ड हैं ? क्या यह सही है कि उनके 'बीट' में पड़ने वाले प्लाट में

लाखों रुपये के पेड़ विगत वर्ष अवैधानिक रूप से काट कर लोग उठा ले गये ? यदि हां, तो उस पर डी० एफ० ओ० ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

बहराइच वन विभाग के भिनगा रेन्ज में 5 (पांच) स्थानीय फारेस्ट गार्ड हैं। प्रश्न के शेष भाग में उल्लिखित बात सही नहीं है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी उन 5 स्थानीय फारेस्ट गार्ड्स के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन-कौन हैं और कब से वहां पर नियुक्त हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

उनके नाम हैं मुहम्मद इस्माइल, श्री कप्तान सिंह, श्री माता बख्श, सुखदेव सिंह और राम प्रसाद।

श्री कमला प्रसाद वर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अवैधानिक रूप से भिगा में पेड़ काटने के सम्बन्ध में कितने केस पकड़े गये और कितना जुर्माना किया गया ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

जो सूचना प्राप्त हुई है उससे यह मालूम होता है कि 106 पेड़ नाजायज तरीके से काटे गये और इसकी कुल लागत शिड्यूल रेट के अनुसार 4,177 रु० होती है। इसमें से 1,990 रु० तो कीमत के रूप में वसूल कर लिये गये और कुछ पेड़ भी पकड़ लिये गये। बाकी और जो केस हैं उनमें मुकदमें चल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि फारेस्ट डिपार्टमेंट के अन्दर जो बीट्स हैं वह इतनी बड़ी हैं कि एक फारेस्ट गार्ड के लिए उनकी सुरक्षा करना शारीरिक रूप से असम्भव है ? क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि फारेस्ट गार्ड्स की संख्या में वृद्धि की जाय ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बहुत ध्यान दिया जा रहा है।

श्री कमला प्रताप वर्मा---

भिनगा जंगल में लाखों रुपये के पेड़ अवैधानिक रूप से कट गये हैं तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

यहां ऐसी स्थिति है कि जंगल है और चारों ओर गांव हैं और ज्यादातर गांव वाले अपने काम के लिए लकड़ी काट लिया करते हैं। यह चीज वहीं नहीं है बल्कि और भी बहुत सी जगहों पर नाजायज तरीके से कटान हो रहे हैं। शासन पूरी तरह इस तरफ सतर्क है और जहां तक रोकथाम की जा सकती है की जा रही है।

श्री शिवचरन लाल (जिला आगरा)---

वन विभाग में सारे उत्तर प्रदेश में यही बात है। आगरे जिले में छलेसर में रात दिन पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या मंत्री जी वहां भी जांच कराने की कृपा करेंगे जिससे यह चीज रोकी जा सके ?

श्री अध्यक्ष—

यह अलग सवाल है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि भिनगा जंगल की किसी चौकी पर अवैधानिक रूप से पेड़ काटने के लिए जाने से रोकने पर किसी फारेस्ट गार्ड की हत्या कर दी गयी ?

श्री अध्यक्ष—

यह दूसरा सवाल है। क्या आपको जानकारी है ?

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

जी हां। मंत्री जी उत्तर दें।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

ऐसी सूचना है कि एक फारेस्ट गार्ड की हत्या हुई है।

*22—श्री रणजीत सिह जूदेव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*23—श्री हरीश कुमार गंगवार—

[9 वें बुधवार में तारांकित प्रश्न 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तहसील नानपारा के अन्तर्गत सीलिंग से निकली हुयी भूमि का आवंटन

*24—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच) अनुउपस्थित—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील नानपारा में 1961 में सीलिंग से निकली हुई भूमि का बंटवारा भूमिहीनों में कर दिया था ? यदि हां, तो कितने पट्टे किये गये और क्या दिये गये पट्टों पर भूमिहीनों को कब्जा दिला दिया गया और कितने पट्टों का दाखिल खारिज करके अमल बरामद कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, अतिरिक्त भूमि के सन् 1961 से अब तक 1829 पट्टे किये गये और सभी पट्टेदारों को कब्जा भी दिला दिया गया। अभी तक 1305 पट्टों का दाखिल खारिज होकर अमलदरामद भी हो गया है। शेष पट्टों के सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है।

कलेक्टरी कचेहरी (बस्ती) के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थायीकरण

*25—श्री अब्दुल राऊफ लारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बस्ती के कलेक्टरी कचेहरी में पिछली बार कब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया था ? क्या यह सही है कि गत चार या पांच वर्षों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के काफी स्थान रिक्त पड़े हैं ? परन्तु उन पदों पर कार्य करते रहने वाले कर्मचारियों को अभी तक स्थायी नहीं किया ? यदि हां, तो वरीयता की दृष्टि से अस्थायी कर्मचारियों को कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जनपद बस्ती में पिछली बार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थायीकरण 1-5-64 को किया गया था। यह सही नहीं है कि गत चार पांच वर्षों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 25 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

काफी स्थान रिक्त पड़े हैं, किन्तु यह सही है कि इन पदों पर कार्य करने वाले स्थाई कर्मचारी 1964 के बाद स्थायी नहीं किये गये। अब इन अस्थाई कर्मचारियों को वरीयता निश्चित करके इन्हें शीघ्रातिशीघ्र स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। वह कह रहे हैं कि सन् 64 से आज तक जो अस्थायी कर्मचारी हैं वह स्थायी पदों पर काम कर रहे हैं और खाली जगह नहीं हैं। मेरा प्रश्न, करने का मतलब यही था कि दस साल से जगहें क्यों खाली पड़ी हैं और जो लोग अस्थायी तरीके से काम कर रहे हैं उन्हें क्यों नहीं स्थायी कर दिया गया। आपका कहने का मतलब है कि वरिष्ठता की लिस्ट नहीं बनी। वह क्यों नहीं बनी और क्या इस बीच बहुतों को नोटिस देकर निकाल भी दिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जब तक कोई पद खाली नहीं होता तब तक स्थायी करने का सवाल नहीं है। फिर भी बीच में पाकिस्तान से या इधर-उधर से जो लोग आये उनको वरीयता दी गयी थी। आपको धन्यवाद है कि आपके प्रश्न करने पर कार्यवाही हो रही है और यह जल्दी किया जायगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। उनका कहना है कि जगह खाली होती हैं तो होता है। जगह तो दस साल से खाली है।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने तो आपको धन्यवाद दे दिया।

सदर तहसील (कानपुर) के कार्यालय का राजस्व मन्त्री द्वारा आकस्मिक निरीक्षण में पायी गयी अनियमितता

*26--श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर, दिसम्बर, 1973 में सदर तहसील, कानपुर के कार्यालय पर तहसीलदार के विरुद्ध गम्भीर शिकायतों के आधार पर छापा मार कर तत्कालीन राजस्व मंत्री ने कुछ अनिस्तारित फाइलें पकड़ी थीं व अन्य कई आरोप सही पाये थे ? और क्या यह सही है कि उक्त तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के बजाय उसे पदोन्नति देकर के 3 वर्ष की अवधि पूरे होने पर भी कानपुर जिले में ही नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

कानपुर की सदर तहसील का दिनांक 6 दिसम्बर, 1973 को आकस्मिक निरीक्षण राजस्व मंत्री द्वारा किया गया था जिसमें देवी प्रकोप के अन्तर्गत अनुदान विवरण से सम्बन्धित अनियमिततायें मिली थी। अतः राजस्व परिषद् के एक वरिष्ट अधिकारी द्वारा विस्तृत जांच करायी गयी जिसमें यह पाया गया कि कुछ अपात्र व्यक्तियों को अहेतुक सहायता दी गयी और कुछ सहायता के पात्र व्यक्ति सहायता पाने से वंचित रह गये। शासन द्वारा ऐसे आदेश जारी कर दिये गये हैं कि अब अनियमितता के लिये जिम्मेदारी नियुत करें जिससे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हो सके। श्री सुरेन्द्र सिंह सेगर, तत्कालीन तहसीलदार,

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

तहसील सदर, कानपुर, स्थानीय प्रबन्ध में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नत कर दिये गये थे क्योंकि ये वरिष्ठ तहसीलदार हैं। अब इनका कानपुर से स्थानान्तरण करने के आदेश हो गये हैं।

*27—श्रीमती राम रति देवी—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां

*28—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 मई, 1970 को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का चुनाव जनपद, आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट विभाग में किया गया था? क्या यह सत्य है कि उसमें 33 हरिजन अभ्यर्थियों की कोई लिस्ट बनाई गयी थी? अगर हां, तो उसमें से कितने हरिजन अभ्यर्थियों को अब तक जगह दी जा चुकी हैं और अभी कितने अभ्यर्थी उस लिस्ट के अन्तर्गत अवशेष हैं? क्या उनको भी शीघ्र भविष्य में जगह दी जा सकेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। 31 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की एक लिस्ट बनाई गई थी। उसमें से 4 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को अब तक जगह दी जा चुकी हैं और अभी 27 अभ्यर्थी उस लिस्ट के अन्तर्गत अवशेष हैं। भविष्य में जैसे-जैसे जगहें उपलब्ध होंगी इन अभ्यर्थियों को उनमें खपाया जायेगा।

आजमगढ़ के राजस्व विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का कोटा

*29—श्री दयाराम भास्कर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, आजमगढ़ के राजस्व विभाग में कुल कितने कमचारी कार्यरत हैं और उसमें कुल कितने कार्यरत हरिजन हैं? क्या हरिजनों का कोटा 18 प्रतिशत के हिसाब से पूरा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कुल 1620 कर्मचारी कार्यरत हैं, और उसमें कुल 140 कार्यरत कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं। अनुसूचित जातियों का कोटा 18 प्रतिशत के हिसाब से पूरा नहीं है क्योंकि पुराने वक्त में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके थे। इसी कारण उस श्रेणी के अभ्यर्थियों का कोटा बढ़ा कर अब पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

तहसीलदार कैसरगंज (बहराइच) द्वारा शीशम के पेड़ों की कथित बिक्री

*30—श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के तहसीलदार (तहसील कैसरगंज) ने अपने निवास कम्पाउन्ड में लग शीशम के कई पेड़ कटवा कर बेच दिया है या लकड़ी अपने घर भेजवा दिया है? यदि हां, तो तहसीदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता।

तहसील कैसरगंज, (बहराइच) में भूमिहीनों को भूमि का आवंटन तथा कब्जे का दिलाया जाना

*31—श्री बाबूलाल वर्मा—

द्वितीय सत्र 1974 के पहले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री प्रश्नकर्ता की सूचना को सही मानकर कि जो भूमि बंटी है, वास्तव में उस पर भूमिहीनों का कब्जा नहीं हुआ है पूरे मामले की पुनः जांच करायेंगे तथा कृपया यह भी बतायेंगे कि जिनका पट्टा हुआ है उन्हें कब्जा मिला ? यदि नहीं, तो कब्जा कब तक दिया जायेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

गांव सभा मझौली (देवरिया) महाल नदी गंडक के घाटों एवं शिकारगाहों के केन्द्रों के प्रबन्ध के अधिकार को जिलाधिकारी देवरिया को हस्तांतरण

*32—श्री हरिकेवल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में महाल नदी गंडक को मझौली ग्राम सभा से अक्तूबर, 1973 में निकाल लिया गया है और उसका प्रबन्ध जिलाधिकारी देवरिया के हाथ में दे दिया गया है ? यदि हां, तो महाल नदी गंडक जिन गांव सभाओं में निहित है क्या उन घाटों एवं शिकारगाहों के केन्द्रों पर अब भी ग्राम सभाओं के अधिकार है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। महाल नदी गंडक की गांव सभा, मझौली में निहित विभिन्न वस्तुओं को शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 22 सितम्बर, 1973 द्वारा पुनर्गृहित करके जिलाधिकारी, देवरिया के प्रबन्धान्तर्गत रख दिया गया है, अतः उसके घाटों एवं शिकारमाही केन्द्रों पर अब गांव सभा का अधिकार होने का प्रश्न नहीं उठता।

भूमिहीन हरिजन व खेतिहर मजदूरों को आवास स्थल के आवंटन एवं भूमि सुधार हेतु जिला व तहसील स्तर पर समितियों का गठन

*33—श्री बीरसिंह सेंगर (जिला जालौन)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजनों के आवास व भूमि आवंटन के लिये जो समिति जिला स्तर या तहसील स्तर पर बनायी गयी है उसमें क्षेत्रीय विधायकों को भी सदस्य के रूप में रक्खा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

भूमिहीन हरिजनों व अन्य खेतिहर मजदूरों के आवास-स्थल आवंटन और अन्य भूमि सुधार के कार्य-क्रमों के कार्यान्वियन को देखने के लिये जिला स्तर व तहसील स्तर पर समितियां गठित की जा रही हैं। इन समितियों में लाभ भोगियों का प्रतिनिधित्व रहेगा जिसमें विशेष स्थान हरिजन भाइयों का है। इस कार्य में विधायकों को कष्ट देना उचित नहीं समझा गया है क्योंकि उनके सहयोग की विधान मण्डल से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्य में सरकार अपेक्षा करती है।

ग्राम तोरा (उन्नाव) की राजस्व विभाग द्वारा जांच

*34—श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग ने अपने अ० शा० पत्र सं० 655/8 (192)/73-रा-12 राजस्व अनुभाग-12, दिनांक 23 अक्तूबर, 1973 को ग्राम व पोस्ट तोरा, तहसील व जिला उन्नाव में जांच कराने का अश्वासन दिया था ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां । प्रश्नगत जांच स्थानीय नायब तहसीलदार द्वारा की गयी है । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

*35—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

*36—श्री मधुकर दिघे तथा श्री कृष्णा राय—

[पुनर्विचार पर निरस्त ।]

गांव सभा पहलादपुर (शाहजहांपुर) में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूमि का आवंटन

*37—श्री भीखा लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर, 1970 में ग्राम सभा पहलादपुर, तहसील सदर, जिला शाहजहांपुर में 22 भूमिहीन हरिजन व्यक्तियों को पट्टे किये गये लेकिन अभी तक एक पट्टे का दाखिल खारिज भी नहीं हुआ है और पट्टों पर दी गयी भूमि मौके पर लेखपाल द्वारा पैमाइश करके भूमिहीनों के कब्जे में अभी तक नहीं दी गयी ? यदि ऐसा है, तो क्यों और संबंधित भूमि किसके कब्जे में है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला शाहजहांपुर की गांव सभा, पहल्लादपुर में अक्टूबर, 1970 में 25 भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूमि आवंटित की गई थी । 24 आवंटियों के पट्टों का दाखिल खारिज होकर उन्हें कब्जा भी दे दिया गया था । केवल एक पट्टेदार श्री छोटे का पट्टा गांव सभा के प्रधान द्वारा निष्पादित न होने के कारण उस पर आगे कार्यवाही नहीं हुई है ।

*38—श्री कृष्ण राय तथा श्री मधुकर दिघे—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

बहराइच जिले में बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों की सहायतार्थ की गयी व्यवस्था

*39—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायतार्थ वर्ष 1974-75 हेतु कौन-कौन उपाय निश्चित किये गये सरकार द्वारा और उन उपायों को पूरा करने हेतु अब तक किन-किन बाढ़ सहायता केन्द्रों पर समुचित व्यवस्था हो गई है ? यदि नहीं, तो कब तक हो जायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जिला बहराइच में वर्ष 1974-75 में सम्भावित बाढ़ से सुरक्षा एवं सहायता हेतु मई, 1974 में जिला आपात-कालीन सहायता समिति द्वारा समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। बाढ़ चेतावनी, बाढ़चौकियों एवं बाढ़ शरणालयों पर आवश्यक व्यवस्था की गई। नौकाओं आदि का प्रबन्ध किया गया। बाढ़ पीड़ितों के लिए खाद्य-सामग्री एवं औषधियों का प्रबन्ध किया गया। बाढ़ आने पर प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल सहायता देने के लिये जिलाधिकारी को आवश्यक धन का भी आवंटन कर दिया गया है।

काश्तकारों को दी गयी तकावी पर ब्याज की दर में बढ़ोत्तरी

*40--श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा), श्री तीरथराम कोहली तथा राम श्री चरन शाह (जिला लखीमपुर खीरी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या काश्तकारों को दी जाने वाली तकावी ऋण की ब्याज की दर 9 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत कर दी गई है? यदि हां तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

एक जुलाई, 1974 से तकावी पर ब्याज दर 8 1/4 से बढ़कर 12% कर दी गयी है परन्तु किश्तों का समय पर भुगतान करने पर ब्याज में 3-3/4% की छूट दी जायेगी। ऐसा ऋण की समय से वापसी को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। समय स भुगतान करने वालों को इस संशोधन के बाद भी उतना ही ब्याज देना पड़ेगा जितना वह संशोधन के पूर्व देते थे।

पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड के क्षेत्रों में वितरित तकावी पर ब्याज की दर में छूट

*41--श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री तीरथ राम कोहली तथा राम चरन शाह--

क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के लिये ऋण की अदायगी पर 6 प्रतिशत की छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार यह छूट बुन्देलखंड तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुये क्षेत्रों के काश्तकारों के लिये भी जारी करने की कृपा करेगी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

पर्वतीय क्षेत्र में दी गयी सभी प्रकार की तकावी की समय पर अदायगी करने पर ब्याज पर 6-1/2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। प्रदेश के अन्य भागों में जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बुन्देलखंड का क्षेत्र भी शामिल है, आपका तकावी तथा कृषि भूमि में संरक्षण कार्य के लिये दी गयी तकावी पर भी 6-1/2% की छूट देय है।

उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय (आगरा) में खोलने की मांग

*42--डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्त (जिला आगरा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम जिसकी स्थापना के लिये चालू वर्ष में प्रविधान है का मुख्यालय कहां पर होगा? क्या आगरा के महत्व को देखते हुय उसे आगरा में रखने पर विचार करेगी?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय लखनऊ होगा। चूंकि निगम का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा अतः इसका मुख्यालय आगरा रखना उचित नहीं होगा।

जिला फर्रुखाबाद के कतिपय गांवों को बाढ़ सुरक्षा हेतु ऊंचे पर बसाने की मांग

*43--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जनपद के 113 गांवों को प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ की लपेट से बचाने के लिये ऊंचे पर बसाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी नहीं।

पर्यटक आवास-गृह मुनि-की-रेती (टिहरी गढ़वाल) का ऋषिकेश के सन्यासी द्वारा आरक्षण

*44--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुम्भ मेले के अवसर पर माह अप्रैल, 1974 में मुनिकी रेती, जिला टिहरी गढ़वाल में पूरा टूरिस्ट बंगला पन्द्रह दिनों के लिये किसी सन्यासी के नाम आरक्षित था ? यदि हां तो वह सन्यासी कौन था ? और क्या यह सही है कि उपरोक्त दिनों में उपरोक्त बंगले में उस सन्यासी महोदय के विदेशी हिप्पीनुमा चेले, चेलियां बिना रजिस्टर में नाम पता दर्ज कराये हुये ठहरे रहे ? यदि, हां तो इसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

जी हां। हिमालय इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट आफ योगा साइंस एन्ड फिलोसफी, ऋषिकेश, के स्वामी राम के आवेदन-पत्र दिनांक 12 मार्च, 1974 के संदर्भ में 3 अप्रैल से 15 अप्रल, 1974 तक, 12 यात्रियों के लिये, पर्यटक आवास-गृह मुनि-की-रेती के 48 कमरों में से 43 कमरे, जिनमें 132 शैय्यायें थीं, आरक्षित किये गये थे।

आवास-गृह के स्वागत रजिस्टर में, स्वामी राम द्वारा ही समस्त विद्यार्थियों की ओर से, एक प्रविष्टि की गई थी, परन्तु समस्त विदेशी विद्यार्थियों के नाम, पते राष्ट्रीयता व अन्य विवरण पुलिस विभाग के सक्षम अधिकारी को भेज दिये गये थे।

जिला बाराबंकी के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड में किसानों की अर्जित भूमि पर लगान की वसूली

*45--श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत बन रही शारदा सहायक खंड 25 म जिन किसानों की भूमि अर्जित की गई है उन्हें अभी उस भूमि पर लगान देना पड़ता है ? और उस जमीन का उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया है ? यदि हां तो ऐसा क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

शारदा सहायक खंड 25 में 98 ग्रामों में 737.29 एकड़ भूमि अर्जित की गयी थी। इन 98 ग्रामों में से 12 ग्रामों मे भूमि अस्थाई रूप से अर्जित की गयी थी तथा 8 ग्रामों में

आबादी की भूमि अर्जित की गयी थी। इन समस्त 20 ग्रामों में मालगुजारी वसूल किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। उपर्युक्त 12 ग्रामों में प्रतिकर बांटा जा चुका है।

2—अन्य 78 ग्रामों के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी ने यह आदेश दे दिये हैं कि जहां कहीं अर्जित भूमि का कब्जा ले लिया गया हो वहां अर्जित भूमि का लगान कृषकों से वसूल न किया जाय, यदि किसी कृषक से गलती से मालगुजारी वसूल कर ली गयी है तो उसे उसके अन्य खाते से मुजरा कर दिया जाय। यदि उसका कोई खाता नहीं है तो उसे मालगुजारी वापिस कर दी जाय।

86 ग्रामों के सम्बन्ध में अभिनिर्णय घोषित किये जाने के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जा रही है। उसके बाद प्रतिकर बांटा जायगा।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री सत्य पाल मलिक—

[11 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फरेंदा तहसील (गोरखपुर) में जंगली जानवरों से निकटवर्ती फसलों को बचाना

2—श्री लक्ष्मी नारायण पान्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरेंदा तहसील जिला गोरखपुर के अन्तर्गत जंगली जानवरों से निकटवर्ती फसलों को बचाने के लिये क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह कब से कार्यान्वित की जायगी?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

फरेंदा तहसील जिला गोरखपुर के अन्तर्गत जंगली जानवरों से निकटवर्ती फसलों को बचाने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अतः इसके कार्यान्वयन का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम रैमा तप्पा तामों खलीलाबाद (बस्ती) की हरिजन बस्ती के लिए रास्ते की मांग

3—श्री भीषम (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम रैमा तप्पा तामो खलीलाबाद, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती में अधिकांश हरिजनों की बस्ती पाही काश्तों के चक से घिरा हुआ है और उनके निकलने का रास्ता भी साफ नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके सुधार के लिये विचार कर रही है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला बस्ती की तहसील खलीलाबाद के तप्पा तामों के राजस्व अभिलेखों में अंकित गांव का नाम रेमा मेनसिर है। इस गांव के हरिजनों ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की, कि उनके निकलनें का रास्ता नहीं है। हरिजन आबादी प्रसार हेतु जो भूमि छोड़ी गई है उसके उत्तर पश्चिम गांव सभा की आबादी व बंजर है।

जनपद गोरखपुर में मकान बनाने हेतु पी०डी० पर दिए गए साखू के पेड़

4—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में मार्च, 1973 से कितने लोगों को मकान बनवाने हेतु 24 जून, 1974 तक पी० डी० में साखू, सागौन के पेड़ दिये गये हैं? ऐसे लोगों के नाम व पते क्या हैं?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

31 लोगों को पी०डी० पर साखू के पेड़ दिये गये। सागौन का कोई पेड़ नहीं दिया गया। ऐसे लोगों के नाम व पते की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 122-123 पर)

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा परिषद् के लिए आयोजनेतर तथा आयोजनागत मदों में प्राविधान तथा व्यय का ब्यौरा

5--श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़), श्री कमला प्रसाद वर्मा तथा श्री झामलाल अहिरवार (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा परिषद् को वर्ष 1972-73 में आयोजनेतर एवं आयोजनागत मद में पृथक्-पृथक् कितने रुपय का प्राविधान था तथा व्यय का ब्यौरा (ब्रेक अप) सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

वर्ष 1972-73 में उत्तर प्रदेश क्रीड़ा परिषद् को आयोजनेतर एवं आयोजनागत मदों में क्रमशः रु० 2,30,850 तथा रु० 8,77,300 का प्राविधान था, व्यय का ब्योरा संलग्न सूची में दिया है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 124-125 पर)

जिला नैनीताल में हरिजनों को आवास हेतु भूमि का आवंटन

6--श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतावेंगे कि रजत जयन्ती वर्ष 28 जून, 1974 तक जिला नैनीताल के तहसील खटीमा व सितारगंज में कुल कितने आवासहीन हरिजन परिवारों को आवास की भूमि किन-किन ग्रामों में दी गयी और इनके नाम व पते क्या हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

प्रश्नगत अवधि में जिला नैनीताल की तहसील खटीमा मे 174 तथा तहसील सितारगंज में 334 आवासहीन हरिजन परिवारों को आवास स्थल आवंटित किये गये। आवंटियों की सूची माननीय अध्यक्ष महोदय की मेज पर रखी है।

7--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्राम उतरा (अलीगढ़) के हरिजनों को आवास हेतु भूमि का आवंटन

8--श्री देवी सिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उतरा तहसील अहरौली, जिला-अलीगढ़ में हरिजन बस्ती के पास श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री राम की चक से मिली हुई आबादी हेतु कुछ जमीन छोड़ी गयी है ? यदि हां, तो उपरोक्त आबादी की भूमि का हरिजनों को आवंटन न होने का क्या कारण है तथा इस संबंध में सरकार आगे क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां। यह भूमि समतल न होने के कारण आबादी के योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त इसका क्षेत्रफल केवल 6 बिस्वा 15 बिस्वांसी है जबकि हरिजनों के आवास हेतु

आवंटन के लिए 1 बीघा 11 विस्वा 10 विस्वांसी भूमि की आवश्यकता थी। गाटा संख्या 106 जो गांव की आबादी के पास उपलब्ध था और समतल भी था, 45 जरूरतमंद परिवारों के आवास हेतु आवंटित कर दिया गया है।

जिला टिहरी-गढ़वाल के ग्राम दाड़कोट, किमाड़ा व सुभार्ग के निवासियों को अन्यत्र बसाने की मांग

9—श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

क्या सरकार को जानकारी है कि टेहरी-गढ़वाल में दाड़कोट किमाड़ा, सुभार्ग गांवों के निवासियों को जमीन में दरारें पड़ने से जान का खतरा बना हुआ है? यदि हां, तो इस खतरे में ग्रामवासियों की रक्षा करने के लिय क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

भू-स्खलन से क्षति के कारण प्रश्नगत ग्रामों को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर बसाने की समस्या उत्पन्न हुई है। ग्राम दानकोट व किमाणा के निवासियों के पुनर्वासन के लिए मुत्तसिल मिलानपुर और खंड ग्राम सभा के अन्तर्गत रूपतोली खोलनाम तोक में सोयम भूमि गवर्नमट ग्रान्ट्स ऐक्ट के अन्तर्गत पट्टे पर देने का प्रस्ताव है, परन्तु ग्राम दानकोट के निवासी अपना वर्तमान गांव छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इस गांव के चार निवासियों ने नैनों गधेरे से सुरक्षा के लिये एक पक्की दीवार बनाने की प्रार्थना की है जिसके लिये सिंचाई विभाग के स्थानीय अधिकारी को लिखा गया है तथा वे आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

जहां तक ग्राम किमाणा का प्रश्न है, इस ग्राम के निवासियों को उक्त भूमि का पट्टा स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम सुभार्ग के निवासियों के पुनर्वासन हेतु इस गांव के निकट स्थिति सोड़नामें तोक में भूमि उपलब्ध कराने के लिये वन विभाग को लिखा गया है और मामला उनके विचाराधीन है।

झांसी मण्डल के जनपदों में खेलकूद के लिए दी गयी धनराशि

10—श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा), श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा), श्री राम सजीवन (जिला बांदा), श्री प्रताप नारायण (जिला हमीरपुर) तथा श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा)—

क्या खेलकूद मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74 में झांसी मंडल को किन-किन जनपदों में खेलकूद के लिये कितनी वार्षिक धनराशि दी गयी उनमें से प्रत्येक जनपद को किस-किस मद में धन दिया गया?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वर्ष 1973-74 में झांसी मण्डल में विभिन्न जनपदों को खेलकूद के लिए निम्नलिखित धनराशि दी गई थी। जिस कार्य के लिए यह धनराशि दी गई उसका उल्लेख सामने किया हुआ है।

जनपद	धनराशि	कार्य
	रु0	
झांसी	500	आठवीं कक्षा तक के बालकों के लिए हाकी तथा नवीं कक्षा तक के बालकों के लिए फुटबाल प्रतियोगिता के लिए अनुदान।

जनपद	धनराशि	कार्य
	रु0	
	900	बालिकाओं के टेबुल टेनिस, बालीबाल, बैडमिन्टन प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु।
	130	बालीबाल तथा टेबुल टेनिस, प्रशिक्षण शिविर के आयोजन हेतु।
	1,200	बालकों के लिए टेबुल टेनिस, बैडमिन्टन तथा बालीबाल के प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु।
	1,000	तदर्थ प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण शिविरों तथा अन्य खलकूद प्रतियोगिताओं के लिए।
	3,730	
हमीरपुर	1,000	प्रशिक्षण शिविर प्रतियोगितायें तथा खेल-कूद की उन्नति के लिए।
जालौन	1,000	प्रशिक्षण शिविर, प्रतियोगितायें तथा खेल-कूद की उन्नति के लिए।
बांदा	1,000	प्रशिक्षण शिविर, प्रतियोगितायें तथा खलकूद की उन्नति के लिए।

बहराइच जिले में नसबन्दी कार्य के सम्बन्ध में दण्डित लेखपाल

11—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1973-74 में बहराइच जनपद में तहसीलवार कितने लेखपाल इस कारण दण्डित किये गये कि उन्होंने परिवार नियोजन विभाग के नसबन्दी कार्य को लक्ष्य के अनुसार पूरा नहीं किया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कोई भी नहीं।

"जनमोर्चा" समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना....

श्री संत सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

एक छोटी सी प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं। अभी मैं विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दे रहा हूं। इसके बाद फिर कह सकते हैं।

माननीय गिरजा शंकर पाठक, रामजी सिंह, अठई राम, लक्ष्मण सिंह, सत्य प्रकाश मालवीय तथा रामरति बिन्द ने नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है।

यह सूचना 15 अगस्त, 1974 के दैनिक "जन मोर्चा" समाचार-पत्र में प्रकाशित परिवहन मंत्री के खिलाफ कांग्रेसी हरिजन विधायकों के विद्रोह विषयक समाचार के सम्बन्ध में है। यह तो कांग्रेस पार्टी अथवा विरोध पक्ष सभी में होता रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर मंत्री से हर सदस्य संतुष्ट रहे, मतभेद हो सकता है।

श्री गिरजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)---

लेकिन अशोभनीय व्यवहार तो है।

श्री अध्यक्ष---

वह हमारे सामने नहीं हुआ। यों तो विरोध पक्ष चाहता है, शासक दल भी चाहता है और इस तरह इधर-उधर जोड़-तोड़ चलती रहती है (व्यवधान) इसमें विशेषाधिकार की कोई अवहेलना नहीं हुई। फिर यह नियमानुसार भी नहीं है (व्यवधान) इसमें यह भी नहीं लिखा है कि किसके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आप उठाना चाहते हैं। आपने केवल घटना का वर्णन किया है और किसी के विरुद्ध कोई शिकायत का उल्लेख नहीं है। केवल यह कहा गया है कि अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है ध्यान आकर्षित करते हुए। तो ध्यान आकर्षण के लिये दूसरी धारा है, उसमें इसे आप दें अगर नियमानुसार हो। जहां तक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न का सवाल है यह सूचना नियमानुकूल नहीं है और साथ ही साथ यह सदन की किसी कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं है। (व्यवधान) मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा ने अपनी 16 अगस्त, 74 की बैठक में 17 अगस्त के बाद से 21 अगस्त, 74 तक के उपवेशनों में लिये जाने वाले विधेयकों एवं अन्य कार्यों के लिये समय निर्धारण की जो सिफारिश की है वह इस प्रकार है:—

18 तथा 19 अगस्त, 1974 को	बैठक नहीं होगी।
20 अगस्त, 1974, मंगलवार	1—उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1974 पर विचार एवं उसका पारण। 2—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक 1974, पर विचार एवं उसका पारण।
21 अगस्त, 1974 (अपराह्न 5 बजे तक)	असरकारी सदस्यों का कार्य।
(5 बजे से 6 बज तक)	प्रदेश में पाठ्य पुस्तकों एवं कापियों के न मिलने के कारण शिक्षा सत्र को स्थगित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर श्री सत्यपाल मलिक, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री एम० मसूद, श्री मोहन लाल कपूर, श्री सूबेदार प्रसाद, श्री शिव सम्पति राम तथा श्री उमानाथ सिंह द्वारा दी गई सूचना पर एक घंटे की चर्चा।

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा स्तावित कार्यक्रम को स्वीकार करता है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को स्वीकार करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, एक सूचना दे दें कि यह सदन कब तक बैठेगा ?

श्री अध्यक्ष—

22 तक मालूम पड़ता है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना माननीय मलखान सिंह ने दी है जिसमें उन्होंने ग्रामीण अभियन्त्रण सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों की छंटनी के बारे में कहा है। यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है । नियम 56 का मतलब यह है कि उसमें अविश्वास या निन्दा का प्रश्न हो। इसके लिए सदन की अनुज्ञा दी जाती है । नियम 56 को समझ लें कि वह कैसे दिया जाता है । यदि हम किसी ऐसे प्रश्न को स्वीकार करें तो तात्कालिक सदन के कुल सदस्यों के द्वादशांश सदस्यों को खड़ा होना पड़ेगा और तब अनुज्ञा दी जा सकेगी । तो यह प्रशासनिक छंटनी हो जाना या कुछ कर्मचारियों का ट्रांसफर हो जाना कार्य-स्थगन के विषय नहीं हैं । आप प्रश्न कर सकते हैं ।

डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है और न सुनना चाहती है। उन प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं मिलता है और न ही उन पर अमल होता है ।

श्री अध्यक्ष—

जब आप कोई ऐसा विषय रखते हैं तो आपके नेता माननीय त्रिपाठी जी या चौधरी साहब भी उसके लिये कहते हैं तो अवश्य अवसर दिया जाता है । उसका तरीका दूसरा है लेकिन 56 का नहीं है ।

एक सूचना माननीय राम सेवक यादव, श्री उदय नाथ, श्री सत्य प्रकाश मालवीय, श्री पुरुषोत्तम कौशिक ने बांदा जिले में प्रेस स्वतंत्रता को तथाकथित खतरे के सम्बन्ध में दी है । यह नियम 51 में आया है और उसमें वक्तव्य के लिये मंत्री जी के पास भेज दिया गया है । 56 का विषय नहीं है ।

एक सूचना श्री आशाराम यादव, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री सूबेदार प्रसाद, श्री शिव सम्पति राम तथा श्री श्रीनारायण ने बुद्धी राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में गल्ले तथा पाठ्य-पुस्तकों के अभाव के बारे में दी है। इसमें पाठ्य पुस्तकों वाला आयेगा । जो खाद्य वाला है वह तो आ गया। जब स्वीकार किया जाता है तब यहां पर कोरम का अभाव हो जाता है और स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप क्रोध में होते हैं । गल्ले के अभाव के बारे में मुख्य मंत्री जी बतायेंगे और पाठ्य पुस्तकों वाला 21 तारीख को आयेगा ।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

वहां पर बिलकुल गल्ला नहीं पहुंचाया जा रहा है। वहां हालत बहुत खराब हो गई है।

श्री अध्यक्ष—

अगर देना ही है तो नियम 51 में उसे दें लेकिन यह 56 का विषय नहीं है।

अब सदन की यह प्रवृति दिखाई देती है कि वे अपना कार्य-स्थगन में दे देते हैं यह सोचकर कि नियम 56 में नहीं तो नियम 51 में परिवर्तित होकर आसानी से स्वीकार हो जाएगा। तो आप लोग 51 के लायक 51 में दिया करें। 52 के लायक 52 में दिया करें और नियम 56 के लायक ही नियम 56 में दिया करें। श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने राष्ट्रपति के चुनाव अभियान के बारे में एक दिया है। यहां राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कोई चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

यह दोनों पैम्फलेट हमें मिले हैं, इनमें आप देखें।

श्री अध्यक्ष—

यह हमारे यहां से नहीं मिले हैं, न हमने बांटे हैं, न पिजेन-होल से बटे हैं ...

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मुझे एक मिनट आप ठीक से सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

उसकी इजाजत नहीं है। एक लक्ष्मणसिंह जी का प्रधान मंत्री और शेख अब्दुल्ला की वार्ता के बारे में है, वह भी यहां का विषय नहीं है। रामजी सिंह वगैरह ने गाजीपुर के जमानियां तहसील में अवर्षण से उत्पन्न संकट के बारे में जो दिया है। इस पर मुख्य मंत्री जी से बात करें, वह कुछ कहेंगे।

(व्यवधान)

(श्री सत्य प्रकाश मालवीय और श्री हर प्रताप सिंह साथ-साथ बोलने का, प्रयास करते रहे।)

आप क्षमा करें, यह यहां नहीं उठता है। कोई कुछ यहां बांट दे तो उसके लिए हम कहां जिम्मेदार हैं।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय—

[* * *]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग एक दल के पक्ष और विपक्ष में उठाते रहते हैं, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप बैठिये।

(श्री मालवीय के फिर भी बिना इजाजत बोलते रहने पर।)

यह नहीं लिखा जाएगा। विरोध के भी उम्मीदवार हैं और पक्ष के भी हैं, आप सब करते हैं, आप लोग जानें।

[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

बिल्कुल चर्चा नहीं होनी चाहिए। आपको इतना दुराग्रह नहीं करना चाहिये।

(व्यवधान—श्री मालवीय दो पर्चे सदन में दिखाते रहे।)

श्री अध्यक्ष—

श्री सन्तसिंह यूसुफ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

लगभग दो महीने पहले।

(व्यवधान)

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, आपका भी मत इसमें है।

श्री अध्यक्ष—

वह अलग है। वह सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत

श्री संतसिंह यूसुफ—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक मामले में आपकी मदद चाहता हूं। लगभग दो महीने पहले कानपुर के मजदूरों का प्राविडेंट फंड और पी० एस० आई० का जो मिल मालिकों ने रुपया नहीं दिया उसके बारे में एक सवाल भेजा था। एक करोड़ रुपये से ज्यादा लक्ष्मीरतन का बाकी है। उस मिल को नीलाम करने के आदेश जो भेजे क्यों नहीं हुआ, करोड़ों रूपया बाकी है, दो महीने हो गये मैंने क्वेश्चन भेजा है। दस बार आपके आफिस में गया हूं। कहते हैं कि क्वैश्चन पांच, सात दिन में आ जायगा। क्यों नहीं आया मेरी समझ में नहीं आता है। मेरा माथा ठनका है। इसमें कुछ गड़बड़ी है। आपसे प्रार्थना है इस मामले में मदद दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

कैसी मदद करें ?

श्री संतसिंह यूसुफ—

मजदूरों का पी० एस० आई० और प्राविडेंट के बारे में क्वेश्चन नहीं आया। मजदूर हमारा गला पकड़ते हैं।

[× × ×] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1974†

*राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय। श्रीमन्, जैसा कि विदित है 1972 में दिल्ली में पूरे भारत के मुख्य मन्त्रियों की, भूमि सीमा आरोपण के सम्बन्ध में क्या नीति हो इस पर निर्णय करने के लिए एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने जो संस्तुतियां कीं, उनके आधार पर मूल अधिनियम, 1972 में कुछ संशोधन की आवश्यकता पड़ी।

श्रीमन्, इसमें पहले छोटा संशोधन—इस विधयक के खंड 3 (ख) में जो है, उसमें अवयस्क की डेफ़िनीशन नहीं थी तो फ़िर से जो सलाह मिली, इसमें अवयस्क की डेफ़िनेशन इसमें होना चाहिए, इसमें संशोधन किया गया है। जो 18 साल से नीचे का हो वह अवयस्क माना जायगा।

इसके बाद उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम की धारा 4 (2) के वर्तमान प्राविधानों के अनुसार उल्लिखित क्षेत्रों में जो दो की कैटेगरीज थीं, एक सिंचित और एक असिंचित, तो उसके बीच में एक और कैटेगरी को निकाला। सिंचित भूमि का एक एकड़, ढाई एकड़ असिंचित भूमि के बराबर होगा। इसमें बीच में एक और क्लास निकाला गया। जो एक फसल हो और एक मर्तबा सिंचित हो, वह डेढ़ गुना माना जाय ढाई गुना न माना जाय। तो अब तीन कैटेगरीज हुईं, सिंचित और असिंचित जिसमें एक फसल हो और एक बार सिंचाई हो उसमें डेढ़ गुना और जो असिंचित हो उसमें ढाई गुना। एक तो इसके संशोधन की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार इस अधिनियम की धारा 3 के खंड (11) में इसी का कुछ उल्लेख किया गया है।

अब इसके बाद वर्तमान अधिनियम की धारा 5 (3) के खण्ड (ग) तथा (घ) के अनुसार कृषि विषय में शिक्षा देने वाले डिग्री कालेज व इंटर कालेज की अधिकतम सीमा क्रमशः 50 एकड़ तथा 30 एकड़ नियत की गई है। धारा 6 (च) में 1-5-69 से पहले दानोत्तर संस्थाये जो थीं उनको एक्जेम्प्ट कर दिया गया था। अब प्रश्न यह आया कि जो शिक्षा संस्थायें हैं, वे दानोत्तर संस्थायें कही जा सकती हैं। इन दोनों प्राविधानों में कंट्राडिक्शन सा मालूम हुआ। इसके साथ-साथ हमारे यहां कई जगह यूनिवर्सिटीज के जो रूल्स हैं उसमें बी० एस-सी० (एजी) के लिये 122 एकड़ होनी चाहिये। लेकिन इसमें 50 एकड़ की लिमिट रख दी गई है। तो सीलिंग के होने की वजह से पोस्ट गेजुएट नहीं हो सकते थे और इसी तरह से इंटर वाले ग्रेजुएट नहीं हो सकते। इस तरह से कृषि की इन शिक्षा संस्थाओं में एक बड़ा रोड़ा था। अब जो संस्थायें कृषि की शिक्षा देती हैं इंटर और बी० एस-सी० (एजी) तक उनको इससे निकाल दिया गया है।

इसके बाद श्रीमन्, विधेयक के खण्ड 6 के उपखंण्ड (ख) और (1) के द्वारा धारा 5 (3) की कुछ ऐसी त्रुटियों को शाब्दिक संशोधन द्वारा दूर किया जा रहा है। इसके बाद शासन की जानकारी में यह भी आया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 229 (ख) में कुछ लोगों ने फर्जी दावे दायर करके अन्य लोगों को अनधिकृत रूप से खातेदार बना लिया था और अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक का उद्देश्य निष्फल हो रहा है। इसलिये इस विधेयक के खण्ड 6 (घ) के द्वारा अधिनियम की धारा 5 (6) में एक नया स्पष्टीकरण जोड़कर इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि उक्त प्रकार से 24-1-71 के बाद उक्त धारा 229 (ख) के अन्तर्गत घोषणा में वादों के फलस्वरूप अन्तरणों की अधिकतम जोत सीमा के प्रयोजनार्थ उपेक्षा की जावेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†22 जुलाई, 1974 की कार्यवाही में छपा है।

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

इसके बाद अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम की धारा 6 (छ) के अनुसार उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन निर्बन्धित गोशाला द्वारा वृत्त भूमि को नियत सीमा तक छूट प्रदान की गई है। भूमि की सीमा नियमावली के नियम 4 के उपनियम (5) के द्वारा नियत की गई है। जिसके अनुसार प्रत्येक दस पशुओं के लिये जिसके अन्तर्गत सम्बद्ध गौशाला द्वारा अनुरक्षित बछड़े भी हैं एक हेक्टेयर सिंचित भूमि तक विमुक्त होगी।

अब इसके बाद विधेयक के खण्ड 7 (क) के द्वारा अधिनियम की धारा 6 के उपखण्ड (छ) में इस प्रकार से संशोधन किया जा रहा है कि सार्वजनिक गौशाला द्वारा जो भूमि दिनांक 8-6-73 (उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवर्तन का दिनांक को धृत होगी, केवल उसी भूमि को ही छूट दी जा सकेगी। यह जो संशोधन पेश किया जा रहा है, इसीलिये किया जा रहा है कि जिन्होंने कई तरह से जोत सीमा की सीलिंग से बचने के लिये जो कार्यवाही की थी वह अवैध समझी जाय।

(इस समय 12 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुये)

अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम की धारा 6 के खण्ड (ज) के अनुसार वह भूमि अधिनियम के प्रविधानों से मुक्त होगी जो सरकारी पट्टेदार को भूमि सुधार तथा खेती के लिए अथवा किसी विशिष्ट प्रकार की फसलों को उठाने हेतु दी जावेगी। यह शंका व्यक्त की गयी है कि इस प्राविधान का भविष्य में दुरुपयोग होगा। इसे दूर करने हेतु इस विधेयक के खण्ड 7 के उपखण्ड (ख) के द्वारा धारा 6 (ज) को निकाला जा रहा है।

अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम की धारा 8 में कुछ त्रुटियां रह गयी थीं जिन्हें शाब्दिक संशोधन करके इस विधेयक के खण्ड 8 के द्वारा ठीक किया जा रहा है।

चूंकि प्रस्तावित संशोधनों के अभाव में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा होने की संभावना है, अतः विधेयक को पूर्वगामी प्रभाव देकर उसी दिनांक से 8 जून, 1973 अधिनियमित करने का प्रस्ताव है, जिस दिनांक को उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 लागू किया गया।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि विधेयक के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए जो पूर्णतः जनहित में हैं, विधेयक को एक मत होकर पारित करने की कृपा करें।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये, जिसको परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे। मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह संशोधन विधेयक पेश किया है और उन्होंने कहा है कि इस विधेयक के द्वारा कुछ छोटे-मोटे संशोधन किए जा रहे हैं और जो अभी तक कठिनाइयां थीं उनको दूर करने के लिए यह संशोधन दिया है।

मान्यवर, मंगलदेव विशारद कमेटी की रिपोर्ट के बाद क्या समझते हैं कि इस जोत सीमा आरोपण विधेयक म कोई मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं? अब यह चीज हमारे सामने स्पष्ट रूप में आ गयी है, 1960 का विधेयक था और 1972 में उसमें संशोधन किए गये, लेकिन हमारी जो मन्शा थी वह पूरी नहीं हुई है। अगर वह मन्शा पूरी नहीं हुई है तो सरकार को फिर से सोचना चाहिए और इस कानून में

बुनियादी संशोधन किये जायं, जिससे हमारे भूमिहीन हरिजनों को जमीन मिल सके। आप कौन-कौन से कदम उठायेंगे या कौन-कौन से तरीके इसके लिए अपनायेंगे, इसकी घोषणा होनी चाहिए । मैं समझता हूं कि इस विधेयक से कोई लाभ होने वाला नहीं है और सदन का समय नष्ट हो रहा है और साथ ही साथ जनता का पैसा व्यर्थ में खर्च हो रहा है। अब तक जो नतीजा हुआ है, उसको देख लीजिए । 1960 में हदबन्दी विधेयक बना था। केवल 1 लाख 17 हजार एकड़ जमीन अब तक सरकार ने बांटी है, 40 हजार एकड़ भूमि की बंटवारे की कार्यवाही चल रही है। तो मैं समझता हूं कि कानून बिल्कुल निरर्थक हो गया है और इससे प्रदेश का कोई लाभ नहीं हुआ है ।

इसलिए मैंने संशोधन रखा है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय और उस प्रवर समिति को अधिकार दिया जाय ताकि वह इसकी परिधि बढ़ा सके और नया विधेयक इस सदन में संशोधन के बाद आवे ।

मैंने पहले भी कहा था कि यह जो हदबन्दी का कानून जब बनाया गया था तो उसका उद्देश्य कुछ और था और बनाया कुछ और ढंग से गया था ताकि बड़े काश्तकारों की जमीनें किसी तरह से बचा दी जायं । 1960 में इस तरीके से विधेयक रखा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जमीन बचाई जा सके। मान्यवर, इसमें परिवार की परिभाषा की गई है । 1960 के विधेयक की सीलिंग लागू करने के लिए जोत यूनिट माना गया। अगर किसी के नाम जमीन का कोई खाता है तो उसको यूनिट मानकर सीलिंग लगाई गयी है । लेकिन परिवार की परिभाषा 1960 के विधेयक में भी थी । उस वक्त परिभाषा थी कि किसी भी परिवार के स्त्री-पुरुष, बच्चे उस परिवार में शामिल होंगे, बालिग, नाबालिग का लिहाजा उसमें नहीं था। उसके बाद संशोधन में पति-पत्नी और नाबालिग लड़के-लड़कियां शामिल की गई थीं। ये दोनों परिभाषाएं एक दूसरे को विरोधी हैं। इससे साफ जाहिर है कि किस तरह से जमीन बचाने को कोशिश की गई है । अब इस विधेयक में परिवार की परिभाषा पढ़कर सुनाता हूं—

"Family" in relation to a tenure-holder means himself or herself and his wife or her husband, as the case may be (other than a judicially separated wife or husband), minor sons and minor daughters (other than daughters);

तो परिवार की परिभाषा पति या पत्नी जैसी भी दशा हो, उनके नाबालिग लड़के या लड़कियां आती हैं। अगर पति-पत्नी में कानूनी तलाक हो गया है तो वे अलग समझे जायगे वरना एक ही परिवार का हिस्सा समझे जायेंगे। लेकिन जब सीलिंग के लागू करने का प्राविधान किया गया तो फैमिली को किस तरह से अलग कर दिया गया। मान्यवर, इसमें धारा 5 की उप धारा (3) (1) में लिखा है :—

(*a*) in the case of a tenure-holder having a family of not more than five members, 7.30 hectares of irrigated land (including land held by other members of his family), plus two additional hectares of irrigated land or such additional land which together with the land held by him aggregates to two hectares, for each of his adult sons, who are either not themselves tenure-holders or who hold less than two hectares of irrigated land, subject to maximum of six hectares of such additional land;

(*b*) in the case of a tenure-holder having a family of more than five members, 7.30 hectares of irrigated land (including land held by other members of his family), besides, each of the members exceeding 5 and for each of his adult sons who are not themselves tenure-holders or who hold less than two hectares of irrigated land, two additional hectares of

[श्री भीखा लाल]

irrigated land or such additional land which together with the land held by each adult son aggregates to two hectares, subject to maximum of six hectares of such additional land.

श्री अधिष्ठाता--

माननीय भीखा लाल इसका हिन्दी कर दें और मैं मा० सदस्यों से आग्रह करूंगा कि जिन मा० सदस्यों को बातचीत करना है वह लाबी में चले जायं। सदन में शोर हो रहा है।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, अगर किसी परिवार के पांच सदस्य से अधिक नहीं होंगे तो उसे 7.30 हेक्टेयर भूमि दी जायगी लेकिन परिवार के प्रत्येक एडल्ट लड़के को दो हेक्टेयर जमीन दी जायगी जो एक परिवार में 6 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं होगी। मेरा जोर मान्यवर है एडल्ट सन्स पर। इसका मतलब यह है हिन्दी में कि अगर किसी परिवार में 5 सदस्यों से ज्यादा आदमी नहीं हैं तो 7.30 हेक्टेयर के अलावा उस परिवार के प्रत्येक बालिग लड़कों को, अगर वह स्वयं खातेदार नहीं है तो उसको दो हेक्टर जमीन दे दी जायगी। अगर एडल्ट सन स्वयं खातेदार है और उसकी जमीन 2 एकड़ से कम है तो उतनी जमीन उसे दे दी जायगी कि 2 हैक्टेयर हो जाय। अगर किसी परिवार में 5 से ज्यादा सदस्य हैं तो प्रत्येक बालिग लड़के को 2 हेक्टेयर जमीन दे दी जायगी, अगर उसके पास खुद जमीन है तो उसको मिला कर और अगर नहीं है तो अलग से उसको 2 हेक्टेयर जमीन दे दी जायगी।

जब फैमिली की परिभाषा आपने की तो परिवार में केवल पति-पत्नी और नाबालिग लड़के और लड़कियों को ही शामिल किया है तो इस धारा में परिवार में बालिग लड़कों को क्यों शामिल किया गया और उनके नाम पर 2 हेक्टर प्रति व्यक्ति जमीन क्यों दी गई। तो यह दोनों धारायें कन्ट्राडिक्टरी हैं, इसमें विरोधाभास है। परिवार में केवल नाबालिग लड़के और लड़कियां शामिल हैं लेकिन जब बालिक लड़कों को जमीन देने का सवाल आता है तो 5 में जोड़ दिए जाते हैं तो यह एक दूसरे के विरोधी हैं। क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि किसी तरीके से खातेदार के लिए जमीन बचायी जाय, यह मेरा सरकार पर आरोप है। सरकार की यह मंशा नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन कैसे निकाली जाय बल्कि यह है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जमीन बचायी जाय। कोई बालिग या खातेदार है तो उसको अलग परिवार मानकर हदबन्दी लागू होनी चाहिए लेकिन अगर खातेदार नहीं है या दो हेक्टर से कम है तो उसे पिता के परिवार में शामिल करके जमीन देने की व्यवस्था बिल्कुल गलत है। यह परिवार की जो डेफिनिशन है, उसके कन्ट्राडिक्टरी है।

पहले 1960 के विधेयक में बाग को छूट दे दी गयी थी, उसे सीलिंग के दायरे में नहीं रखा गया था। 1972 में जब संशोधन किया गया तो यह कहा गया कि अब बाग भूमि को मुक्त नहीं किया गया है लेकिन उसमें किस तरीके से सरकार ने बाग भूमि को छूट दी है। उसको सीलिंग में शामिल करके किया गया है लेकिन प्रोविजन क्या रखा गया है। बाग भूमि को असिंचित माना गया है। जब सिलिंग ऐक्ट में संशोधन किया गया तो असिंचित भूमि के ढाई एकड़ को सिंचित भूमि के एक एकड़ के बराबर मान लिया गया था और इस प्रकार 18 एकड़ की सीलिंग लगने पर बाग पर सीलिंग की सीमा 45 एकड़ पर रखी गई। सरकार कहती है कि हमने बाग को एक्जेम्प्ट नहीं किया लेकिन उसको सिंचित भी नहीं माना। इस प्रकार किस खूबसूरती के साथ बाग को छूट दे दी गई है। आज जो संशोधन विधेयक पेश किया गया राजस्व मंत्री जी ने कहा है कि अभी तक जो सिंचित भूमि थी उसका एक एकड़ असिंचित भूमि के 2 1/2 एकड़ के बराबर था लेकिन अब यह तब्दीली की

जा रही है कि वह असिंचित भूमि जिसमें 1 फसल होती है, और जिसमें पिछले तीन वर्षों में एक बार भी सिंचाई हो चुकी है। उसको 1 1/2 एकड़ माना जायगा। खेद की बात तो यह है कि राजस्व मंत्री बाग भूमि को एक फसल वाली भूमि भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। एक अन्य संशोधन करने जा रहे हैं कि बाग भूमि और ऊसर भूमि असिंचित भूमि मानी जायेगी। इस प्रकार राजस्व मंत्री जी बाग भूमि और ऊसर भूमि को समानान्तर की भूमि मानते हैं यह सभी जानते हैं कि बाग और फुलवारी ऐसी जमीन में लगाया जाता है जो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि होता है और सिंचाई का साधन होता है।

मैं उन्नाव का रहने वाला हूं जो कि मलिहाबाद के नजदीक है जहां सबसे अधिक बाग हैं। मेरा यह निजी अनुभव है कि कोई भी बाग तैयार नहीं हो सकता जिसमें जमीन अच्छी न हो अथवा सिंचाई की सुविधा न हो। बिना सिंचाई के बाग हो ही नहीं सकते हैं लेकिन उसको असिंचित भूमि और ऊसर भूमि के बराबर माना जाता है। यह जमीन को बचाने के लिए तिकड़म किया गया है। अगर माना जाय कि बाग भी एक फसल देता है, दो फसलें नहीं देता है, तो कम से कम एक फसल ही मान कर रखें। एक फसल वाली भी नहीं मानते। मेरे पास छोटा-मोटा बाग है। मैं जानता हूं कि आजकल औसत आमदनी बाग से 3,000 रुपया फी एकड़ से कम नहीं है। यह मिनिमम है। मैं कम करके बता रहा हूं। जनसंघ में बैठे हुए राजा साहब कहते हैं कि इससे ज्यादा होती है। सरकार की ओर के कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि ज्यादातर फसलें आ नहीं रही हैं। यही दबाव है सरकार के ऊपर। यह जो क्लिक लाबी कांग्रेस के अन्दर है और बाहर भी वह कांग्रेस पर दबाव डालती है कि हदबन्दी न लागू की जाय। उसी का प्रभाव है कि सीलिंग की यह दुर्दशा हुई मैंने पिछली बार भी कहा था जब कि चौ० चरण सिंह ने गुप्ता जी के साथ में मिनिस्टरी बनाई थी और माधव बाबू भी साथ थे तो 17 मार्च, 1970 को मुख्य मंत्री पद की शपथ लेने के बाद।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

बाग लंगूर बहुत क्षतिग्रस्त करते हैं।

श्री भीखालाल—

चौ० चरण सिंह ने ऐलान किया था कि 30 एकड़ की हदबन्दी लागू होगी—यह एलान 24 मार्च, 1970 को अमीनाबाद की सार्वजनिक सभा में किया गया। लेकिन जब दबाव डाला गया तो कह दिया कि यह तो मेरी व्यक्तिगत राय थी, कैबिनेट ने फैसला नहीं किया। तो यह कांग्रेस के अन्दर और बाहर बड़े भू-स्वामी की जो लाबी है वह जमींदारी अबालीशन के बाद नये पैदा हुए भू-स्वामी हैं।

एक सदस्य—

भीखालाल बतला दें कि कितने एकड़ बाग उनका है ?

श्री भीखालाल—

बता दूंगा। 1952 में जमींदारी अबालीशन के बाद यह लाबी सरकार ने पैदा की है, उसका बराबर दबाव सरकार पर है और वह हदबन्दी ठीक तरह से लागू नहीं होने देती जैसी कि प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। तो बाग भूमि की यह दशा है। (व्यवधान) मैं कांग्रेस के अच्छे कार्यों का समर्थक हूं और रहूंगा लेकिन आपसे ज्यादा लड़ता भी हूं। कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा न बी० के० डी० और न जनसंघ ने ही कोई संघर्ष किये हैं।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, आप मानत हैं कि सरकार से बहुत लड़ते हैं।

श्री भीखालाल—

मुझे तो बहुगुणा जी से शिकायत है कि उनका समर्थन हम करते (व्यवधान) लेकिन वह प्यार प्रदर्शित करते हैं माधव बाबू के साथ सदन में प्यार इनसे ही प्रदर्शित करते हैं। यहां लड़ते हैं, रात में क्या बातें होती होंगी और माधव बाबू क्या कह आते हैं पता नहीं....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों से कहूंगा कि आपसी छेड़-छांड़ कम करें। माननीय भीखालाल जी आपका समय ज्यादा नहीं है।

श्री भीखालाल—

10 मिनट और लूंगा। 1960 के विधेयक में किस तरह लोगों की जमीन बचाने की छूट दी गयी और 72 का जो संशोधन विधेयक आया तो पहले जो छूटें दी गयी थीं उनमें कमी न करके और रियायतें कर दी गयीं और आज भी जो संशोधन लाया गया है उसमें और रियायतें जोड़ दी गयी हैं, इन छूटों का नतीजा क्या हुआ है उसको मंगल देव विशारद कमेटी ने उजागर कर दिया है। विशारद कमेटी ने कुछ बड़-बड़े फार्मों का विश्लेषण करके बताया है, उसका नमूना यह है। एक मजीठिया फार्म है गोरखपुर में जिसका रकबा है 3,331 एकड़। इसमें सब जमीन की छूट दे दी गयी और सीलिंग से निकली केवल 29.36 एकड़ जमीन। राजा साहब, रामगढ़ का इलाहाबाद में फार्म है 1,444 बीघे का। इसमें जमीन निकली सिर्फ 215 बीघे और करीब 1,225 बीघा जमीन की छूट दे दी गयी। कुंवर चन्द्र प्रताप सिंह इलाहाबाद के हैं। इनका 4,522 बीघे का फार्म है। इसमें अतिरिक्त घोषित की गयी 4,204 बीघा जमीन लेकिन दरमियान में ही 3,205 बीघा जमीन एक सोसायटी को ट्रांसफर कर दी गयी और अदालत में उज्रदारी की गयी। प्रशासन की मशीनरी ने भी बड़े-बड़े भू-स्वामियों की मदद की। वह हस्तान्तरण स्वीकार कर लिया अदालत ने और 3,205 बीघा जमीन को छूट दे दी गयी। फिर जब देखा कि अभी जमीन निकली जा रही है तो राजा साहब ने एक और अपील की कि 416 बीघा जमीन कई मन्दिरों को ट्रांसफर कर दी है। अदालत ने वह भी स्वीकार कर लिया। नतीजा यह हुआ कि सब जमीन छूट गयी। इसी तरह से नैनीताल में एस्कार्ट फार्म है 1,382 एकड़ का इसमें 1,288 एकड़ की छूट दे दी गयी। करीब 100 एकड़ जमीन ही अतिरिक्त घोषित की जा सकी। एक फार्म है दिनेश सिंह जी का जो केन्द्र में मंत्री रह चुके हैं प्रतापगढ़ में 660 एकड़ का। उसमें से 561 एकड़ की छूट दे दी गयी। सिर्फ 99 एकड़ अतिरिक्त घोषित की गयी। राजा साहब, भदरी जो गवर्नर थे, इनका 944 एकड़ का फार्म है। छूट दे दी गयी 754 एकड़ की। मुश्किल से 225 एकड़ जमीन अतिरिक्त घोषित की गयी। मिर्जापुर के गोपालपुर फार्म का तो कुछ कहना ही क्या। उसमें एक बिस्वा भी जमीन अतिरिक्त घोषित नहीं की गयी। (एक आवाज—किस का फार्म है वह ?) सभी जानते हैं कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री, कमलापति त्रिपाठी के परिवार का है। तो इस तरह से जो छूट दी गयी उसका कितना दुरुपयोग हुआ कि उसके कारण कोई भी भूमि नहीं मिल सकी।

इस सरकार और इसकी मशीनरी ने बड़े-बड़े आदमियों को मदद दी अपनी-अपनी जमीन बचाने के लिये। विधेयक में परिभाषा की गयी है कि खातेदार कौन होगा। सन् 60 के ऐक्ट में और इसमें भी खातेदार की परिभाषा का विश्लेषण किया गया है कि कोई भूमि जो उसके नाम से है अथवा नाम से नहीं है लेकिन कब्जे में है वह भूमि उसके खाते में

समझी जायगी और उस पर हदबन्दी लगाई जायगी यानी अगर किसी खातेदार ने बेनामी ट्रान्सफर कर दिया है तो उसको नहीं माना जायगा, रद्द कर दिया जायगा, और उस सभी जमीन को उस खातेदार के साथ मिल कर हदबन्दी की सीमा लगायी जायगी लेकिन इसका कोई लिहाज नहीं किया गया और न सरकार की तरफ से कोई प्रयास हुआ और इस भ्रष्ट मशीनरी का कहना ही क्या है। नतीजा यह हुआ कि इस विधेयक के लागू होने के बाद और जो संशोधन विधेयक लागू किया गया है 24 जनवरी, 1972 के बाद हजारों ट्रांसफर्स हुये हैं और उनको नजरअन्दाज कर दिया गया है।

मैंने पहले भी इसी सदन में कहा था, केवल लखीमपुर जिले में ही आप पता लगवा लें कि इन तारीखों के बाद कितने ट्रांसफर्स हुये हैं। अदालत ने भी उन ट्रांसफर्स को वैलिड करार दे दिया है और दाखिल-खारिज भी हो गये हैं, क्योंकि उन लोगों ने किया यह कि नैक डेट में 2 रुपये के स्टाम्प पर काश्तकारों के नाम एक इकरारनामा लिख दिया कि हम तुम्हारे नाम अमुक भूमि का बयनामा कर देंगे। इसी बेसिस पर अदालत ने कितने ही ट्रांसफर्स को वैध घोषित कर दिया। मैं एक उदाहरण इसी जिले का देता हूं कि पलिया क्षेत्र में पटिहन एक जगह है जहां पर एक क्लबिटव फार्म है, वहां की हजारों एकड़ जमीन ट्रांसफर हुई है। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी जो इस वक्त शायद केन्द्रीय सरकार में किसी ऊंचे पद पर हैं उनके बच्चों और उनके परिवार के नाम से वह फार्म चल रहा है। महाराजा साहब, पटियाला के परिवार वालों के नाम से फार्म चल रहा। चूंकि बड़े-बड़े लोगों का मामला है, इसीलिये डी०एम० और एस० डी० एम० वगैरह भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जितने भी गैर-कानूनी ट्रान्सफर हुये थे, इन लोगों ने सभी को कानूनी बना दिया। मैं तो कहता हूं कि आप केवल लखीमपुर जिले में पता लगा लें कि कितने फर्जी बयनामे किये गये हैं। फिर यह देखें कि इस विधेयक से लाभ हुआ है या नहीं। सन् 1960 में यह कानून पास हुआ, उसके लिये सेलेक्ट कमेटी बैठी, भिन्न-भिन्न जगहों पर उसने दौरा किया, करोड़ों रुपया खर्च किया गया, उसके बाद संशोधन किया गया, उस पर लाखों रुपया खर्च हुआ, आज फिर आप संशोधन ला रहे हैं, मगर इस सब का नतीजा क्या हुआ? कितनी जमीन निकली? 1 लाख 17 हजार एकड़ जमीन कुल निकली है अब तक।

कई बार जमीन के बटवारे के बारे में यहां चर्चा हुई। कहा गया कि जो जमीन निकलेगी उसके बंटवारे के लिये कमेटीज बनायी जायेंगी जिलों में। इसी सदन में माननीय राजस्व मंत्री जी ने उसके लिये घोषणा की मगर आज तक वे कमेटियां नहीं बनीं। कौन सी रुकावट है इनके बनाने में?

मान्यवर, इतना समय और इतना रुपया खर्च करने के बाद भी यह जो विधेयक है वह बिल्कुल अधूरा है निकम्मा है, और बेकार है। इसलिये इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसके लिये जरूरी है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय जिसे इसकी परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो ताकि एक अच्छा विधेयक सदन में लाया जा सके।

(श्री सुखदराज सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, उन्होंने मुझसे कहा है, मैं पेश कर दूं?

श्री अध्यक्ष—

आप भाषण कर सकते हैं, संशोधन नहीं रख सकते।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, इस संशोधन विधेयक को यदि कल परसों के संशोधन विधेयक के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो हमें एक ही चीज याद आती है कि इस भूमि व्यवस्था कानून की दुर्गति इस सदन में होती है। सन् 52-53 में जमींदारी एबालिशन ऐक्ट बना और यदि मुझे ठीक-ठीक स्मरण है तो 17-18 बार से कम संशोधन इस पर न आया होगा। फिर जो भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कंसोलिडेशन ऐक्ट बना, अनेकों का हित नष्ट करके दसों बार कंसोलिडेशन ऐक्ट बना। माननीय मंत्री जी यदि संख्या में गलती हो तो उसे सुधार दें लेकिन मेरा कहना है कि अनेकों बार उसमें संशोधन हुए। इसी प्रकार लैंड रेवेन्यू ऐक्ट जो हमारे समाने कुछ दिन पूर्व आया था उसम भी अनेकों बार संशोधन हुए।

सीलिंग ऐक्ट बड़े महत्व का था। उस ऐक्ट में हम यह साफ देखते हैं कि साढ़े 12 एकड़ की सीमा बांधी गयी थी। जमींनदारी एबालिशन ऐक्ट जो बना था उससे यह समझा गया था कि इससे निकली हुई जमीन गरीबों और भूमिहीनों को मिलेगी। सीमाबन्दी का कानून इसीलिये आया कि जो जमीन बचेगी इस कानून की तहत में वह भूमिहीनों और गरीबों को दी जायेगी या जिन-जिन का उल्लेख इस विधेयक में किया गया है उनको दी जायगी। लेकिन अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐक्ट 1961 जो 1960 का मूल अधिनियम कहा जाता है, उसमें भी अनेकों बार संशोधन करने पड़े और यह संशोधन जो आज आया वह तो इस कांग्रेस सरकार के मस्तिष्क की विकृति के प्रमाण स्वरूप है। अभी थोड़े दिन पहले यह संशोधन ऐक्ट आया था। उस समय क्या इस पर विचार नहीं हो सकता था, लेकिन यह सरकार हमारे जन-धन के साथ खिलवाड़ कर रही है। मान्यवर, यह सरकार इस तरह से संशोधन लाकर लाखों रुपये खर्च करती है। सदन की बैठकें होती हैं, हमारे माननीय सदस्य उनमें अपने विचार प्रकट करते हैं और इस पर भी हमारा काफी रुपया खर्च होता है।

मान्यवर, हमारे यहां एक विभाग विधि विशेषज्ञों का है। यदि मुझे ठीक-ठीक याद है तो इंग्लैन्ड में जब कोई कानून बनता है तो उसके लिये वहां एक अलग विभाग है। जो डाकुमेंट बनाता है या एक्सपर्ट जो विधि बनाते हैं पहले उसके सामने जाता है। उसके कई पेनल्स हैं सब के बारे में कह कर मैं आपका समय नहीं लेना चाहता, लेकिन वहां कई पेनल्स हैं। जैसे ए० पेनल ने उस चीज को देखकर पेनल बी के० पास भेज दिया, फिर बी ने उसमें कुछ संशोधन करके पैनल सी० के पास भेज दिया, फिर उसको सब में परिचालित करने के बाद सबकी राय लेने के बाद जब वह पक्का हो गया, तब सदन के सामने आता है। जिससे वहां संशोधन का मौका बहुत कम आता है। हमारे यहां ऐसा नहीं है।

अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मंत्रि-मंडल को एक ब्रेन वेव आय या हमारी सरकार को एक ब्रेन वेव आया और झट से विधि मंत्रालय को लिख दिया कि यह संशोधन कर दो और वहां संशोधन हो गया। फिर दोबारा-तिबारा बार-बार संशोधन होता रहता है। मैं समझता हूं कि ऐसा मखौल हिन्दुस्तान की किसी भी विधान सभा में नहीं होता जनधन के साथ, जैसा कि इस उत्तर प्रदेश की विधान सभा में होता है। आप स्वयं देखें, मैंने माना कि इस संशोधन की आवश्यकता है लेकिन यही चीज सोच समझ कर पहले क्यों नहीं लाये। आप इसको रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट देना चाहते हैं तो पहले ही सारी बातों को सोच समझ कर रखना चाहिए था। आपके कानून के आधार पर किसी ने अपनी राय कायम कर ली और फिर आप उस कानून को रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट देना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सब को डवाडोंल स्थिति में रखना चाहते हैं कि पता नहीं कल, परसों या नरसों क्या संशोधन आ जाय। जो कुछ भी कार्यवाही कीजिये, चाहे घटा कर ही सीमा रख दीजिये, अपने सिद्धान्त के अनुसार, लेकिन एक बार कीजिये। यह क्या है कि आपका बहुमत है तो आप रोज-रोज कानून को बदलते रहें और उसमें संशोधन लाते रहें।

मान्यवर, मुझे तो यह पढ़कर चिढ़ हुई, पहले मैंने इसको पढ़ा नहीं था लेकिन आज सुबह जब मैं अपने कमरे में बैठकर इसे पढ़ने लगा तो मैं उसमें उलझ गया कि बिना मेरिट में गये, यह सरकार जनता के साथ एक मखौल कर रही है। इस विधेयक के उद्देश्य में कहा गया है:—

"जुलाई, 1972 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में अधिकतम भूमि सीमा अवधारित करने के लिये राष्ट्रीय मार्ग-दर्शक सिद्धान्त तय किये गये थे, और उन्हीं के आधार पर सरकार ने उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिकतम संख्या 18,1973) अधिनियमित किया था। अधिनियम के कतिपय उपबन्धों में और सुधार करने के लिये यह संशोधन विधेयक, पुरःस्थापित किया जा रहा है।

मान्यवर इसके पहले उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 18, 1973 अधिनियमित किया गया था। आपने कहा है कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में अधिकतम भूमि सीमा अवधारित करने के लिए राष्ट्रीय मार्ग-दर्शक सिद्धांत तय किये गये थे, और उसी के अनुसार यह लाया जा रहा है। मैं कहता हूं आपने उस समय हम लोगों की कोई राय नहीं ली कि ऐसा करने जा रहे हैं। आपने इसे उस समय हम लोगों के सामने नहीं रक्खा जिससे हम आपस में विचार करके, आपसे गम्भीरता पूर्वक विचार करके कुछ निष्कर्ष निकालते और तब इस पर पब्लिक का रुपया खर्च किया जाता। आपने जो हमारे विधि विशेषज्ञ हैं उनके मस्तिष्क का प्रयोग ही नहीं किया। मंत्री जी ने सोचा और कहा यह कर दो, ऐसा संशोधन कर दो और संशोधन रख दिया गया। पर यह विचार ही नहीं किया जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा। यही कारण है कि संशोधन बराबर किये जाते रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि इस संशोधन को लाने के बाद आप फिर संशोधन लायेंगे।

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने अनेक बातों को कहा। कहीं-कहीं पर हमारे उनके सिद्धांतों में अन्तर हो सकता है। वह सब बातें तो कहते हैं और फिर कांग्रेस का ही साथ देते हैं। मैं भी उनके साथ हूं कि गरीबों को जमीन मिलनी चाहिये, भूमिहीनों को जमीन मिलनी चाहिये। जो लोग पिछड़े हैं उनको जमीन मिलनी चाहिये। जो बातें उन्होंने कही हैं मंत्री महोदय को उन पर विचार करना चाहिये।

मान्यवर, इसमें मेजर और माइनर की बात है। इस पर भी विचार करना चाहिये था। मान लीजिए 2 लड़के हैं। जो मेजर है उसकी उम्र 19 साल की है। उसने पार्टीसिपेशन सूट दाखिल कर दिया, उसका तो बंटवारा हो जायेगा। जो माइनर है, जिसकी उम्र 17.5 साल है वह पारटीसिपेशन सूट दाखिल नहीं कर सकता, उसकी गलती यही है कि वह माइनर है कितना माइनर है केवल 6 महीने। तो आप ऐसा कानून क्यों बनाते हैं जो उचित न हो। मैं इसकी मैरिट पर नहीं जाता आप इस पर विचार करें।

मान्यवर, इसमें विद्यालयों की बात कही गयी है। मैं माल मंत्री जी का बड़ा आदर करता हूं। मैं उनसे बड़ा स्नेह रखता हूं। आप संभावना से ले आते हैं कि गरीब का हित होगा। मैं भी उसके साथ हूं लेकिन असल में होता और कुछ है, गरीब मारा जाता है। मैं आपका ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूं। अनेकों ऐसे विद्यालय हैं और डिग्री कालेज हैं, अनेकों इंटरमीडिएट कालेज हैं जिनके पास भूमि पड़ी हुयी है। उसमें खेती नहीं होती है। डिग्री कालेज के प्रिंसिपल और मैनेजर खाया करते हैं। कहीं 5-6 बीघे पर खेती होती है और बाकी जमीन पड़ी रहती है। गरीब बेचारा उससे महरूम रहता है। मान्यवर, उदाहरण के लिये बांसी का डिग्री और इंटरमीडिएट कालेज देख लिया जाय। बस्ती जिले

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

को देख लें। ऐसे ही अनेकों जिले हैं जहां पर जमीन का दुरुपयोग किया जा रहा है। जहां सदुपयोग होता है वहां की बात को मैं नहीं कहता हूं। मान्यवर, इस पर भी विचार की आवश्यकता है।

मान्यवर, सीलिंग ऐक्ट से एग्जम्प्शन की बात है। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। मेरा एक ही निवेदन है कि इस चीज की ओर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और किसी निष्कर्ष पर तभी पहुंचे। आपने अभी भाषण में कहा कि एक वर्ष तक जिसकी सिंचाई हुई हो। मान लीजिये एक वर्ष सिंचाई हुयी हो और उसके बाद सिंचाई की संभावना न हो एक साल किसी गडढे या कहीं से सिंचाई हो गयी हो और दूसरे वर्ष सिंचाई की संभावना न हो तो ऐसी जमीन को आप क्या मानेंगे सिंचित या असिंचित। आपने कहा है कि निजी सिंचन संकर्म, प्राइवेट सिंचन संकर्म। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

आपने डिप्टी कलेक्टरों की जांच की बात की है। मैं भी कहता हूं कि अगर वह अपने विवेक का प्रयोग करें तो वह न्याय कर सकते हैं। और यदि वे चाहें तो वह उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। एक वर्ष तक अगर सिंचाई हो जाय तो उसे सिंचित मान लिया जाय इस पर विचार करें। इन बातों को दृष्टि में रखते हुए मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि आप इस पर विचार करने का अवसर दें।

हमारे भीखा लाल जी ने ठीक कहा है कि आपके दल में ऐसे अधिकांश लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जमीन बचा ली है। यहां एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई जसे कि हमारे श्री फखरुद्दीन अली साहब के पास बहुत जमीन मौजूद है। आपके सबसे ऊंचे आदमी इस दोष से बरी नहीं हैं। आप अरबन सीलिंग ऐक्ट नहीं लाये। आपने जितनी मुमकिन सहूलियतें हो सकती थीं वह अपने पिट्ठुओं, अपने मेम्बरों और पूंजीपतियों को दे दीं। वह अरबन सीलिंग ऐक्ट उस समय आयेगा जबकि सभी मामले ठीक हो जायेंगे और तब हरी झंडी हो जायेगी और अरबन सीलिंग ऐक्ट आ जायेगा। मैं आपकी नेकनीयती पर शक नहीं करता हूं। लेकिन आप अवसर दीजिए और हमारे और श्री सुखद राज सिंह तथा भीखा लाल जी ने जो संशोधन दिया है उसका मैं समर्थन करता हूं। उनकी बातों का इसमें समावेश होना चाहिये अन्यथा फिर इस विधेयक में संशोधन करना पड़ेगा। इसलिये आप एक अवसर दीजिये।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय, अधिष्ठाता महोदय, मैं यह जो इस समय विधेयक पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं इसके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले 1960 में भूमि सीमा आरोपण बिल पेश किया गया था और उसमें यह कहा गया था कि 4 लाख एकड़ जमीन इससे निकलेगी। लेकिन उस अधिनियम में बहुत कमजोरियां थीं इसलिये 4 लाख की जगह करीब 2,32,000 एकड़ जमीन निकली और उसमें 2,01,000 एकड़ का इंतजाम हो सका। उस समय लोगों ने अपनी जमीन को बचाने में मुकदमें अदालतों में दाखिल कर दिये और 13 वर्ष होने के बाद आज करीब 218 मामले अनिर्णित अदालतों में चल रहे हैं। तो इस तरह से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि सीमा आरोपण के संबंध में जो भी मुकदमें हों उन्हें जल्दी से जल्दी तय करने की व्यवस्था हो क्योंकि जब मुकदमें तय नहीं होते हैं तो बड़ी-बड़ी जमीन के जो मालिक होते हैं उस जमीन पर बराबर काबिज रहते हैं और जोतते रहते हैं। इसलिये ऐसी व्यवस्था करके जो भी जमीन निकले उसके मामले जल्दी तय हों जिससे इस कानून का फायदा उठाया जा सके।

मान्यवर, सीलिंग ऐक्ट में जो 1972 में दूसरा संशोधन किया गया उसमें भी लोगों ने जमीन को बचाने की तरकीबें निकाल लीं। मैं आपका ध्यान श्री मंगलदेव

विशारद भूमि व्यवस्था जांच समिति की रिपोर्ट के परिशिष्ट 19 की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने एक सूची दी है और लिखा है कि उत्तर प्रदेश में 50 एकड़ से अधिक कृषि के फार्म ऐसे हैं जिनका इंद्राज कई व्यक्तियों के नाम में है परन्तु जिनका प्रबन्ध एकजाई होता है। उन्होंने 270 लोगों की सूची ऐसी दी है जो कि बड़े-बड़े 50 एकड़ जमीन या उससे अधिक के फार्म जोत रहे हैं लेकिन कागज में कहने के लिये और भी नाम लिखा लिये गये हैं। यह सीलिंग से बचने के लिये किया है।

मान्यवर, इस तरह से फार्म 500 एकड़ के पड़े हुये हैं, आपके पड़ोस के जिले में ही हैं सरकार को ऐसा उपाय करना चाहिये कि उनसे जमीन निकाली जा सके। मान्यवर, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बड़े-बड़े फार्म हैं लेकिन कागजात में दूसरे बहुत से नाम हैं उसके कारण सीलिंग का अधिनियम उन पर लागू नहीं होता, ऐसे जो जमीन चोर हैं, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उनसे जमीन निकाली जा सके।

एक बात बाग के सम्बन्ध में भी कही गई। जो संशोधन माननीय मंत्री जी ने रखा है कि दो फसली सिंचित भूमि की सीमा 18 एकड़ रखी गई और असिंचित भूमि की सीमा ढाई एकड़ रखी गई है, मैं उससे सहमत हूं और उचित ही है। कारण यह है कि एक फसली जो भूमि होती थी उसमें बहुत सी जमीन जो बड़ी-बड़ी जमीन वाले लोग थे, वह एक फसली असिंचित भूमि में उसकी गणना कर लेते थे और वह डेढ़ एकड़ के बदले ढाई एकड़ कर लेते थे, अब वह नहीं कर पायेंगे। इसके साथ ही जैसा माननीय भीखा लाल जी ने एक बात कही बाग के सम्बन्ध में, यह बात उनकी उचित मालूम होती है कि बाग की जमीन एक फसली मान लिया जाय, दो फसली न माना जाय बाग की जमीन को भी एक फसली मानकर उसकी भी गणना इसी एक फसली जमीन में की जानी चाहिये।

चकबन्दी में भी लोगों ने जो बड़े-बड़े जमीन मालिक थे तिकड़म करके जमीन को बचा लिया। चकबन्दी जब होने लगी तो उन्होंने कुछ लोगों से जो उनके अपने ही थे, उजुरदारी करा दिया और फिर वहां जाकर चकबन्दी अधिकारी से कह दिया कि उनको यह बात उचित है और वह जमीन पर काबिज थे, यह जमीन उनको मिलनी चाहिये। इस तरह से उन्होंने हदबन्दी से बचने के लिये कुछ लोगों से उजुरदारी करा दी।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्द शहर)---

माननीय सदस्य भीखा लाल जी के संशोधन का समर्थन कर रहे हैं अथवा बिल का।

श्री माता प्रसाद---

मान्यवर, मैं कह रहा था कि चकबन्दी अधिकारी भी उन्हीं की बात मानकर उन आदमियों के नाम जमीन कर दिया करता है। इस तरह से चकबन्दी में बहुत सी जमीन निकल गई। मान्यवर, मैं समझता हूं कि आज जो सीलिंग की गई है उससे कुछ सीमा और कम करनी पड़ेगी क्योंकि जितनी ही छोटी जमीन होगी उतनी ही किसान ज्यादा मेहनत कर सकता है, उतनी ही पैदावार ज्यादा हो सकती है। जापान का उदाहरण है। जापान में साढ़े 7 एकड़ से ज्यादा खेत किसी के पास नहीं है, लेकिन पैदावार हमारे देश से ढाई गुनी ज्यादा है। तो इस तरह से मैं चाहता हूं कि 10 एकड़ से ज्यादा हदबन्दी नहीं होनी चाहिये। जब तक सरकार यह नहीं करेगी, तब तक जो मंशा है कि जिस व्यक्ति की जितनी छोटी जोत होगी, उतना ही वह अच्छी तरह से जोत-बो और देखभाल कर सकेगा। अगर उतनी जमीन मिलती है तो वह अच्छी तरह से देख सकता है।

एक बात मैं और यह कहना चाहता हूं कि यह जो सीलिंग का कानून है आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने एक कमेटी बैठाई थी जिसमें बहुत से मेम्बर्स थे, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी एक कमेटी बैठाई थी उसने भी एक रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के बावजूद भी जब उत्तर प्रदेश हदबन्दी कानून बना, बहुत सी छूटें दे दी गईं? जैसे मान्यवर बहुत से ट्रस्ट थे, धार्मिक

[श्री मन्ता प्रसाद]

संस्थायें थीं उनको एकदम छूट दे दी गयी। आज शिक्षा संस्थाओं पर छूट दी जा रही है। जो कृषि की संस्थाएं हैं उनको तो छूट दें लेकिन जिन संस्थाओं में कृषि की पढ़ाई नहीं होती उनको छूट न दें क्योंकि जो बहुत सी जमीन इन संस्थाओं को मिली हुई है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार हदबंदी की सीमा कम की जाय, जो खामियां हैं उनको दूर किया जाय तभी वास्तव में जनता का फायदा होगा और उत्पादन बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, अभी जो इस ऐक्ट पर तकरीरें हुई हैं उनमें सबसे पते की बात माननीय नेता जनसंघ ने कही। उन्होंने यह कहा कि बार-बार इस तरह के कानून बनाने और उनमें संशोधन करने से एक गैर यकीनी हालत यानी अनसरटेनटी पैदा हो गयी है। यह बात बिल्कुल सही है। अब से दस, बारह साल पहले एक कानून बना था कि बारह एकड़ से ज्यादा कोई किसान नहीं खरीद सकता। फिर यह बना कि 30 एकड़ से ज्यादा कोई नहीं रख सकेगा, फिर 18 एकड़ वाला बना और अब यह संशोधन आ गया है। ऐसा लगता है कि बजाते खुद सीलिंग का कोई मकसद नहीं है। यह महज एक वोट कैचिंग डिवाइस है कि इलेक्शन के पहले लोगों से वोट लेने के लिए एक ढपली पीट दी। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह ईमानदारी से बतला सकते हैं कि इस सीलिंग का मकसद क्या है?

श्री अधिष्ठाता—

एक चीज आपको बतला दूं। आप बोल रहे हों या मंत्री जी बोलते हों तो यह जो आपने कहा कि माननीय मंत्री जी ईमानदारी से बतला दें तो ऐसा कथन अनुचित है क्योंकि जो भी माननीय सदस्य बोलता है वह अपनी जानकारी के हिसाब से सही बोलता है।

श्री काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन—

बहुत बहुत शुक्रिया।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य शायद इसका मतलब समझे नहीं। यह संशोधन उस बाबत है जो जमीन निकाली जा रही है।

श्री काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन—

मैं अभी माननीय नेता जनसंघ ने जो बात कही थी उसको दोहरा रहा हूं कि बार-बार कानून बनाने से एक तरह की अनसरटेनटी पैदा हो गयी है। मान्यवर, उसका एक सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि पढ़ा-लिखा आदमी खेती की तरफ नहीं आ रहा है। मैं आपकी इजाजत से अपनी बात कहता हूं। मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूं। जिस समय मैंने बी० ए० किया तो वी० सी० साहब ने कहा कि तुम एम० ए० क्यों नहीं करते। अच्छे स्टूडेंट हो, एम० ए० कर लो, युनीवर्सिटी में जगह मिल जायगी। तुम्हारा फ्युचर बन जायगा। मैंने कहा कि मैं खेती करूंगा। मैं घर गया और मैंने खेती शुरू की। खेती के काम में भी अगर एक पढ़ा-लिखा आदमी करेगा और बाकी पढ़ा आदमी करेगा तो एक अन्तर दिखाई पड़ेगा। जब मैंने खेती का काम किया तो मेरे घर पर भी अन्तर दिखाई दिया। पैदावार बढ़ी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि मैंने गलती की। अब

सोचता हूं कि अगर मैं तहसीलदार हो जाता, नायब तहसीलदार बन जाता, तो अपने बच्चों को पढ़ा सकता। मुझे पता होता कि इतन मेरी आमदनी होगी, इतनी मेरी पेंशन होगी लेकिन आज खेती करने पर अफसोस होता है कि मेरा तथा मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा ? (व्यवधान) आज मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि सब काम कर लेना लेकिन खेती मत करना।

मान्यवर, सीलिंग ऐक्ट्स का मकसद यह है कि पैदावार बढ़े और देश में समानता आये हम किसान बड़े खुशी से हर उस कानून का इस्तकबाल करते हैं जो समानता लाने के लिये हो। आप देखें कि 20 एकड़ जमीन की ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपये की कीमत उत्तर प्रदेश में होगी। लेकिन साथ-साथ एक सरमायादार के पास मर्सेडीज तथा शिवरलेट कारें होती हैं जिनकी कीमत ढा-ढाई लाख रुपये है। हमारे किसानों की सम्पत्ति की कीमत उनकी कारों के बराबर होना भी यह सरकार नहीं देखना चाहती। यह कैसा सोशलिज्म है। क्य सोशलिज्म किसानों के लिये और डेमोक्रेसी सरमायादारों के लिये है जिसमें हमारी कुल सम्पत्ति से ज्यादा कीमत उनकी कारों की हो ? इसमें कैसे समानता आयेगी ? जहां तक पैदावार बढ़ाने का सवाल है और ईमानदारी से सारी जमीन भूमिहीनों में बांट दी जाय तो इससे पैदावार घटेगी, बढ़ेगी नहीं। आप तजुर्बा करके देख लें एक एकड़ जमीन भी बांटने पर हिस्से में नहीं आयेगी। यह सब कुछ हरिजनों तथा भूमिहीनों के फायदे के लिये किया जा रहा है मैं इससे असहमत हूं। यह क्यों समझ लिया गया हरिजन कभी बैठ ही नहीं सकता ढाई लाख की कार में वह इस लायक है ही नहीं कि वह ढाई लाख की कार में बैठे ? एक, दो एकड़ जमीन आप उसे दे देंगे इससे वह कभी ढाई लाख की कार में नहीं बैठ सकता। कोशिश आपकी यह है कि इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट के विजनेस और बड़ी फैक्टरीज से ध्यान हटा कर उसकी तवज्जह इधर लगा दी जाय। लेकिन आप सोचें कि एक एकड़ का काश्तकार कैसी जिन्दगी गुजारेगा ? क्या बच्चों को पढ़ायेगा, क्या उनको खिलायेगा। इस प्रकार भूमिहीनों तथा हरिजनों को अपने रास्ते से हटाने के लिये मालदार लोगों की एक साजिश है। वह ऊपर की तरफ सोच ही नहीं सकता।

बाग के बारे में श्री भीखालाल जी ने फरमाया कि 1 एकड़ में बाग तीन हजार रुपये की आमदनी देता है। बात बेशक सही है लेकिन हर बाग की नहीं होती। कितने दिन के बाद होता है 15 साल के बाद सही मानो में बाग फसल देता है (व्यवधान) उसके लिये इन्तजार करना पड़ता है। इसके अलावा साइंटिस्ट जैसा बतलाते हैं वन से तीन फायदे हैं। गन्दे एटमासफियर को साफ करता है। लकड़ी देता है, और इससे बारिश अधिक होती है। यही फायदे बाग से भी हैं। लेकिन चौथा फायदा यह है कि उससे फल भी मिलता है। पांचवां फायदा यह है कि साथ-साथ छोटी-मोटी खेती भी होती है जिससे फल की पैदावार बढ़ती है। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। जिस बाग में खेती होता है उसे मजरुआ जमीन समझ लिया जाता है। इससे नुकसान होगा। बाग बरबाद हो जायेंगे और किसान जो पशुओं के लिये उसमें चारा बरसीम बो देता है वह नहीं बो सकेगा और जानवर नहीं पाल सकेगा। 90 फीसदी मेम्बरों की इस सदन की यह राय है इस तरह के संशोधनों के बारे में कहने का मतलब यह है कि जो मैं कह रहा हूं वह उस तरफ के बैठने वाले लोग भी सोचते हैं लेकिन अन्तर केवल इतना है कि मैं कह सकता हूं और वे बेचारे कह भी नहीं सकते। अन्त में एक शेर कह देता हूं—

इधर से भी है सिवा, कुछ उधर की मजबूरी,
कि हमने आह तो की, उनसे आह भी न हुई।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय भीखालाल जी मुझसे सहमत होंगे कि आजतक किसी भी सदन में कोई ऐसा अधिनियम नहीं बना है जिसमें संशोधन लाने की आवश्यकता न पड़े । मैं समझता हूं कि इस संशोधन को लाने की जो मंशा है वह सही है । इस संशोधन को लाने से हमारी जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं वे हल हो जायेंगी । यह इस बात का प्रतीक है कि शासक दल ईमानदारी से इस अधिनियम को लाना चाहता है और उसके रास्ते में जो कठिनाइयां हैं उन्हें दूर करने के लिये वह जागरूक है । विरोधी दल के पास तो रामवाण चूर्ण है जो कि हमेशा हर विधेयक के लिये कहता है कि प्रवर समिति के सुपुर्द करो । यही यहां पर देखा जाता है । मैं इस संशोधन का समर्थन करते हुये कुछ बुनियादी बातों की तरफ आपके जरिये इस सदन का ध्यान दिलाऊंगा ...

श्री अधिष्ठाता--

आप संशोधन का समर्थन कर रहे हैं यह संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं ?

श्री ईश्वरी सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहा हूं । समय को बचाने के लिये कुछ शब्द अन्डरस्टुड कर गया । सबसे बड़ी बुनियादी चीज यह है कि जैसा माननीय भीखालाल जी और माननीय त्रिपाठी जी ने कहा है कि जो भी संशोधन हम लायें उस पर हम सख्ती के साथ अमल करें । इस बात की आज जरूरत है । विरोधी दल के नेताओं से हम उनकी इस बात पर सहमत हैं । श्रीमान् जी, जमीन चोरों का एक अलग वर्ग होता है वह शासक दल में भी हैं और विरोधी दल में भी हैं लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम उनको ऊपर लाना चाहते हैं और वे उस पर पर्दा डालना चाहते हैं । जो सीलिंग ऐक्ट लाया गया तो उसके सम्बन्ध में जिलाधिकारियों ने जो जांच की वह बिलकुल असत्य है, झूठ है, फरेब है । हर जिले में इसकी मिसालें हैं । जहां पर सीलिंग से जो जमीन निकलनी चाहिए थी वह नहीं निकली है । यह तथ्य है और इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है । इसीलिये हमारी पार्टी द्वारा एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है किन्तु वह सही तरीके से अमल में नहीं लाया गया ।

भूमिहीनों को जमीन नहीं दी जा सकी । जो उनकी आकांक्षायें और आवश्यकतायें थी वे उन्हें नहीं दी गई । इसका क्या कारण है । मान्यवर, मैं निहायत अदब के साथ माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि जो हमारी पार्टी की बुनियादी नीति है कि आज खेती का समाजवादी स्वरूप क्या हो, जमीन की जोत का हम क्या पैटर्न रखना चाहते हैं क्या हम किसानों की आमदनी का पैटर्न रखना चाहते हैं । देश और प्रदेश की खेती का क्या स्वरूप रखना चाहते हैं इसका नक्शा हमें अपने दिमाग में साफ करना है और उसकी जिम्मेदारी हमारे राजस्व मंत्री जी की सबसे पहले है । यह एक ईमानदारी की बात है और सोसलिस्ट पेटर्न में हम मानते भी हैं कि अपने प्रदेश में खेती के संबंध में और खासतौर से जोत के सम्बन्ध में कोई एक विशेष समाजवादी पैटर्न रखने में हम असमर्थ हुये हैं । हमारे दिमाग में नक्शा साफ नहीं है कि वह ज्यादा से ज्यादा कितना होगा और कम से कम कितना होगा जिससे हम तरक्की कर सकें ।

हमारा प्रदेश जो कि खेतिहर पैदावार में सबसे आगे माना जाता था वह कमी का सूबा होता जा रहा है । यह चीज आज हमारे सामने मौजूद है । हमें यह देखना है कि इस कमी के सूबे को बहुतायत के सूबे में हम कैसे परिवर्तित कर सकते है ।

यह प्रश्न हमारे सामने निरन्तर बना हुआ है। यह बुनियादी बात मैंने इसलिए उठाई कि यह संशोधन विधेयक कठिनाई दूर करने के लिए है। इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं है, न इसका कोई सवाल है। जमीनों के बारे में जो बुनियादी भावना उनकी है, वही हमारी भी है और बहुत से विरोधी पार्टी के सदस्यों की भी वही है कि जमीनों की जोत का क्या पैटर्न शुरू करना चाहिए। क्योंकि इस समय इस संबंध में दो भावनाएं हैं। एक तो यह है कि जमीन की सीलिंग होते-होते वह 5–6 एकड़ पर पहुंच जाए। मैं ऐसे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भूमि की सीमा लागू करने का सवाल है वहां उसके साथ मनुष्य की सोचने की शक्ति का भी सवाल है। जो आज टेरीलीन की बुशर्ट पहनता है, उसको भैंसे की पूंछ मरोड़ने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है।

इस देश में कृषि के ढंग में नित्य नये परिवर्तन हो रहे हैं और भविष्य में और अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। ट्रैक्टर्स चलेंगे, पम्पिंग सेट्स चलेंगे तथा उससे भी आगे बढ़कर नये-नये कृषि यंत्र इस्तेमाल होंगे। तो 18 एकड़ की जो सीलिंग है उससे ऊपर या नीचे जाने से तो प्रदेश में एक संशय और भ्रम की स्थिति पैदा होगी और इस तरह की बार-बार बात करके जनता के मन में भ्रम ही पैदा करेंगे। इसलिए हमें यह तय करना है कि हमें इससे न नीचे जाना है न ऊपर जाना है। यह बराबर बांटते चले जाओ कहना ठीक नहीं है। शत प्रतिशत प्रदेश की आबादी खेती में नहीं लगायी जा सकती है, उद्योग धन्धों, नौकरी तथा दूसरी तरफ़ भी वह लगायी जाएगी खेती हेतु जमीन सबको नहीं दी जा सकती है। सबको आबादी की जमीन देनी पड़ेगी, लेकिन खेती की तरफ ही उनको सबको लगा दें, यह मैं नहीं मान सकता। जिनको लगाया जाए, उन्हें अच्छी तरह से लगाया जाए, उन्हें अच्छी आमदनी दें, अच्छे तरीके और साधन दें और उन्हें आत्म-निर्भर बनाकर देश को अन्न के मामले में आत्म-निर्भर बनावें, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। केवल जमीन बांट देना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिये। इससे आप यह न समझें कि मैं भूमिहीनों को जमीन देने के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन जो देहात में रहते हैं, वे जमीन ही जोतेंगे, उद्योग-धंधे में नहीं जाएंगे या नौकरी नहीं करेंगे, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। फिर भी यह प्रवृत्ति नितान्त गंदी है जो जमीन की चोरी करते हैं और गलत खाते से जमीन निकालकर चोरी कर लेते हैं। तो यह दोनों प्रवृत्तियां भ्रामक हैं और अब इन दोनों का सन्तुलन करके चलना होगा। मैंने इस बिल के संबंध में यह बात कही। मैं आपको बहुत आभारी हूं, जो आपने बोलने का समय दिया।

*कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर) --

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा इसके ऊपर बोलने का विचार पहले से नहीं था। लेकिन कुछ बातों को सुनने के बाद, कुछ बातों को कहने की मेरी भी इच्छा हुई, जिससे शायद कुछ अक्ल हमारी सरकार को आ जाए। तो उसके पहले कि मैं अपनी बात कहूं, मैं राजस्व मंत्री जी से यह बात मालूम करना चाहूंगा कि यह संशोधन जो वह सीलिंग पर ले आए हैं, यह किस नीयत से है? एक तो यह हो सकता है कि जमीन बांटकर हर किसी को देनी है अथवा यह हो सकता है कि उपज बढ़ाना है। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी कृपा करके मेरी सहायता करें और यह बता दें कि किस नीयत से यह लाया गया है, ताकि मैं आगे निवेदन करूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

आपने इसका उद्देश्य पढ़ा होगा और वही मंत्री जी की नीयत है। यह आपको मानकर चलना है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

वह तो ठीक है, लेकिन बराबर जमीन के टुकड़े छोटे करने का उनका क्या इरादा है। उद्देश्य में दूसरी चीज है। मंत्री जी से मैं अस्लियत जानना चाहता हूं। जमीन छोटी करके वह जो बांटना चाहते हैं, वह किस नियत से करना चाहते हैं—खाद्यान्नों की उपज बढ़ाने के लिए या लोगों को जमीन को बांटने के लिए ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

राज्य सरकार की नीयत उसके उद्देश्य में स्पष्ट है। लेकिन माननीय सदस्य की नियत क्या है ?

कुंवर श्री पालसिंह—

मैं अपनी नीति अब निवेदन करूंगा। आपने अपनी नीति निवेदन कर दी। कह दिया कि आपकी कोई नीति नहीं है। तो म अपनी बतलाता हूं। यदि आप जमीन के टुकड़े करके बांटना चाहते हैं तो आपके पूर्व वक्ता जो बोले उन्होंने जो बात कही वह बिलकुल सत्य है। आप चाहते यह हैं कि पूरा प्रदेश इस दरजे दरिद्र हो जाय कि किसी के पास भोजन न रह जाय ।

श्री ईश्वरी सिंह—

यह बात नहीं कही मैंने। आप मेरी बात समझ गये हैं लेकिन उसको गलत इंटरप्रेट न किया जाय ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

एक चौपाई की अर्द्धाली पर अर्थ करने लग जायंगें तो मुश्किल हो जायगा। पूरी बात सुन लीजिये। उसके बाद सोचिए कि मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं, आप मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं, या अपने मंत्री की बात का समर्थन कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन अगर छोटे-छोटे टुकड़े करके सबको दी गई तो जैसा आपने कहा टेरिलीन की पैंट और बुशशर्ट पहनने वाला भैंसे की पूछ नहीं ऐंठेगा। जसा फिर एक माननीय सदस्य बोले, कि पढ़ा-लिखा आदमी जब तक खेती पर नहीं जायगा उपज नहीं बढ़ेगी। अगर खाली भैंसे की पूछ ऐंठने वाला चाहते हैं तो दो-दो एकड़ बांट दीजिये। जो भैंसे की पूंछ ऐंठ सकेगा वह उठेगा। खाने को नहीं पाये तो मर जायगा। अगर आपको उपज बढ़ानी है तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत को आप झुठला नहीं सकते। संसार के जितने अर्थशास्त्री हैं सब का कहना है कि जो भी देश, उसकी आबादी का जितना बड़ा हिस्सा खेती पर आधारित होगा उतना ही गरीब होगा। अमेरिका में 40 प्रतिशत लोग खेती पर आधारित थे। उन्होंने घटा कर 7 प्रतिशत कर लिया है। सात प्रतिशत खेती पर लगा कर हालत क्या है ? कि समाजवादी देश और जो देश समाजवादी बनने के लिए अभी कसरत कर रहे हैं, उनको अमेरिका भोजन दे रहा है। उसके बाद भी उसके पास इतना गल्ला बच जाता है जो उसके यहां कोयले से सस्ता पड़ता है और अपनी मिलों में झोंक देता है ।

हमारे यहां सरकार उसके बिलकुल उल्टा सोचती है। मगर क्या सोचती है यही नहीं समझती है। खुद अपना दिमाग नहीं बना पायी है कि कहां पहुचना है। इनका विचार एक मर्तबा होता है कि दिल्ली की तरफ चले चलें। फिर सोचने लगते हैं कि बनारस की तरफ चले चलें।

फिर सोचते हैं कि गोरखपुर की तरफ होकर चलें। फिर सोचते हैं कि झांसी चले जायं। कुछ तय नहीं कर पाये हैं कि कहां जायेंगे। इधर तो सीलिंग लगाकर चाहते हैं कि छोटी-छोटी होल्डिंग हों। फिर हम देखते हैं कि जो ट्रैक्टर बना रहे हैं 50 हार्सपावर से कम का ट्रैक्टर बनाने का कोई कारखाना सरकार के पास नहीं है। क्या वह 6 एकड़ के खेतों में चलेंगे? अगर छः एकड़ के खेतों में ट्रैक्टर चलाने का इरादा था तो छोटे ट्रैक्टर के कारखाने होने चाहिये। (व्यवधान) जी हां। वही मैं निवेदन करना चाहता था। छिपाते हैं आप अपनी बात को। जो छिपाते हैं वही मैं कहना चाहता था जो माननीय सदस्य ने, किसी ने बैठे-बैठे कह दिया। लेकिन दिल की बात कह दी। आप सामूहिक चाहते हैं। खुलासा कहिए। फिर क्या तमाशा लगाये हुए हैं?

एक सदस्य—

आप अमेरिका का जिक्र कर रहे थे।

श्री अधिष्ठाता—

यह मुनासिब नहीं है। इस तरह से छेड़छाड़ करते हैं आप लोग, समय सदन का अनावश्यक रूप से नष्ट होता है।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

श्रीमान् जी, क्या करेंगे, दिल की बात मुंह पर आ गयी। इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी बात कहें। उनकी बात जाने दीजिये।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

उन्होंने जो बात कही बिल्कुल सत्य कही। सरकार इस वक्त अभी सहकारी का नाम ले रही है कि सहकारी फार्म होंगे, यह उनके मन में है, और सहकारी फार्म का अन्त होगा सरकारी पर जाकर क्योंकि सहकारी के जितने चलाये हैं, उनमें आप देख लें, उसमें न कभी पब्लिक का नफा हुआ, न सहकारी का नफा हुआ। दोनों ही घाटे में रहे हैं।

श्री पुरूषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

उनको बोल लेने दीजिये।

श्री पुरूषोत्तम कौशिक—

मैं आप से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं जिसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो।

श्री पुरूषोत्तम कौशिक—

आपने एक बात कही "छेड़छाड़" की और लोक सभा के अध्यक्ष ने इसके लिए "नोंक झोंक" शब्द का उपयोग किया है तो कौन से शब्द का प्रयोग होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

मैं जो उचित समझता हूं वह शब्द प्रयोग करता हूं ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

अगर सहकारी खेती करना है तो ऐसा करें । लेकिन लोगों के मन को जो काम कर रहे हैं, हटाने की बात मेरी समझ में नहीं आती है । यह कहां की बुद्धिमत्ता है । अगर सहकारी करना है तो सबकी जमीन ले लीजिये । फिर चकबंदी करने की क्या जरूरत है । अगर सवा 6 एकड़ आप एक व्यक्ति को देते हैं और उसके तीन बच्चे हैं तो उसके मरने के बाद उस जमीन के तीन टुकड़े हो जायेंगे । आखिर नतीजा कहां जाकर रुकेगा ।

अगर मंत्री जी उपज बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिये दूसरा रास्ता होना चाहिये । उसके लिये यह होना चाहिये कि जो आदमी 14 क्विंटल प्रति एकड़ उपज दे सकता है वही खेती कर सकता है । सरकार को उसको हर तरह की सुविधा देनी चाहिये । अगर आप जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े कर देंगे तो बेकार होगा और उपज नहीं बढ़ सकती है । बड़े ट्रैक्टर बना रहे हैं तो जमीन के छोटे टुकड़े करने से क्या फायदा है । मेरठ आदि जिलों में अधिक उपज इसलिये होती है कि वहां प्रत्येक परिवार के 2-3 आदमी फौज में होते हैं और वे रुपया कमा कर भेजते हैं । तब पैसा लगाकर उससे खेती करते हैं तो खेती अच्छी होती है । लेकिन पूरब में सब लोग खेती पर ही लगे रहते हैं । खेती बिजनेस लाइन पर की जानी चाहिए खाली वोट कैचिंग से काम नहीं चलता है । इससे प्रदेश का सत्यानाश न करें । मैं भीखालाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जवाब देते समय हमारे राजा साहब चले जायेंगे । आपने अच्छी उपज का जिक्र किया लेकिन यह नहीं बताया कितने बड़े खेतों में अच्छी उपज होगी । यह वह गोल कर गये ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

अगर आप 14 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज चाहते हैं तो जमीन की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिये ।

*श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं और बड़े दुख के साथ जो माननीय भीखा लाल जी ने संशोधन प्रस्तुत किया है, उसका मैं विरोध कर रहा हूं । वह इसलिये कि माननीय भीखा लाल जी की जो मंशा है जो उन्होंने अपने भाषण में कही, उससे मैं सहमत हूं । लेकिन उनका जो कनक्लूजन है उससे मैं सहमत नहीं हूं । वह इसलिये कि यह जो विधेयक लाया गया है, मैं उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि·····

विशारद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी उस कमेटी के अध्ययन के बाद राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि इस पर विचार करने के बाद एक विधेयक लाने जा रहे हैं । एक बड़ा अच्छा काम किया था । तो आज जो यह विधयक लाया गया है वह विशारद जी की कमेटी के आधार पर लाया गया है । अगर इसको प्रवर समिति को भेज दिया जायेगा तो कुछ सुधार के प्रयास विशारद जी की कमेटी ने किया है उनको फिर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से किया जाये। मैं समझता हूं कि और बहुत सी चीजें लाई जा सकती थीं, लेकिन नहीं आयी हैं। सरकार का अपना दृष्टिकोण है। आज बिल का जो रूप है उसका मैं समर्थन करता हूं।

अभी कुंवर श्रीपाल सिंह एवं एक अन्य सदस्य ने कहा कि जमीन की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, अभी अपने स्पष्टीकरण में कहा। मैं समझता हूं कि यह विचार हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया के किसी मुल्क में कोई भी हुकूमत जो कल्याणकारी राज्य बनाना चाहती है वह भी इस विचार का समर्थन नहीं कर सकती है। जैसा हमारे भाई ने कहा कि एक एकड़ जमीन दे देने से कोई भी हरिजन जो भूमिहीन है उसकी दशा अच्छी नहीं हो सकती है। माननीय श्रीपाल सिंह जी और मैं एक ही जिले से आता हूं। मैं जौनपुर से आता हूं और मेरा मकान उसी के पास देहात में है। मैं जानता हूं डेढ़ एकड़, दो एकड़ और तीन एकड़ के जो काश्तकार हैं कितनी कैश क्राप्स काटते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी है। जिनके पास 20–25 एकड़ जमीन है वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं और न कर पायेंगे।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

उनको खाद के लिए कम्पोस्ट और सीवरेज का पानी मिलता है या नहीं। वह खाद और सीवरेज का पानी आप गांव के किसी किसान को उपलब्ध करायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

मूली वाले खेत की बात कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

अगर खेतों के लिए खाद मिले और पानी का इन्तजाम हो तो 3 एकड़ की ही काश्त अच्छी काश्त होगी। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जापान और फिलीपाइन ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने खेती के मामले में एक आदर्श प्रस्तुत किया है। वहां की जोतें साढ़े तीन एकड़ से ज्यादा की नहीं हैं। जापान की धान की पैदावार का औसत और यहां के धान की पैदावर का औसत देखें।

कुंवर श्री पाल सिंह—

वहां की पापुलेशन का कितना प्रतिशत खेती पर है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मैं उस पर भी आता हूं। उत्तर प्रदेश में बलजीत सिंह कमेटी बनी थी। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 10 और 12 एकड़ में खेती हो सकती है।

यह श्रीमन् म चाहता हूं कि उन रिपोर्टों को जरा सा हमारे वे माननीय सदस्यगण देख लें। जो यह चीज करना चाहते हैं कि कोई सीलिंग न लगे तो मैं बहुत सफाई से जैसा माननीय श्रीपाल सिंह जी ने खाद और पानी के प्रबन्ध की बात कही उसके बारे में कहना चाहता हूं कि खाद और पानी का प्रबन्ध कर दें और 10 एकड़ की भी सीलिंग कर दें तो भी काश्तकार बहुत अच्छी खेती कर सकता है।

दूसरा सवाल आपने अभी यह उठाया कि खेती के ऊपर कितने प्रतिशत आदमी लगे हुए हैं। तो श्रीमन् यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। थर्ड फाइव ईयर प्लान की शुरुआत में योजना आयोग ने यह कहा था कि क्रमशः हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि 50 से लेकर 60 प्रतिशत तक का आदमी चौथी पंचवर्षीय योजना से पांचवीं पंच वर्षीय योजना तक 50 से 60 प्रति-

[श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव]

शत आदमी खेती पर निर्भर रहे और बाकी लोग उद्योग पर चले जायं। इसका मतलब यह था कि धीरे-धीरे आदमी खेती से हटकर इन्डस्ट्री पर चले जायंगे। लेकिन उसके लिए तो शक है ज्यों-ज्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जायगा त्यों-त्यों आबादी घटती जायगी।

आप अमेरिका का उदाहरण नहीं कर सकते हैं। अमेरिका ने जिस तरह से खेती का विकास किया, इन्डस्ट्री का जिस तरह से विकास किया, वह कुंवर श्रीपाल सिंह जी से कहना चाहता हूं कि वहां की क्या पापुलेशन है। 20 करोड़ आबादी के ऊपर कितनी जमीन आज अमेरिका में मिली हुई है और अपने मुल्क को देख लीजिये कि हिन्दुस्तान एक घनी आबादी का मुल्क है। यहां पर तो यह हालत है कि जमीन के लिए कितना रक्तपात होने की सम्भावना है। इसको हम आप सब लोग जानते हैं कि बंगाल में जो आंदोलन हुआ था उसके पीछे भूमि थी। आप देखेंगे कि जो सरकारी, पार्टियां हैं, वह चेष्टा करती हैं, कि समाज के अन्दर सम-विभाजन हो। मैं मा० श्रीपाल सिंह जी और अन्य मा० सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसी जमीन के पीछे चीन और रूस की क्रांति हुई। वहां की सरकारें और पार्टियां, वहां के लोग रूस के उस जार, जिसके पास कि लाखों एकड़ जमीन थी, अन्ततोगत्वा उस हालत में उसे भूमिहीनों ने पहुंचा दिया कि कमरे में खड़े करके गोली से मार दिया।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

मगर जमीन क्या किसी को रूस में मिली ?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

इन शब्दों के साथ श्रीमन् मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और मा० भीखालाल जी ने जो संशोधन रखा है उसका विरोध करता हूं।

श्री रेवती रमण सिंह (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर अभी श्री ओम प्रकाश जी ने बड़े ही लच्छेदार भाषा में भाषण दिया। मान्यवर, मैं मा० भीखालाल जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि जरा सा जो दुनियां में और मुल्क हैं खासतौर से सोशलिस्ट कंट्रीज, अमेरिका की बात छोड़ दीजिए, रूमानियां, योगोस्लाविया को जब आजादी मिली थी तो 46 फीसदी आदमी रूमानियां में खेती में काम करते थे। आज रूमानियां में 22 फीसदी आदमी काम कर रहे हैं। योगोस्लाविया में आप देखें कि आजादी के समय करीब 48 फीसदी आदमी खेती पर मुनहस्सर थे। अपनी जीविका 46-48 फीसदी आदमी खेती पर चलाते थे। आज वहां पर 26 फीसदी आदमी खेती पर निर्भर हैं। वहां पर औद्योगिक विकास हुआ और वे खेती से हट कर उद्योग में चले गये।

यहां पर जापान की बात कही जाती है। वहां पर छोटी-छोटी काटेज इन्डस्ट्रीज हैं। हर गांव में हर छोटे विकास खंड में इतने छोटे-छोटे कारखाने हैं कि 16-18 वर्ष के नवयुवकों को छोटे कारखानों में काम मिल जाता है, क्या हमारे यहां पर ऐसी व्यवस्था है? नहीं है। हम अपने देश और प्रदेश में पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि सामूहिक खेती करके पैदावार बढ़ाई जा सकती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या रूस, जहां पर कलेक्टिव फार्मिंग होती है, खाद्य के मामले में अपने पर निर्भर है, नहीं है ? वह भी अमेरिका और कनाडा और अन्य मुल्कों से अनाज लेने पर मजबूर है।

एक माननीय सदस्य ने चाईना की बात कही, उसे भी आज अमेरिका से अनाज खरीदना पड़ रहा है, व्यवस्था होनी चाहिए लैंड का ऐसी जिससे पैदावार बढ़ सके। अभी एक माननीय सदस्य ने ट्रैक्टरों की बात कही। कहा गया कि एक ट्रैक्टर 30,35 या 40 हजार रुपये से कम में नहीं आता है। तो क्या 3 या 4 एकड़ वाला किसान ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकेगा, क्या वह अपनी जमीन में पेस्टीसाइड, इन्शेक्टीसाइड का इस्तमाल कर सकेगा, क्या वह इतने महगे खाद का इस्तेमाल कर सकेगा। कहा गया कि यहां पर जो 1 1/2 या 2 बीघे जमीन में खेती करते हैं, उन्होंने कोठियां बना ली हैं, शायद उनका इशारा आलू की खेती या तरकारी की खेती करने वालों की ओर था। यह हालत शायद शहरों की हो कि जहां पर 2 बीघे, 4 बीघे और 5 बीघे की खेती में बहुत अच्छी पैदावार करते हों लेकिन तरकारी और अन्न की खेती में बहुत फर्क है।

हमारे प्रदेश का उत्पादन पिछले 3 सालों से घट रहा है और उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि 1960 में हमारा कन्सौलिडेशन ऐक्ट जो बना उसके बाद यह कहा गया कि हम यहां पर भूमि अधिनियम लायेंगे और 18 एकड़ या 20 एकड़ की सीलिंग करेंगे, लेकिन आज तक तय नहीं हो रहा है कि कितनी दर पर सीलिंग करेंगे, 18 पर, 12 पर या 20 एकड़ पर करेंगे। इधर पंजाब 30 एकड़ से कम करने को तैयार नहीं है। तो सीलिंग का सवाल पूरे हिन्दुस्तान का मसला है, केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है। जमीन के बारे में जो भी नीति निर्धारण करें केवल इस प्रकार न करें कि समाजवाद लाना है, गरीबों को बांट कर देना है। आपने जो सीलिंग ऐक्ट लागू किया मैं जानना चाहता हूं कि कितनी भूमि आपने गरीबों को और कितना हरिजनों को दी। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी कै लाख जमीन हरिजनों में वितरित की? अभी आपने उनको रहने के लिए तो जमीन दी नहीं है। क्या आप अन्दाज करते हैं कि आने वाले दिनों में इस आने वाले ऐक्ट के मातहत कितनी जमीन देंगे अगर हरिजनों को 10 बिस्वे जमीन, या 8 बिस्वे जमीन आपने दे भी दी तो वे कितना पैदा करेंगे, कितनी उनकी गरीबी दूर होगी। मैं चाहता हूं कि हर हरिजन को कम से कम 5 बीघे से कम जमीन न दी जाय और उसमें यह शर्त लगा दी जाय कि वह बेच नहीं सकेगा।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा आज उत्तर प्रदेश में गत 3 वर्षों से लगातार पैदावार घट रही है, क्यों घट रही है, एक अनिश्चित सा वातावरण पैदा हो गया है, कोई भी कानून हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि 18 एकड़ या 12 एकड़ जो भी हमारी सरकार तय करे, उसे शीघ्र से शीघ्र कर। जहां तक चाहना का सवाल है, वहां पर खेती में कितनी रकबा रखते हैं। कहा जाता है कि हम अमेरिका के बराबर या जापान के बराबर जमीन रखें लेकिन हमारे तौर तरीके इन मुल्कों से अलग-अलग हैं। रूस, अमरिका और दूसरे देशों के तरीके यहां लागू नहीं हो सकते। तो मैं चाहूंगा मंत्री जी से कि जो बिल ला रहे हैं उस पर पूरे देश में एक कमेटी बने और पंजाब, हरियाणा भी सम्मिलित हों। उनकी राय को देखते हुए और प्रदेश की स्थिति को देखते हुए इसे लागू करें और भोखालाल जी का समर्थन करता हूं कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाय। धन्यवाद।

श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्री अधिष्ठाता महोदय, मूल अधिकतम जोत सीमा विधेयक मेरे विचार में इसी दृष्टि से लाया गया कि प्रदेश में बड़े-बड़े फार्म जोकि इनकम टैक्स को बचाने के लिए रखे गये हैं और उनकी आड़ में बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे और व्यापार कर रहे हैं उनसे लेकर उनकी भूमि दी जाय जिनका निर्वाह केवल कृषि पर होना है। पिछले 10-12 वर्षों के भोखालाल जी ने जो आंकड़े दिये उनको देखकर शर्म आती है कि हमें अपने लक्ष्य में सफलता नहीं मिली। मैं मुजफ्फरनगर जिले का एक उदाहरण देता हूं। वहां एक छोटे किसान के पास एक बड़ी

[श्री हुकुम सिंह]

सी शुगर फक्टरी, यू० पी० स्टील के नाम से एक बहुत बड़ा स्टील कारखाना और केवल 3-साढ़े तीन हजार एकड़ का फार्म है और उसमें से 1 बिसवा जमीन भी उसके पास से सीलिंग में नहीं ली गयी। मैं खुद किसान हूं। इस अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव उस वर्ग के ऊपर पड़ा है जो मिडिल क्लास के नाम से कहा जाता है जिनके पास खेती के सिवाय कोई जरिया अपने बच्चों के पालन-पोषण, तालीम और देख-भाल का नहीं था। उसके बाद डेढ़ लाख एकड़ के करीब जमीन पूरे प्रदेश में ली गयी उसका क्या वितरण हुआ ? किस व्यक्ति तक पहुच पायी, क्या उन तक पहुंच पायी जो खेती पर निर्भर हैं ?

हमारी जो वितरण मशीनरी बनी उसमें दुर्भाग्य से इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया कि पटवारी से लेकर उच्चतम अधिकारी ए० डी० एम० सीलिंग तक उसमें (involue) होता है जब आवंटन किया जाता है तो बैनामे के बराबर सीलिंग की जमीन पड़ती है और उसके बाद वह इतना मकरूज तब तक हो जाता है कि उसे मजबूरन बेचनी पड़ती है। इसलिए व्यवस्था करनी होगी कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा ध्येय सफल हो और जिसके लिए विधेयक बना है उस व्यक्ति को भूमि मिल सके तो ये कुव्यवस्थाएं दूर करनी होंगी। हमें देखना यह है कि छोटा किसान अपनी खून पसीने और परिश्रम लगाकर पैदावार लेता है और कोई अन्य साधन पैदावार का नहीं है। यहां अमेरिका और जापान की मिसाल लागू नहीं हो सकता। अमेरिका और जापान में कितना वर्ग इस खेती पर निर्भर है, वहां तालीम का क्या स्टडर्ड है और वहां की सरकार कितनी समर्थ है अपने गरीब आदमियों को साधन जुटाने के लिए यह हमें देखना होगा वह छोटा किसान जिसके पास 10-12 एकड़ जमीन है और 3-4 पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या वह एक मिल-मालिक के बराबर उनको शिक्षा दे सकता है। हमें एक बार यह निश्चय कर लेना चाहिए कि किसके पास कितनी जमीन रहे और उतने से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। क्या तभी समाजवाद आयेगा जब कि किसान के पास 5 एकड़ या 6 एकड़ जमीन रह जायगी यदि यही विचारधारा है, तो मैं आपको चेतावनी देता हूं कि वह इस लायक न रह जायगा कि वह इस प्रदेश की जितनी दूसरी क्लासेज़ हैं उनसे किसी प्रकार भी कम्पीट कर पाये। क्या यही समाजवाद की हमारी धारणा है ? जिस देश में अभी तक 50-50 मिल वाले रहते हों, जिस देश में करोड़पति रहते हों, जिस देश में एक-एक आदमी के पास दिल्ली या लखनऊ में करोड़ों रुपये की बिल्डिंग हो उसकी तुलना हम उस आदमी से करें जिसके पास 10-20 एकड़ जमीन है उसकी कुछ जमीन आप भी लेना चाहते हैं लेकिन करोड़ों की बिल्डिंग का कुछ हिस्सा तो आप ले नहीं सकते, न उसका बटवारा करा सकते हैं।

हमने पिछले वर्षों में जो चोटें कीं वह छोटे या मिडिल क्लास किसान के ऊपर कीं। हम उस किसान का कुछ नहीं कर पाये जो उद्योग-धन्धे में तो लिप्त है लेकिन काला धन बचाने के लिये फार्म रखे हुये हैं क्योंकि वह इतना होशियार था कि अपनी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करा कर कानून के चंगुल से बच गया। क्यों नहीं हम सर्वे कराते कि कितने आदमी कितनी जमीन पर निर्भर हैं और तब किसी नतीजे पर पहुंचें। जो खेती पर निर्भर नहीं हैं हम क्यों नहीं उनकी जमीन लेते। आज संविधान में तरमीम हो चुकी है, कोई अदालत हमारे रास्ते में नहीं आने वाली है। तो यदि वास्तव में हमारा उद्देश्य यही है जो इस विधेयक में लिखा है तो सबसे पहले यह कानून बनाना चाहिये कि जो फरजी किसानों का वर्ग सिर्फ जमीन इसलिये लिये बठा है कि वह अपने काले धन और इनकम टैक्स को बचा सके उनसे जमीन को ले लिया जाय। फिर देखें कि कितनी हमारी एकोनामिक होल्डिंग है। अभी कहा

गया कि 3 एकड़ से इतनी पैदावार हो सकती है कि वह कोठियां बना सकता है। 20 एकड़ वाला काश्तकार यदि वास्तव में वह केवल जमीन पर निर्भर है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक अच्छा मिडिल क्लास का जीवन निर्वाह करना भी उसके लिये असम्भव है। आज हम उस समाज में रह रहे हैं। जहां एक आदमी के पास हवाई जहाज है, हेलीकाप्टर है, उसके बच्चे कान्वेन्ट मे पढ़ते हैं और एक बच्चे पर हजारों रुपये प्रतिमास खर्च कर सकता है और दूसरी तरफ एक किसान है जिसके पास सिर्फ 20 एकड़ जमीन है और जो छोटे-मोटे स्कूल में अपने बच्चों को तालीम दिलाता है।

समाजवाद केवल जमीन के बटवारे से नहीं आने वाला है। उसके लिये हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। आखिर यह जमीन दी किस को जायगी? भूमिहीन मजदूरों को, कौन है भूमिहीन मजदूर? क्या 4 या 6 एकड़ वाला किसान, जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, जिसके चार बच्चे फावड़ा लेकर खेत में जाते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं क्या वह भूमिहीन नहीं है। भूमि वाला वह किसान है जिसके पास सब साधन हैं। आज के युग में यह एक मानी हुई धारणा है कि जब तक हम खेती को मेकेनाइज्ड नहीं करेंगे तब तक हमारा उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। आज हम बैलों पर निर्भर रह कर खेती में तरक्की नहीं कर सकते। एक तरफ तो आप अनाज की कमी के लिये चिल्ला रहे हैं और दूसरी तरफ जमीन की सीमा को इतना कम कर रहे हैं कि काश्तकार के पास न मशीन रहे, न ट्रैक्टर रहे।

मैं उस वर्ग से आता हूं जिसका समाजवाद में विश्वास है। उसके लिये हमें कोआपरेटिव्ज पर जाना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा उस बात पर जिससे पूर्वी देशों ने तरक्की की है। कोरिया की मिसाल को लें। वहां ऐसा नहीं है कि एक आदमी के पास एक हजार एकड़ हो और एक के पास 1 एकड़। सरकार की तरफ से इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये कि सहकारी समितियों के पास तमाम आवश्यक साधन हों। यदि हमारा दृष्टिकोण यही है कि हम 2-4 एकड़ जमीन भूमिहीनों को दे दें और यह नारा लगायें कि हमने जमीन हरिजनों को दे दी, तो यह नारा भले ही पूरा हो जाय, मगर इससे पैदावार बढ़ने वाली नहीं है। जहां तक इस संशोधन विधेयक का संबंध है, इसके द्वारा कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया गया है, कुछ असंगतियों को दूर करने के लिये यह लाया गया है, इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री भाभी (जिला आजमगढ़)--

अधिष्ठाता महोदय, राजस्व मंत्री जी ने जो यह उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है मैं इसका विरोध करने के लिये और माननीय भीखालाल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विरोध इसलिये करना पड़ रहा है क्योंकि इस विधेयक में बहुत सी कमियां हैं। जब मुल्क आजाद हुआ था तो हम यह आशा लगा रहे थे कि जमीन में हमको हिस्सा मिलेगा, जमीन हमारी होगी, मगर जब मुल्क आजाद हुआ तो मुट्ठी भर लोगों ने ही जमीन को अपने नाम करवा लिया और हम छोटे किसान उनके हलवाहे की तरह काम करते रहे। जमीन पर हमारा कोई हक नहीं मिला। आदमी के लिये जिन्दा रहने के लिये कोई जरिया होना चाहिये। लेकिन वाह रे, हमारा यह देश और प्रदेश, जमींदारी टूटी, चकबन्दी कानून बना, हदबन्दी विधेयक भी पास हुआ, मगर जो मेहनत और मजदूरी करने वाले लोग थे उनको जमीन नहीं मिली। यह जमीन कुदरत ने पैदा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भाभी]

की है, सबका उसमें हक होना चाहिये। मगर आज मुट्ठी भर लोग ही उस पर कब्जा किये बैठे हैं। आप जो यह कानून आप लाये हैं इससे इनकलाब आयेगा।

जहां तक अधिक से अधिक सीमा रखने की बात है, वह सीमा साढ़े 12 एकड़ ही रखना चाहिये थी। साढ़े 12 एकड़ से ज्यादा सीमा नहीं होना चाहिये। पहले भी हमने यह बात कही थी और आज भी वही बात कहना चाहता हूं। जब आपने पूरे प्रदेश के लिये यह कानून बनाया है कि जिसके पास साढ़े 12 एकड़ जमीन होगी वह अपने परिवार के लिये जमीन नहीं बढ़ा सकता है, तो फिर यह दुःमुखी कानून बनाने से क्या लाभ है? आपको उसी दिन यह कानून साढ़े 12 एकड़ का बनाना चाहिये था। मैंने शुरू में इस विधेयक को देखा नहीं था, मैंने समझा था कि अब यह नया संशोधन विधेयक आया है तो इसमें कोई और बढ़िया बात आयी होगी लेकिन इसको देखने के बाद कोई बढ़िया बात समझ में नहीं आयी। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि सबसे छोटी जोत आप एक एकड़ को मानते हैं तो एक एकड़ को छोड़ कर ऊपर वालों से साढ़े बारह एकड़ के बीच में फी एकड़ दो-दो बिस्वा और जमीन ले लें तो इस तरह से हर गांव में काफी जमीन आ जायेगी जिसको आप भूमिहीन को दे सकेंगे।

श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)—

बी० के० डी० के मैनिफेस्टो में कितने एकड़ की सीमा है?

श्री भाभी—

मैं डाक्टर लोहिया के उसूलों पर चलने वाला हूं और मैं बराबर हमेशा उसी लाइन पर अपने विचार देता रहा हूं। मैं डाक्टर लोहिया के विचारों को आपके सामने बतला रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

वस्तुतः श्री भाभी जी तो बड़े पुराने सोशलिस्ट हैं, इनको आप छेड़ें नहीं।

श्री भाभी—

जिस दल को आप समझते हैं भारतीय क्रान्ति दल का तो खुला सिद्धान्त है और यदि उसमें कोई सुधार करने की बात होगी तो उस पर विचार करते हुए भी हम उसमें इनकलाब लायेंगे। अगर आप मेरा अल्पमत है तो हो सकता है कि कभी बहुमत भी हो।

मैं कह रहा था कि सबसे छोटी जोत आपने एकड़ की मानी है और बड़ी सीमा आपने 18 एकड़, 20 एकड़, 36 एकड़ और 45 एकड़ तक की मानी है। लेकिन राजस्व मंत्री जी अगर हिम्मत हैं तो सबसे छोटी जोत की सीमा जो आपने एक एकड़ की मानी है, तो एक एकड़ को छोड़ कर ऊपर की तीनों बड़ी सीमा कानून में बना सके हैं, फी एकड़ दो बिस्वा जमीन ले लें और उसे गरीब भूमिहीनों में बांट दें। सभी जानते हैं कि गांव के अन्दर लोग हरवाही करते हैं गांव में आप किसी को नौकरी तो देते नहीं हैं और न किसी को उद्योग धंधा ही देते हैं, जीवनयापन का और कोई जरिया है नहीं, इसलिये मजबूर होकर उनको हरवाही करनी पड़ती है, मजबूर होकर उनको खेतों की सोहनी करनी पड़ती है, मजबूर होकर उनको बेगार करनी पड़ती है। अगर आप फी एकड़ दो दो बिस्वा जमीन ले लेते तो भूमिहीनों और हरिजनों का भी इन्तजाम हो जाता किसान मजदूरों का भी इन्तजाम हो जाता। जो इस बात के लिये चैलेंज देते हैं कि बड़ी जोत वाले ज्यादा उत्पादन करते हैं, तो हम भी देहात के ही रहने वाले हैं, जिसके पास जमीन नहीं है वे ही

बड़ी जोत वालों की खेतों में काम करते हैं और उत्पादन बढ़ाते हैं। अगर उनको जमीन मिले तो क्या वे ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकते हैं ? अब डांट का जमाना नहीं रह गया है । जनमत के बल पर ही हमेशा सरकारें बनती हैं और इनक्लाब होता है ।

एक कहावत है—"इनक्लाबे हस्तिये, फामी से अब हो गये कुछ और सामाने दीगर ।" चाहे इधर के बैठने वाले हों चाहे उधर के बैठने वाले हों उ/ दल में रहते हुए भी अपनी बात को कहने के लिये बड़ी मजबूरी होती है । व्याख्यान में तो कहते हैं कि हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं लेकिन सारी बात विरोध में करते हैं । हम भी कहते हैं कि हम इसका समर्थन करते हैं । अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं राजस्व मंत्री जी को यह सुझाव देता हूं कि यह संशोधन विधेयक जो आपका है इसके बाद भी एक संशोधन इस तरह का ला दें कि जो सबसे छोटी सीमा है एक एकड़ की, उसको छोड़ कर ऊपर वाली जो बड़ी सीमा आप बनाये हैं, जब तक आप साढ़े 12 एकड़ की सीमा न बना सकें कायद वह दिन दूर होगा, तो फी एकड़ दो बिस्वा जमीन सब से ले लें तब जाकर इन्तजाम ठीक से होगा। यह कह कर मजबूरन में आपके संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं और माननीय भीखालाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और चंद शब्द इस सिलसिले में कहना चाहता हूं ।

इसी हाउस में माननीय गोविन्द बल्लभ पंत जी ने कहा था कि "द टिलर आफ द स्वायल, इज ओनर आफ द स्वायल" । जो जमीन का जोतने वाला है वही जमीन का मालिक है । माननीय सदस्य जनसंघ ने भी तो अभी कहा कि इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिये । तो जो विचार उनके हैं वह उनकी पार्टी के अनुकूल थे । मुझे पता लगा कि वह राजा साहब रह चुके हैं, उनसे उम्मीद भी यही की जा सकती थी कि वह अपने पक्ष को रखेंगे । क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पहला हमला राजाओं और महाराजाओं पर ही हुआ था । क्योंकि वह अंग्रेजों के काफी मददगार थे जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था । अगर जमींदारी नहीं तोड़ी गयी होती तो लाखों एकड़ जमीन के जोतों वाले आज राजा महाराजा ही होते और गरीब किसान उनकी यह जमीन जोतता । लेकिन जमींदारी को तोड़कर कांग्रेस ने इस जमीन में गरीब लोगों को हिस्सा दिया है ।

एक सदस्य—

गरीबों के पास नहीं मगर मंत्रियों के पास जमीन अवश्य पहुंच गयी है । आप लोग कुछ नहीं करते हैं ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र—

आपको भी करना चाहिए । आप भी चुनकर आये हैं । मान्यवर, सीलिंग का जो कानून बनाया था वह कांग्रेस ने ही बनाया था । माननीय भीखा लाल जी जो आप कहना चाहते हैं हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं। आपको भी मौका मिला था सरकार में रहने का। उस समय आपने भी नहीं सोचा कि जो त्रुटियां हैं उनको दूर करना चाहिये । आपको मौका मिल चुका है। जो आपने अभी कहा कि केवल कहते हैं, आपका उद्देश्य कहने का नहीं है तो मैं कहता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र]

कांगेस काम को करने में लगी है पर कुछ दिक्कतें तो हैं ही मेरा कहना है कि 1972 में सीलिंग कानून बना है, वह जो कानून सन् 1960 में बना था उस सीलिंग कानून से बिल्कुल भिन्न है। और काफी सुधार लेकर के यह नया कानून बनाया गया है। इसमें बागों को अलग किया गया है। जहां पहले एक परिवार के पास 40 एकड़ थी वहां उसको कम करके 18 कर दिया गया है। आपने विरोधाभास दिखाया है। आपने कहा है। माइनर सन्स और डाटर्स के पास तो ठीक है पर बालिग के पास 2 हेक्टेयर ज्यादा क्यों रखा गया है तो मैं कहता हूं कि जो लड़के बालिग हो गये हैं, जिनका अपना परिवार बन चुका है क्या उनको जमीन की जरूरत नहीं है। क्या वह भूमिहीन कर दिये जायें। क्या आपकी मंशा है।

हम 40 एकड़ से 18 लाये हैं। हमारे जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में व्यवस्था है कि जिसके पास साढ़े 12 एकड़ जमीन है वह और जमीन खरीद नहीं सकता है। इस प्रतिबन्ध की वजह से जिनके पास पहले से ज्यादा जमीन है वह और जमीन नहीं खरीद सकते हैं। वजह यह है कि जिनके पास ज्यादा जमीन है, 50 एकड़ वह स्वतः तो खेती नहीं करते हैं, उनकी जमीन को कोई और जोतता है। तो इस तरह से हम उसे जमीन देना चाहते हैं जो उस पर पसीना गिराकर पैदावार करता है। इस तरह से जो एक प्रणाली बनी हुयी थी कि पूंजीपतियां की जमीन और जोतते थे, उस पर मेहनत करते थे, इसको हम समाप्त करना चाहते हैं। तो हम तो उस तरफ बढ़ रहे हैं जो कि आप चाहते ह।

सन् 1961 में जो कानून बना तो वह परिस्थिति के अनुकूल था और आज 1974 में फिर आवश्यकता पड़ी कि उसमें भी कुछ तरमीम किया जाय और उसकी व्याख्या नये ढंग से किया। इसके अलावा यदि जरूरत पड़ी तो और भी कदम उठाये जायेंगे। कानून को इस ढंग से उठाया जाता है कि बड़े-बड़े फार्म वाले फायदा न उठा सकें लेकिन फिर भी वे कानून के तहत ऐसे फायदे उठा रहे हैं। फार्मों को समाप्त किया जा रहा है क्योंकि फार्म ओनर को रखने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि जो अंग्रेज देशद्रोही था वह मिल ओनर तो था ही वह फार्म ओनर भी बना हुआ है।

*श्री नन्हें लाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, जो हरिजनों के पट्टे सीलिंग में हुये हैं उनको वह पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं। जो जमीन सीलिंग से बची है उसको नीलाम करके हरिजनों को बेचा जा रहा है। डी0एम0 कोई इसकी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। हरिजन लोग हजारों की संख्या में पट्टे लिये घूम रहे हैं। आप कहते हैं कि फार्म समाप्त किये जा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र---

मैं कहना चाहता हूं कि जो भाई साहब ने अमरीका का उदाहरण दिया था तो वह अमरीका की नकल करें, उसकी स्थिति है। परन्तु हम पूंजीवादी व्यवस्था तथा सामन्तवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं और न हम उस तरफ जाना चाहते हैं। भूमि के उचित बंटवारे के संदर्भ में यू0 एन0 ओ0 में डा0 उथान्त ने कहा था कि अगर समय रहते जमीन का सही बंटवारा नहीं किया गया तो खूनी क्रांति को कोई रोक नहीं सकता है। यह बात मान्यवर अपनी जगह सही है कि यदि समय रहते बड़े-बड़े लोगों की जमीनें नहीं बंटती हैं तो खूनी क्रांति हो जायेगी। आग लोगों में भड़क रही है, इसलिए जमीन का सही रूप से बंटवारा करना है और इसलिए जो सीलिंग ऐक्ट लाये हैं वह सही है। इसमें ऐसी कमी नहीं है कि जो श्री भोखा लाल जी ने कहा है कि इसे, प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। इसे प्रवर समिति को सौंपना उचित नहीं है।

मान्यवर, खातेदारों के बारे में कहना चाहूंगा कि इसमें ऐसी व्यवस्था है कि जिनके नाम नही हैं और वे खातेदार हैं तो उनके नाम भी माने जायेंगे । यह आप जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था ऐक्ट में देखेंगे तथा हिन्दू ला के अन्तर्गत भी देखेंगे कि पिता के प्रापर्टी के साथ पुत्र का नाम भी रहता है । पिता का नाम रेप्रेजेन्टेटिव कैपेसिटी में होता है● परिवार का कार्यकर्ता के रूप में वह होता है। लेकिन जो जमींदारी के समय में 1952 में जिसका अस्तित्व था उसका भी हिस्सा है । । अगर एक व्यक्ति को पिता अलग कर देता है तो उसका हिस्सा कहां जायेगा यदि खातेदार में दो भाई हैं परन्तु एक का नाम रेवेन्यू रेकर्ड में लिखा है और एक का नाम नहीं लिखा है । तो क्या रेवेन्यू रेकर्ड गलत होने से वह अपने हक से महरूम कर दिया जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जायेगा । इसलिये वह व्यवस्था ठीक है । कानून के अन्दर वह सही व्यवस्था है । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, अधिष्ठाता जी, राजस्व मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1974 जो प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करने और श्री भीखा लाल जी ने जो उसको प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये संशोधन पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, इस प्रकार के संशोधन विधेयक के जब आने की बात थी उस समय मेरे मन में यह भावना पैदा हुई और लगा कि विशारद कमेटी ने जिन तथ्यों का जिक्र किया है, भूमि की लूट की जिन घटनाओं की नंगी तस्वीर प्रदेश और सदन के समाने रखी है, उसी के सन्दर्भ में माननीय राजस्व मंत्री कोई संशोधन लायेंगे । लेकिन मुझे यह जानकर बड़ी निराशा हुई कि जिस विशारद कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र इस सदन में हुआ अभी माननीय ओम प्रकाश जी ने भी तस्किरा किया, उसके सन्दर्भ में कोई भी संशोधन नहीं लाया गया, बल्कि वही चिथड़े, सड़े-गले और रौटन कपड़े में पैबन्द लगाने का काम मंत्री जी ने किया जो इनकी सरकार अब तक करती आ रही है। श्रीमन्, भूमि के सवाल पर, दोनों तरफ की बातों को सुनने पर लगा कि दोनों तरफ के माननीय सदस्य, बल्कि सत्ता पक्षा के भी माननीय सदस्यों ने एक स्वर से सुझाव दिया कुछ संशोशन प्रस्तुत किया, इससे साफ जाहिर हो जाता है कि उनकी भी मंशा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

भूमि का सवाल, भूमि की मिलकियत का सवाल, आदमी की जिन्दगी का सवाल है । मैं इसे मानकर चुप नहीं रह सकता कि जितनी जिसके पास है, उत्पादन बढ़ाने के लिये, मैकेनाइज्ड फार्मिंग करने के लिये उस पर कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिये। यह बेकार का तर्क हैं । 5000 वर्षों से इस देश में काफी तादाद में लोगों ने, जिनकी संख्या 50% से ज्यादा है, इस प्रकार का फायदा उठाते रहे हैं । इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना किसी भी सरकार का जो अपने को प्रगतिशील कहती है, उसका परम धर्म है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि साढ़े 12 एकड़ की सबसे अच्छी सीमा है। जो इसके एक्सपर्ट हैं उन्होंने उत्पादन बढ़ाने के लिये कहा है कि यह सीमा साढ़े 12 एकड़ की सबसे अच्छी है । इसलिये मेरा आग्रह है कि इस तरह का संशोधन लाया जाय कि साढ़े 12 एकड़ से ज्यादा सीमा न रखी जाय ।

मुझे सरकार की नियत पर सुबहा है क्योंकि नारे तो जरूर लगाये जाते रहे हैं वही नारे जो हम लोगों का पुराना है कि 'धन और धरती बंटकर रहेगी' लेकिन अमल में क्या हुआ, यह आप जानते हैं। मैं तो सरकार से यह निवेदन करूंगा कि केवल एक काम अगर सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

कर दे तो हम समझें कि उनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। और वह यह है कि 1961 में जब से सीलिंग का कानून लाने का प्रयास किया गया तब से आज तक जितनी भी भूमि की बंगलिंग हुई है, उसको निकाल कर उसे भूमिहीनों में बंटवा दिया जाय। इससे लाखों एकड़ भूमि उन लोगों के पास चली जायेगी जिनके पास एक इंच भी भूमि नहीं है। मान्यवर, जिसके पास एक एकड़ भी भूमि होती है यह स्वाभाविक है और मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि उसको जमीन से ममता हो जाती है और यह भावना होती है कि हम उसके मालिक है। लेकिन जिन परिस्थितियों में असरदार लोगों ने जाल बट्टा करके हजारों-हजारों एकड़ भूमि को अपने कब्जे में कर लिया और आज भी दूसरे लोगों से काम ले रहे हैं। 1971 में जब आम चुनाव हुआ, उसमें शासन पक्ष को बहुमत मिला। और वह केवल एक बात पर कि हम गरीबी मिटायेंगे लेकिन उस दिशा में हमारी सरकार क्या कर रही है या क्या किया है, इस बात से प्रकट होता है कि लोगों को एक इंच भूमि भी नहीं मिली है।

मेरे जिले में जितनी भूमि जमींदारी एबोलीशन के पहले थी, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी वह किसी न किसी रूप में उन्हीं का स्वामित्व है चाहें नाम किसी दूसरे का हो। आज भी वही लोग फैक्ट्री चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जमीन के मालिक बन हुए हैं, जिनको यह नहीं मालूम कि गेहूं आसमान में पैदा होता है या धरती पर, जिन्हें यह नहीं मालूम कि मसूड़ डाल पर पैदा होती है या धरती पर, आज भी भूमिपति हैं। लेकिन जिनके लड़के सुबह से शाम तक खेत में काम करते हैं। जाड़े में, ठंडक में, बरसात में वह मेंड़ों पर सोता है और उसके पश्चात् जब घर जाता है तो सिवाय मजदूरी के कुछ नहीं होता। जमीन से उसकी मुहब्बत है। जो धरती को जोते बोये वह उसका मालिक होये, यह डा0 लोहिया की विचारधारा थी। अगर श्रीमन् यह सरकार भी उसी दिशा कोई कदम उठाये तो एक प्रगतिशील कदम होगा और इनके लिए ऐसा कदम उठाना उचित है क्योंकि यह समाजवाद में विश्वास रखते हैं।

श्रीमन् एक बात कोआपरेटिव फार्मिंग की कही गयी। इजराइल में श्रीमन् क्या है। इजराइल में कम से कम रेशियो आमदनी का है और वह 2:3 का। हो सकता है मेरी सहमति विदेश नीति से न हो लेकिन सहकारिता के आधार पर अगर वहां मजदूर दो हजार पाता है तो मालिक 3 हजार पाता है और इस प्रकार 2 : 3 का रेशियो आमदनी में है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि पर जो अपना खून पसीना एक करते हैं उनके दिल में भी आकांक्षाएं जागी हैं और अगर उनकी भूमि न दी गयी तो एक खूनी क्रान्ति होगी, गांधी जी का अहिन्सावाद खत्म हो जायगा। ऐसे लोग जो खेती नहीं करते और उसके मालिक हैं उनके पास कैसे जमीन आयी इसका भी श्रीमन् एक इतिहास है। ये लोग तिकड़म और जाल बट्टे से जमीन के मालिक बने हुए हैं। मुगलों और अंगरेजों के द्वारा दी गयी जमीनें इनके पास हैं, यह जमीनों के मालिक नहीं हैं। इन लोगों से जमीन छीन कर उन लोगों के हवाले करना चाहिए जो उसमें काश्त करते हैं। दूसरी बात यह कि ट्रस्ट के नाम पर, वक्फ के नाम पर, धर्मादा के नाम पर, बाग के नाम पर जमीन को हड़पने का जो स्कीम रखा गया है वह खत्म किया जाय। सारी जमीन को सरकार ले ले और फिर से उसका बंटवारा हो। हम समझते हैं कि बिना ऐसा किये हुए देश में बढ़ता हुआ असंतोष और जन क्रान्ति की भावना रुकेगी नहीं बल्कि और प्रबल होती जायगी। इन शब्दों के साथ में इस बिल की प्रवर समिति को भेजे जाने का समर्थन करता हूं।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अधिष्ठाता जी, इस विधेयक पर बोलने का मुझे अवसर दिया मैं इसके लिए बधाई देता हूं। यद्यपि बड़ी इंतजारी के बाद मुझे समय दिया। भीखालाल जी ने शुरू में अपने संशोधन पर बोलते हुए जो कुछ कहा तो उनकी भावना मंत्री जी के विधेयक के समर्थन वाली थी लेकिन विरोध पक्ष में होने के नाते उन्होंने प्रवर समिति में घुमाने का प्रस्ताव रखा। प्रवर समिति में इस विधेयक के जाने से वैसी ही हालत होगी जैसे अगर कोई आदमी बहुत भूखा हो और उसे बाजरे की रोटी मिलती हो तो उससे कहा जाय कि आज तुम बाजरे की रोटी मत खाओ दो तीन दिन बाद मालपूआ खिलायेंगे। लेकिन जब भूख का ज्वाला हो तो कब तक वह बरदाश्त कर सकता है। जैसे हमारे साथी ओम प्रकाश जी ने कहा वह ठीक कहा कि जमीन की भूख की ज्वाला को भूमि का बंटवारा कर जल्दी हल किया जाय। भाभी यादव ने जो कुछ कहा मैं उनकी भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

आप माल पूआ न कह कर मुर्ग मुसल्लम कहें। अब मालपूआ का जमाना नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह कहा गया कि साढ़े बारह एकड़ की सीलिंग होनी चाहिए। दूसरी सीलिंग भी आयेगी कि हम साढ़े 12 एकड़ या 10 एकड़ की सीलिंग रखेंगे। मैंने पहले भी विशारद कमेटी रिपोर्ट पर बोलते हुए कहा था। जब मुगलों की हुकूमत थी तो बड़े-बड़े नवाबों और उन लोगों को जमीन दी गयी जो मुगलों का समर्थन करते थे।

श्री अधिष्ठाता--

सदन में बातचीत ज्यादा हो रही है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, मुगल शासन के बाद अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ और अंग्रेजों ने उन्हीं को फार्म दिये जिन्होंने अंग्रेजी राज्य का समर्थन किया, देश के साथ गद्दारी की। राजा महाराजा बड़ी-बड़ी स्टेट के मालिक हुए और ये जो 100, 200 एकड़ के फार्म हथियाये हुए हैं वे कौन हैं--राष्ट्रद्रोही रहे हैं, खानदानी गुलाम रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उन खानदानी गुलामों को खत्म करने के लिये कोई विधेयक लाना चाहिये था और इस विधेयक को ऐसा क्रान्तिकारी स्वरूप देना चाहिये था जिससे वे खानदानी गुलाम जो हजारों एकड़ जमीन के मालिक बने हुए हैं उनकी मिल्कियत खत्म होती। देश के साथ गद्दारी करने का वजीफा यह नहीं होना चाहिये था कि हजारों एकड़ जमीन के मालिक वह बने रहें। अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने गुलछर्रे उड़ाये और आज भी वे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया तथा देश को आजाद कराया वे गरीब किसान मजदूर आज फाके-मस्ती का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लिहाजा जमीन का बटवारा लाजमी है। उन राष्ट्र-द्रोही, देशद्रोही लोगों से जमीन लेनी होगी। जमीन का बंटवारा होकर रहेगा। इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सोनकर जी, बुरी बात है कि आप बीच में आकर खड़े हो गये। यह साधारण शिष्टाचार है कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो बीच में आपको नहीं आना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मंगल देव विशारद ने अपनी रिपोर्ट में 270 फार्मों का जिक्र किया किन्तु इस विधेयक में उनका कोई जिक्र नहीं किया गया। सुरजीत सिंह मजीठिया के फार्म का वर्णन किया गया। इस संशोधन विधेयक में उन तमाम बड़े-बड़े फार्म्स का और उन सोसाइटियों का जिक्र होना चाहिये था जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है और जो गलत तरीके से भूमि को छिपाने के लिये सोसाइटियां बनाये हुए हैं। उन सोसाइटियों को रद्द किया जाना चाहिये। उन जमीनों पर सीलिंग लागू होनी चाहिये। ऐसा संशोधन विधेयक आना चाहिये था ताकि 300, 400 एकड़ का फार्म कोई नहीं रख सकेगा। जसा ओम प्रकाश सिंह ने कहा इस प्रदेश के जितने भूमिहीन हैं, अकिंचन तथा गरीब हैं अगर कांग्रेस सरकार ने बड़े-बड़े फार्म्स का बटवारा नहीं किया तो वे उन पर हमला करेंगे, वे उनको छोड़ेंगे नहीं। आज देश का किसान मजदूर इस राय का हो गया है और अगर उसकी राय पर कोई हमला करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब वह देगा। कहा गया कि तीन-चार एकड़ पर ट्रैक्टर कैसे चलेगा? उस पर भी ट्रैक्टर चल सकता है। एक-दो एकड़ की खेती पर अगर इन्टेसिव खेती की जाय तो इकोनामिकल हो सकती है।

हमारे यहां शहर के दूर कोरियों की बस्ती है। वे खेती करना जानते हैं, हल चलाना जानते हैं। लेकिन उनके पास खेती लायक जमीन नहीं है। उनको जमीन दी जाय। बहुत से कोरी ऐसे हैं जिनके पास एक एकड़ जमीन है। वे उस पर अच्छी खेती करते हैं। साल में तीन-चार फसलें पैदा करते हैं। अगर छोटी-छोटी जमीनों पर भूमिहीनों को मालिकाना हक दे दिये जायं तो देश को पैदावार बढ़ेगी, घटेगी नहीं। बाराबंकी रोड पर मैंने देखा कि बड़े-बड़े रिटायड आफिसर्स के फार्म्स हैं। पहले बड़ी-बड़ी तनख्याहें वे पाते थे। लाखों रुपया उनका बैंक में है। अब फार्म के जरिये लाखों पैदा करते हैं। एक ही घर में लोग व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं इससे दूसरे भूमिहीन रह जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। यह सब नहीं चलने का। सरकार को देखना होगा कि जमीन का क्या स्वरूप हो? किस तरह से जमीन को जीतने वाले का रिश्ता जमीन से कायम हो इसको मद्देनजर रखकर सरकार को जमीन का बन्दोबस्त करना होगा।

1857 के बाद अंग्रेजी सल्तनत कायम हुई तो लार्ड कार्नवालिस यहां का वायसराय नियुक्त हुआ। उसने नये सिरे से जमीन का बन्दोबस्त किया और सरकार के वफादारों तथा अपने दलालों को बड़े-बड़े फार्म दिये। ठीक उसी तरह से कांग्रेस सरकार चाहती थी कि सारी जमीनों को मिल्कियत अपने हाथ में लेकर जो छोटे किसान हैं, मजदूर हैं जो खेती करना जानते हैं उनके लिये जमीनों का नये सिरे से बन्दोबस्त करती और इस तरह से क्रान्तिकारी कानून बनाती। ऐसे कानून बनाने में वर्ष दो वष लग सकते हैं लेकिन ऐसा न करके ऐसे कानून बना दिये हैं जिनमें हर 6 माह के बाद संशोधन को लाने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसा कानून बना लिया जाता है जो कि समाज की आवश्यकता के अनुरूप खरा नहीं उतरता है लिहाजा दूसरे कानून और संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक पीस मील से आप गरीबों का भला करते चले जायं वहां तक हम आपका समर्थन करते हैं।

मैंने उस दिन भी कहा था और पुनः निवेदन करना चाहता हूं जो हमारे लैंड लाज बने हैं वे डिफेक्टिव हैं, दोषपूर्ण हैं। समाज की आवश्यकताओं को देखते हुये ये कानून पूरे नहीं हो रहे हैं। सीलिंग का कानून अलग है, रेवेन्यू का कानून अलग है, कन्सोलिडेशन का कानून अलग है, कई तरह के कानून जमीन के सम्बन्ध में बने हुये हैं। यहां पर बहुत से लोगों ने कहा कि जमीन को बांट देने से उसमें गड़बड़ी होगी। मैं कहना चाहता हूं कि जमीन का रिश्ता समाजवाद के साथ उसके स्टेट्स के रूप में जुड़ा हुआ है। अगर राष्ट्र के करोड़ों लोगों को तरक्की करनी है तो हर इन्सान को भूमि पर मालिकाना हक दिलाना

पड़ेगा। उसकी प्रतिष्ठा समाजवाद के साथ जुड़ी हुई है। पूर्वी जिलों में रात दिन खेतिहर मजदूर और हरिजन बड़े-बड़े लोगों की डांट सहते रहते हैं। इसलिये खेती करने के लायक जो परिवार हैं उसके पास आप एक से लेकर 12 एकड़ तक की सीलिंग की व्यवस्था करें और जैसा कि भीमा यादव जी ने कहा है मैं उनकी बात से सहमत हूं और मैं भी चाहता हूं कि मंत्री जी इससे भी अधिक क्रांतिकारी कानून लायें। मुझे आशा है कि साल-दो साल के अन्दर ही इस तरह का कानून वे सदन में लायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वीरसिंह सेंगर (जिला जालौन)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, काफी देर तक उठक-बैठक करने के बाद आपने मुझे समय दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज हम लोग यहां पर अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक पर विचार करने जा रहे हैं प्रश्न यह नहीं है कि कितनी जमीन रहनी चाहिये और कितनी जमीन नहीं रहनी चाहिए। इस सम्बन्ध में बिल आ चुके हैं और पास हो चुके हैं। साथ ही उनमें समय-समय पर संशोधन भी आये हैं और आज भी हम उसी तरह के एक संशोधन विधेयक पर विचार करने जा रहे हैं तथा उसके गुण-दोषों को हम देखने जा रहे हैं। जो संशोधन यहां पर उपस्थित हुआ है उसमें मूलतः उसके गुण-दोषों की हमें विवेचना करनी है। इसमें मुख्य दो बातें हैं। एक तो सिंचित और असिंचित भूमि तथा दूसरी एकल सिंचित भूमि। सिंचित भूमि कितनी रहेगी एकल सिंचित भूमि कितनी रहेगी और असिंचित कितनी रहेगी इस विषय में हमें विचार करना है। इसकी परिभाषा ऐक्ट में दी हुई है कि सिंचित भूमि कौन सी मानी जायेगी। ऐक्ट में यह दिया है कि पिछले तीन वर्षों के खसरे को देखते हुये अगर किसी एक कृषि वर्ष में किसी भूमि पर 2 फसलें हुई हैं तो वह सिंचित भूमि मानी जायेगी।

इस संशोधन विधेयक में यह व्यवस्था कर दी गई है कि सीलिंग अफसर को यह अधिकार दिया गया है कि अगर उसके विचार में यह आया कि यह भूमि सिंचित हो सकती है तथा उसमें दो फसलें उगायी जा सकती हैं तो उसे वह सिंचित भूमि घोषित कर देगा चाहे उसमें दो फसलें न ही उगायी गई हों अथवा बिल्कुल सिंचाई न की गई हो। उसको सिंचित भूमि वह घोषित कर देगा। इस तरह का अधिकार दे देने से अधिकारी को बिलकुल निरंकुश बना दिया गया है और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जिन अधिकारीयों ने यह बिल फ्रेम किया उन्होंने अपने साथियों के लिए खाने पीने का रास्ता खोल दिया है और थाली परोस कर उनके सामने रख दिया है। इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित नियम होना चाहिये था कि इन-इन आधारों पर अमुक भूमि सिंचित मानी जायगी और इन आधारों पर सिंचित नहीं मानी जायगी। इसी प्रकार से दो फसली वाली बात है। वह सोच ले कि इसमें दो फसलें उगाई जा सकती हैं तो उसको दो फसल उगाने वाला और सिंचित घोषित कर देगा। उसी तरह से उपर्युक्त वर्षों में से किसी एक वर्ष में ऐसी भूमि में कम से कम दो फसलें वाली बात है। नियमों की कमी को दूर करने के लिए यह अधिकार दे दिया गया है। मैं यह नहीं कहता कि यह अधिकार क्यों दे दिया गया। यह अधिकार रहे, लेकिन उसके साथ कुछ नियम बना दिये जाएं, कुछ बंदिश लगा दी जाएं, जिनके आधार पर वह अधिकारी निर्णय कर सके। नहीं तो यह होगा कि वह खेत पर जाएगा, जहां उसकी जेब में पैसा नहीं पड़ेगा तो खेत सिंचित घोषित हो जायगा और नहीं तो वह असिंचित घोषित हो जायगा। तो इस निरकुंशता की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[श्री वीर सिंह सेंगर]

दूसरी बात यह हुई है कि उसको विश्वास करने का कारण यह है कि उसकी मिट्टी का वर्ग तथा गुण ऐसा है कि उसमें किसी कृषि वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाई जा सकती हैं। तो आप देखें सीलिंग अधिकारी कार्यपालिका का अधिकारी होगा, वे कोई टेक्निकल आदमी नहीं होंगे, उनको भूमि की किस्म का कोई ज्ञान नहीं होगा। उनको कैसे मालूम होगा कि वह जमीन दो फसलें उगाने की क्षमता रखती है या नहीं रखती है। इसका परिमाण यह होगा कि एक ही भूमि के लिए दो अधिकारियों के अलग-अलग निर्णय होंगे और एक ही व्यक्ति दो जगह अलग-अलग निर्णय देगा। इसलिए इस नियम को हटाया जाना चाहिए या इस कार्य के लिए टेक्निकल आदमी रखे जाने चाहिए। वही इस चीज को तय करे कि मिट्टी का गुण ऐसा है कि इसमें दो फसलें उगाई जा सकती हैं। अथवा नहीं इसके साथ-साथ यह भी है कि पिछले 3 वर्षों में किसी वर्ष भी एक फसल उगाई गई हो, फसल उगा ली गई हो, तो उसको सिंचित माना जाएगा। तो मेरा निवेदन यह है कि एक वर्ष के बजाए दो वर्ष कर देना चाहिए। क्योंकि इधर विकास का कार्य हुआ है, लोगों के मन में यह भावना हुई है, अच्छी से अच्छी खेती हुई है और प्रयोग के तौर पर दो फसलें उगाई गई हैं और कृषि विभाग के कहने से लोगों ने नये बीज बोए या दूसरी चीज ले आए घोर प्रयोग के तौर पर उसने ऐसा किया और वह असफल हो गया तो छोड़ भागा किन्तु उसको यह दन्ड मिला कि उसकी जमीन को दो फसली घोषित कर दिया गया। उसकी भूमि की सीमा कम कर दी गई है, यह ठीक नहीं है। तो एक साल के बजाए दो साल का लेखा-जोखा रखना चाहिए, एक साल का रखना ठीक नहीं है। उन्होंने देशहित में प्रयोग के तौर पर एक नई फसल बोई तो इसके लिए उसको दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

साथ ही यह है कि सिंचित किसको माना जाएगा, इसकी परिभाषा दी गई है कि अनुसूची (1) में नहरें दर्ज हैं, या किसी लिफ्ट सिंचन नहर द्वारा या ट्यूबवेल और निजी सिंचाई के साधन हों, उनसे अगर कोई सिंचाई होती है तो उसको सिंचित माना जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी बेतवा कनाल बुन्देलखंड की जो है यह फेमिन स्कीम के अन्तर्गत बनाई गई है। यह नहर पूरा पानी देने की क्षमता नहीं रखती है। केवल इसलिए बनाई गई है कि समय-समय पर सूखा न पड़ने पाए और सूखे की स्थिति में इससे कुछ पानी दिया जा सके।

माताटीला बांध बना। उसकी बिलकुल इतनी क्षमता नहीं है कि पूरे वर्ष पानी दे सके और दो फसलों का पानी दे सके। परन्तु सिंचाई के रेट के आधार पर उसको सितम्बर, 1972 में शेड्युल 1 में रख दिया गया। उसको सीलिंग में शेड्युल वन में ले लिया गया। सारे के सारे संशोधन का असर बुन्देलखंड के लोगों पर पड़ने वाला है। शेड्युल 1 में नहरों की परिभाषा है, जिसमें वर्फ का पानी आता है, जो नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, वर्ष भर पानी देती हैं, उनको शेड्युल 1 में रखना चाहिए, जैसे शारदा कैनाल है, अपर गंजेज है, लोअर गंजेज है। बेतवा कैनाल पहाड़ से नहीं निकलती है। माताटीला बांध मैदान में बना हुआ है। अगर बारिश होती है तो उसमें पानी है नहीं होती है तो नहीं है। केवल बेतवा कनाल के सम्बन्ध में बात नहीं है, कई एक छोटी-छोटी बंधियां और टैंक्स हैं। झांसी और हमीरपुर में जो शेड्युल 1 में दर्ज कर लिये गये हैं, सिंचाई के केवल रेट के कारण। मैं यह कहूंगा कि कम से कम सीलिंग के परपज के लिए उनको शेड्युल 1में न माना जाय।

इसी प्रकार ट्युबवेल के विषय में कहा गया। एक आदमी का ट्युबवेल है वह एक साल अपने पड़ोस के खेत को पानी दे देता है। लेकिन दूसरे साल वह पानी नहीं देता है, लड़ाई हो गयी या पानी की कमी हो गयी, तो उसको भी सिंचित न मानें। खंड 4 (क) में ढाई हेक्टर की जगह पर डेढ़ हेक्टर रख दिया गया है। बुन्देलखंड में चार प्रकार की

भूमि है। ऐग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट कानपुर ने रिचर्स की है कि बुंदेलखंड की भूमि ऐसी नहीं हैं जिनमें दो फसलें उगायी जा सकें। वहां की सिंचित भूमि तथा मेरठ की सिंचित भूमि में 1 और 5 का अन्तर है। उसको आपने 1 और ढाई रखा था। अब संशोधित करके ढाई की जगह डेढ़ रख दिया गया है। बुन्देलखंड में 18, 20 और 30 एकड़ वाला अपना बीज भी नहीं बो पाता है, यह सब लोग जानते हैं और माननीय मंत्री को भी ज्ञात होगा। इतनी जमीन रहनी चाहिए कि वह नो रेट लैंड न हो सके। उसके पास जब साधन ही नहीं होगा तो खेती में क्या लगा सकता है। आज तीन हजार रुपये की बैल की जोड़ी आती है। अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं।

मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो संशोधन है और आप यह कहते हैं कि अधिकतम भूमि बांटना चाहते हैं करोड़ों भूमिहीनों में वह भी मंशा साफ जाहिर नहीं होती। इसके लिए जिलों में जिला स्तर और तहसील स्तर पर कमेटियां बनायी गयी हैं। पिछली बार जब सीलिंग हुई थी तो अधिकारियों ने जमीन का बटवारा किया था। अबकी बार कमेटी बनी उसमें विधायकों को नहीं रक्खा गया है। आज मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया कि विधायकों को इसमें इसलिये नहीं रक्खा गया क्योंकि व सदन के कार्य में व्यस्त रहते हैं जबकि ब्लाक प्रमुख और स्थानीय लोगों को रक्खा गया है। अगर जन प्रतिनिधियों को रखते तो वह अधिकारियों पर अंकुश रखते।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री वीरसिंह सेंगर---

इन शब्दों के साथ में आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

श्री लोकपति (जिला मिर्जापुर)---

अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश अधिनियम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1974 के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, सदन के सम्मानित साथियों ने जो अपने विचार दिये मूलतः सब लोग इस पक्ष के थे कि जो भूमिहीन हैं उसको जमीन दी जाय ताकि उसकी आर्थिक स्थित का सुधार हो। जमीन का मापदंड अलग-अलग है। जमीन भौगोलिक चीज है, वह प्रकृति के द्वारा दी हुई है, जमीन की उर्वरा-शक्ति और उसका रूप एक नहीं हो सकता।

अब जो कानून बनें वह भूमि की स्थिति को देखकर बनने चाहिये। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि संशोधन विधेयक के पृष्ठ 4 पर निम्नलिखित क्षेत्र में अर्थात् (क) बुन्देलखण्ड (ख) इलाहाबाद, इटावा, मथुरा, तथा आगरा जिले के यमुनापारी भाग, (ग) यमुना की गहरी धारा से 16 किलोमीटर तक इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, मथुरा और आगरा जिलों के यमुना के इस पार के भाग, (घ) मिर्जापुर जिले का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है, (ङ) मिर्जापुर जिले में तहसील सदर के टप्पा उपरोध और टप्पा चौरासी (बलाय पहाड़), (च) मिर्जापुर जिले में राबर्ट्सगंज तहसील का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के उत्तर में है, (छ) मिर्जापुर जिले में परगना सक्टेशगढ़ और तहसील चुनार के परगना अहरौरा और भागवत की पहाड़ी पट्टियों के गांव जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की अनुसूची 6 की सूची "क" और "ख" में उल्लिखित हैं, (ज) वाराणसी जिले में तहसील चकिया के भूतपूर्व नौगढ़ तल्लुका का क्षेत्र, (झ) कुमायूं तथा गढ़वाल मंडलों के पहाड़ी और भावर क्षेत्र एवं देहरादून जिले का जौनसार बावर परगना। किसी

[श्री लोकपति]

असिंचित भूमि की ढाई हैक्टर भूमि को सिंचित भूमि के एक हैक्टर के रूप में गिना जायेगा यहां पर संशोधन में है कि ढाई के बजाय डेढ़ कर दिया जाय ।

मैं मिर्जापुर जिले के बारे में आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक फसली का अर्थ क्या है । क्या उस खेत में जिसमें सावां कोदो की फसल की जा रही है वह जमीन एक फसली मानी जायेगी । यह जंगली घास है इसकी प्रोटीनवैल्यू कुछ नहीं है । इसी क्षेत्र में सरकारी फार्म हैं जिनमें आधुनिक खेती के सारे साधन उपलब्ध हैं और जो वहां खेती करते हैं वे कृषि शिक्षा प्राप्त हैं । सरकारी फार्मों की औसत पैदावार 15 से 18 मन प्रति एकड़ है यह हम उस खाद्यान्न की बात कर रहे हैं जिसके बीज वहां के काश्तकारों को वितरित किये जाते हैं और रबी की पैदावार 5 मन से 7 मन प्रति एकड़ है । इसकी व्यवस्था नहीं की गई कि एक फसली का क्या अर्थ है ।

हमारे प्रदेश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां एक फसली की खेती की जाय तो पैदवार 25-28 मन प्रति एकड़ होती है और ऐसे क्षेत्र हैं जहां की पैदावार 15-17 प्रति एकड़ है और मिर्जापुर जिले में ऐसे क्षेत्र हैं जहां की खरीफ की औसत पैदवार 3-5 मन प्रति एकड़ और 7-8 मन तक है और रबी की ढाई से तीन है । सिंचाई उपलब्ध हो या न हो लेकिन जमीन की स्थिति भिन्न होती है । यहां 6 फिट से लेकर पत्थर हैं और मौरंग की मिट्टी है जिसमें पानी की अधिक जरूरत होती है ।

पिछले दस वर्षों में मिर्जापुर के पांच भागों का विवरण दिया गया है । सदर तहसील के टप्पा चौरासी का जो एरिया है वह घनरौल बाग से संबंधित है, वहां सिंचाई की सुविधा नहीं है । 1964-73 के बीच में सरकार ने साढ़े आठ करोड़ रूपया इसलिये व्यय किया कि लोगों को पीने का पानी मिले, राहत कार्य चलाये जायें तथा सस्ता अन्न दिया जाय क्योंकि वहां की खाद्यान्न की स्थिति दुर्गम रही है ।

श्री गंजी प्रसाद (जिला वाराणसी)—

अभी विधेयक पास नहीं हुआ । जमीन की मालियत कम हो जाये और सीलिंग से बच जाये ।

श्री लोक पति—

सुन लें । मेरा अनुरोध है कि जोत सीमा जो भी रखें.... ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

आप राजस्व मंत्री के बारे में कह रहे हैं और राजस्व मंत्री हैं नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—

स्वास्थ्य मंत्री जी मौजूद हैं वह आपकी बात उन तक पहुंचा देंगे । संयुक्त दायित्व है ।

श्री लोक पति—

माननीय विशारद जी की रिपोर्ट में चर्चा की गयी है कि 90 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो बंट सकती थी । अगर कुल जमीन ले लें तो 1 करोड़ 10 लाख एकड़ जमीन निकलती है । बड़े फार्म को ले लीजिए तथा और जो भी बड़े-बड़े किसान हैं उनकी जमीन को भी ले लें तो 1 करोड़ 10 लाख एकड़ है । माननीय विशारद जी ने अपनी रिपोर्ट में संस्तुति की है कि 3-1/8 एकड़ जमीन कम से कम एक व्यक्ति को दी जानी चाहिए । भारत सरकार ने जो एग्रीकल्चरल कमीशन बनाया था उसने संस्तुति की थी कि किसी व्यक्ति को गुजर करने के लिए 6-1/2 एकड़ जमीन कम से कम हो । 35 लाख व्यक्तियों

को बांट सकते हैं। अगर साढ़े 6 एकड़ का मापदण्ड रखा जाये तो 15 लाख परिवारों को बांट सकते हैं। इस तरह से जो 1 करोड़ व्यक्ति हैं उनका क्या होगा। जो मापदण्ड बनाया जाये वह इस बात को ध्यान में रखकर बनाया जाये जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो और प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़े। एक अनुरोध भीखा लाल जी से करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने संशोधन प्रस्ताव को पेश करते समय गोपालपुर फार्म की चर्चा की, एक दिन और उन्होंने इसकी चर्चा की थी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी का उस फार्म से कोई ताल्लुक नहीं है। वह एक सहकारी कृषि संस्था है जिनका नाम है गोपालपुर कोआपरेटिव सहकारी समिति। उसका रजिस्ट्रेशन 19 जनवरी, 1951 को हुआ था। उसके रजिस्ट्री कराने में 2 वर्ष का समय लगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस समय कोई सहकारी फार्म नहीं था। जब रजिस्ट्री 19 जनवरी, 1951 को हुई तो उस समय सदस्य संख्या 105 थी और वह अब भी है। मेरा उनसे कहना है कि किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है। और अगर जमीन बांटनी है भूमिहीनों को तो जमींदारी उन्मूलन कानून के अन्तर्गत आपको संशोधन करना पड़ेगा और सरकार को यह अधिकार लाना पड़ेगा कि माननीय सदन के द्वारा 1952 से किये गये सारे प ट्टे समाप्त किये जायं और उन्हें पुनः बांटा जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा पेश किये हुए संशोशन का समर्थन करता हूं।

श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मुझे यह आशा थी कि यह जो संशोधन विधेयक आज प्रस्तुत हुआ है इसमें कुछ ऐसे संशोधन आयेंगे जिसमें माननीय मंगलदेव विशारद जी की कमेटी में जो सुझाव दिये गये थे उन सुझावों के अनुसार इसमें संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे। लेकिन हमने इसका अध्ययन किया तो यह पता चला कि उस कमेटी की रिपोर्ट और उसके सुझावों के अनुसार इसमें पर्याप्त और उपयुक्त संशोधन नहीं लाये गये हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस विधयक में उपयुक्त संशोधन लाये जायं, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें और भी क्रांतिकारी संशोधन लाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं माननीय भीखालाल जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं बहुत माने में उसका समर्थन करता हूं, और कुछ अपना सुझाव देना चाहता हूं।

मान्यवर, आज सही माने में देखा जाय तो खे ी वास्तव में खेती करने वालों के पास नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि जो वास्तव में खेती करता है खेती उसके पास होनी चाहिए लेकिन आप वर्तमान व्यवस्था को देखें, समाज को देखें तो आज खेती उसी के पास है जो बहुत बड़ा अफसर बना हुआ है, उद्योगपति है, और ऊंचे-ऊंचे पदों पर हैं, उन्हीं के पास आज खेती भी है, उन्हीं के पास सबसे ज्यादा भूमि भी है। लेकिन जो वास्तव में खेती करता है, भूमिहीन है, मजदूर है, जिसका केवल एक ही सहारा खेती है, जिसका केवल खेती से ही संबंध है उसके पास खेती नहीं है। इसलिए मान्यवर मैं यह निवेदन करूंगा कि आज इस प्रकार के कानून लाने की आवश्यकता है, इस तरह के संशोधन लाने की आवश्यकता है कि जो खेती वास्तव में नहीं करते हैं, जो अन्य पदों पर हैं, जो अन्य लाभ के पदों पर हैं, जिनके पास और जीविका साधन है, चाहे वह नौकरी पर हैं, चाहे रोजगार में हैं, उनके नाम से खाते हैं तो उनको खारिज करके समाप्त कर दिया जाय और वह खेत निकाल कर भूमिहीन खेत मजदूरों को बांटा जाय। आज इसी प्रकार के संशोधन की जरूरत है। आज इस प्रकार के विधेयक की जरूरत है। आज चकबंदी व हदबन्दी कानून बन चुके हैं। अब हदबंदी कानून बनाकर जिनको वास्तव में खेती की जरूरत है, और जो स्वयं खेती करते हैं खेती का बटवारा उनमें करना चाहिए। खेती की सीमा जो रखी गई है वह आज बहुत अधिक है। सिंचित जमीन अधिक से अधिक सवा 6 एकड़

[श्री सीताराम निषाद]

रखनी चाहिए और जो एक फसली या असिंचित या बाग हैं उसको भी एक फसली मानकर, उसकी अधिकतम सीमा कुल मिलाकर 10 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से सीमा निर्धारित करके यह हदबंदी का कानून बनना चाहिए।

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये अवसर दिया। आज जो संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय भीखा लाल जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का जिसमें उन्होंने इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है, विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, जब सन् 1947 में राजनीतिक आजादी प्राप्त की तभी से देश और प्रदेश में आर्थिक आजादी के लिए संघर्ष आरम्भ हुआ। कांग्रेस के नेतृत्व में देश के करोड़ों जन-जन ने उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों ने, उन लोगों का जिनके हाथ में जमींदारी थी और जो एक तरह से अंग्रेजी राज्य की रीढ़ की हड्डी थी, विरोध किया और जमींदारी प्रथा के प्रयास किया। विरुद्ध आवाज उठायी और भूमि को जो जोतता था उसको अधिकार दिलाने का 1950 में जमींदारी एबोलिशन अधिनियम पास हुआ और 1960-61 में भूमि की हद को निर्धारित करने के लिए प्रयास किया गया ताकि जो पहले के जमींदार थे या जो नये जमींदार पैदा हुए, बड़े-बड़े फार्मों के मालिक बने, उनकी सीमा निर्धारित हो जाय। उस समय यह भी देखा गया कि सारे कानून पास करने के बावजूद भी भूपतियों ने अपने अधिकारों को बनाये रखने के लिए, अपनी जमीन पर कब्जा रखने के लिए प्रयास किया। उस पर काबू पाने के लिए ही यह संशोधन विधेयक रखा गया है। माननीय भीखा लाल जी ने जो संशोधन पेश किया है, मैं समझता हूं कि उनकी मंशा केवल इतनी ही है कि सरकार को जिस तीव्र गति से चलना चाहिए वह नहीं चल पा रही है, उनकी मंशा इस संशोधन से विरोध करने की नहीं है। इस लिए मेरा उनसे बड़ा विनम्र निवेदन है कि जितने वे इसके लिए आतुर हैं, उतने ही हम भी आतुर हैं कि शीघ्रता से यह सीलिंग ऐक्ट लागू हो। देश की भूमि, धन और धरती का बंटवारा यदि समय पर नहीं होता है, तो निश्चित बात है कि आने वाले दिनों में जनता चुप नहीं बैठेगी और किसी को बख्शेगी नहीं।

हमारे विरोध पक्ष के एक माननीय सदस्य ने अमेरिका का उदाहरण दिया। मैं उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वहां का क्षेत्रफल वहां की आबादी हिन्दुस्तान की आबादी का क्या अनुपात बैठता है, क्या कभी उन्होंने इस पर विचार किया। मैं देखता हूं कि जमींदारी प्रथा के जो अवशेष प्रतिक्रियावादी लोग हैं वे आज भी घुमा फिरा कर, कहीं, मैकेनाइज्ड फार्म की बात उठाकर और कहीं पर बड़ी जोतों की बातों को उठाकर कि इनसे ही उत्पादन बढ़ सकता है, इन बातों को सामने लाते हैं। एक साथी ने जापान का उदाहरण दिया। यह सही है कि छोटी जोतों के होने से उत्पादन में कमी हो सकती है लेकिन छोटी जोतों से उत्पादन में वृद्धि भी हो सकती है और बड़ी-बड़ी जोतों के रहते हुए यह आवश्यक नहीं है कि उत्पादन बढ़े। यह तो काश्तकार के काम करने पर मुनहसर करती है। अन्न का उत्पादन तभी बढ़ेगा जब कि काश्तकार स्वयं को उस भूमि का स्वामी समझेगा और अगर उसमें उसका हित नहीं होता है तो उत्पादन नहीं बढ़ सकते हैं। भूमि छोटी हो या बड़ी उत्पादन के लिए यह आवश्यक नहीं है।

अब मैं 1-2 सुझाव इस सम्बन्ध में देना चाहता हूं। पहला और आवश्यक सुझाव मेरा यह है कि इस अधिनियम के लागू होने से जो भूमि निकले एक बड़े फार्म से निकले उसे अलग-अलग टुकड़ों में न लिया जाय बल्कि एक हिस्से से काटा जाय। ऐसा न हो कि

एक बीघा यहां से और एक बीघा दूसरी जगह से दी जाय। पहले एक स्थान पर जो भूमि निकाली जाय, उसके बटवारे के लिये स्थानीय जनता के सहयोग से एक समिति बना ी जाय ताकि भूमिहीनों को भूमि वितरण के सम्बन्ध में सुविधा मिलें। भूमि वितरण करने क लिए भूमि की सीमा निर्धारित करने के लिए कानून तो बनाया जा रहा है परन्तु यह स्वाभाविक बात है कि देहात में रहने वाले भूमि के स्वामियों में यह बात खटकती है कि क्यों नहीं शहरों में जिनकी संपत्ति है उनकी सीमा निर्धारित की जाती। यदि उत्तर प्रदेश सरकार या विधान सभा के अधिकार क्षेत्र में यह बात न हो तो एक संकल्प द्वारा भारत सरकार से निवेदन करें कि शीघ्र ही विधेयक शहरी संपत्ति की सीमा निर्धारण के संबंध में लाया जाय। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस दिशा की ओर बड़ा अच्छा कदम बढ़ाया है।

श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला खीरी)—

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक जो उपस्थित है वह सदन के पटल पर कई बार अनेक रूप में स्तुत हो चुका है। आपके संशोधन मे मुझे और कोई जोर नहीं देना है ऐसा लगता है कि सारा समाजवाद और सुधार का व्यवस्था आपकी सब गांव पर और विशेष कर जमीन पर आ गयी है। शहरी जमींदारी को खत्म करने पर कोई जोर आपका नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि यह सीलिंग ीसरी बार लायी गया। पहले स 52 में जमींदारी उन्मूलन के वक्त सीमा बन ी हुई, उसके बाद दूसरी 1960 में लागू की ग ी, तीसरी बार लागू हुई 1971 से परन्तु आज तक शहरी ज ींदारी खत्म नहीं हुई और शायद सरकार का रादा भी नजर नहीं आता वह ज्यों की क्यों आज भी बनी हुई है।

जो अभी प्राविधान किया गया है उसके अन्तर्गत एक ग्रामीण क्षेत्र का काश्तकार जिसके पास 18 एकड़ सिंचित भूमि है उसकी 54-60 हजार से ज्यादा मालियत नहीं की जा सकती जबकि शहर वालों के लिए आप 3 लाख से 5 लाख तक का प्राविधान कर रहे हैं। इतना अन्तर क ों? आपने जो बाग की जमीन के लिए प्राविधान रखा मैं सरकार के इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि सिंचित भूमि का ढाई गुना बाग की जमीन की सीमा रहनी चाहिए जिससे बाग न कटने पा । क्योंकि बाग की उपज काश्तकारी की उपज से बहुत कम होती है। अगर एक जसी सीमा रहेगी तो बहुत सी बागें तो कट ही गयी हैं, बाकी जो रही हैं वह भी कट जायंगी। संशोधन विधयक के अन्दर जो पृ0 4 में रखा है उपधारा (3) के अन्तर्गत कि जो जमीन सिंचित है, चाहे सरकारी साधनों से या किसी निजी काश्तकार के साधनों से, उसे सिंचित भूमि माना जायगा, इसम अन्तर यह है कि किसी काश्तकार की जमीन है, वह पानी कभी देता है, कभी नहीं देता है। उसको आप सिंचित मान लेते हैं तो वह जमीन कम हो जायगी और उसकी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पायेंगी। इसी तरह से राजकीय और निजी सिंचित भूमि में जरूर अन्तर रहेगा।

तीसरी चीज बहुत पहले जो जमीन हमा ी सिंचित थी, वह अधिक उत्पादन दे तो सिंचित भूमि जितनी रखी गयी थी उसमें 5 एकड़ अधिक दी जायगी वह प्राविधान था। बाद में वह कम कर दिया और 18 एकड़ की सीमा कर दी। इसके फलस्वरूप नलकूप, बोरिंग सब उखड़ गये। फिर एक बात यह है कि जमीन बांटने की बात ईमानदारी से की जाय तो आप देखेंगे कि जमीन 1 करोड़ 20 लाख एकड़ से अधिक नहीं निकलती है। प्रदेश की जनसंख्या 9 करोड़ है, साढ़े 7 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। अगर बांटना चाहें तो डेढ़ दो एकड़ से अधिक नहीं पड़ेगी। जब अधिकतम जोत सीमा निर्धारण करते हैं तो आप यह भी ध्यान में रखें कि जोत अलाभकर न हो जाय। इस प्रकार से तो आप बाबकर जोत को अलाभकर घोषित कर रहे हैं ताकि लाभकर जोत भी अलाभकर

[श्री राज बुजराज सिंह]

इस नीति से आज जो खाते पीते हैं वह भूखों मरना शुरू हो जायं। यह सरकार की केवल अपोजमेंट पालिसी है। यह जो एलेक्शन के समय आप कहते हैं कि सब को जमीन देना चाहते हैं तो यह केवल वोट कैचिंग वा स है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया। माननीय राजस्व मंत्री।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि दो मिनट मुझे दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

फिर ले लीजियेगा। अभी खंडों पर आना है।

श्री भीखा लाल—

मुझे अपने संशोधन के पक्ष में जवाब देने का समय नहीं दिया ?

श्री अधिष्ठाता—

आप अपने प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कर चुके हैं। अब उसका उत्तर माननीय राजस्व मंत्री जी देंगे। उसके बाद इस पर मतदान होगा।

(व्यवधान)

*श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, मैं बड़ा आभारी हूं कि इस तरफ वाले और विरोध पक्ष वाले माननीय सदस्यों ने काफी अपने विचार प्रकट किये। हमारे माननीय भीखालाल जी ने जो यह प्रस्ताव रखा कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय तो मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारे कामरेड पार्टी के माननीय सदस्य इस बात में और देर करना चाहते हैं कि गरीबों को जितनी ही जल्दी से जल्दी जमीन मिल सके। प्रवर समिति में भेजने का मतलब जैसा आप लोग कहा करते हैं कि किसी बात को टालना हो तो इन्क्वायरी दे दी गयी। माननीय भीखालाल जी के प्रस्ताव के माने यह हैं कि सीलिंग से जो फायदा हरिजनों को होने वाला है, जो भूमि हम चाह जिस अंश में खींचना चाहते हैं, वह उसके विरोध में हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

आप भूमि खींचना चाहते हैं, द्रोपदी का चीर है क्या जो उसे खींचना चाहते है। (हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

बड़े जोर शोर से हमारे भीखालाल जी ने अपनी पालिसी स्पष्ट करते हुये राय प्रकट की कि शायद हरिजनों क सबसे बड़े हितैषी आप ही हैं। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो जो कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे पहले एलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें सीलिंग की हद 20 एकड़ रखी गयी थी लेकिन जब हमारी इस कांग्रेस पार्टी ने 18 एकड़ रखी तो आपने अपने मनिफेस्टो में 12 एकड़ कर दिया। (व्यवधान) मालूम यह पड़ता है कि आपके दिमाग में कोई फिक्स्ड सीलिंग नहीं थी। तो यह बात शुरू में क्यों नहीं की ? शुरू से ही वे 12 एकड़ रखते, 20 क्यों रखा ? यह मैं मानता हूं कि जब-जब सीलिंग का कानून आया कुछ लोगों ने, जिनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भूमि से प्रेम था, किसी न किसी तरह से सीलिंग से बचने के तरीके निकाले। लेकिन उसके लिये उचित कार्यवाही करने के लिये भी सरकार तैयार है और प्रयत्नशील है।

(व्यवधान)

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

जैसे ही आपका विधेयक आता है, उधर बयनामे और पट्टे लिखने शुरू हो जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी बैठते नहीं हैं, आप कृपया उन्हें सुन।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, विरोध पक्ष की जो पार्टियां हैं उनमें से किसी की तरफ से कोई क्रान्तिकारी कदम भूमि संबंधी मामलों में कभी नहीं उठाये गये। क्रान्तिकारी कदम यदि कोई उठा सकती है तो वह कांग्रेस की सरकार ही है। यही सरकार क्रान्तिकारी कदम उठा रही है। माननीय भीखालाल जी को छोड़ कर अन्य किसी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने सीलिंग की तादाद के बारे में नहीं कहा कि हम यह चाहते हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

इसलिये नहीं दिया कि आप लोग गाड़ी के आगे काऽ बने हुये हैं।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

आप लोग कहते थे कि छोटे काश्तकार बनाना देश के हित में नहीं है, आज बड़े-बड़े ट्रैक्टर्स बन रहे हैं इसलिये बड़े-बड़े फार्म बनाने की आवश्यकता है। जनसंघ के माधव प्रसाद जी ने भी कोई लिमिट नहीं बतायी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हमारे जनसंघ के घोषणा-पत्र में वह स्पष्ट है, उसको बार-बार नहीं बताया जाता, फिर आज जो विधेयक आया है वह लिमिट के बारे में है ही नहीं, फिर व्यर्थ बताने से क्या लाभ था। उसको बता कर समय नष्ट करना था।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय त्रिवेणी सहाय जी ने जो एक संशोधन रखा है, हमारा कहना यह है कि जो हम संशोधन लाये हैं कि जो फसल एक बार सिंचित हो तो एक एकड़ सिंचित भूमि के बदले डेढ़ एकड़ असिंचित भूमि होनी चाहिये। उससे हम जमीन को कुछ कम कर रहे हैं लेकिन हमारे माननीय सदस्य ने अपने संशोधन में लिखा है कि "एकल फसल वाली भूमि की डेढ़ हेक्टर" के स्थान पर "एकल फसल वाली भूमि की 2 हेक्टर" रख दिये जायं। हम तो जमीन लेकर सीलिंग के द्वारा भूमिहीनों में जमीन बांटना चाहते हैं, उसके विरोध में आप इस तरह का संशोधन करना चाहते हैं। और फिर विरोध पक्ष से यह भाषण आता है कि यह सरकार गरीबों के हित में कार्य नहीं कर रही है और बड़े फार्म वालों की मदद कर रही है।

(व्यवधान)

(श्री त्रिवेणी सहाय के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

जब तक माननीय मंत्री जी हाउस के पजेशन में हैं और जब तक व स्वयं नहीं बैठते हैं तब तक किसी को नहीं बोलना चाहिये ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

माननीय मंत्री जी, इसका स्पष्टीकरण दे दें कि 8 जून, 1973 से इसको क्यों लागू कर रहे हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि हमारे माननीय त्रिवेणी सहाय जी इसलिये खड़े हुए कि उन्होंने अपन इस संशोधन का समर्थन नहीं किया क्योंकि यह आधार मूल नीति के खिलाफ, है कि डेढ़ एकड़ के बजाय आप दो एकड़ चाहते हैं । विशारद कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई उस पर विचार हुआ । माननीय सदस्यों ने कैसे यह नतीजा निकाल लिया कि सरकार उसको कार्य रूप में परिणत नहीं करना चाहती है । काफी लम्बे अर्से के बीच में तरह तरह से जो जिसकी समझ में आया, सीलिंग से बचने के लिये अनेकों प्रकार के तरीके अख्तियार किये गये । विशारद कमेटी की रिपोर्ट में हमें एक लाइन भी ऐसी नहीं मिल पायी कि किस तरीके से ट्रांसफर को अवैध करार दिया जाय । इसलिये रिपोर्ट के हर आइटम पर विचार करने के लिये मैंने उनकी डिटल रिपोर्ट मंगायी है जिससे हम दूसरे संशोधन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भूमि निकाल कर हरिजनों में बांट सकें ।

श्रीमन्, मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य इस संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी हो हम ज्यादा जमीन नहीं निकाल पाये कम निकाल पाये । कहना है कि बार-बार संशोधन होता है । बार-बार तो भाई एलेक्शन मेनिफेस्टो भी बदलता है सामाजिक परिवर्तन के हिसाब से । जैसे हमारे जनसंघ का मेनिफेस्टो बदला, हमारे कामरेड पार्टी का मेनिफस्टो सीलिंग के सिलसिले में बदला । मैं कई मर्तबा माननीय सदस्यों के सामने कह चुका हूं कि कानून एलेस्टिक होता है । हमारे किसी माननीय सदस्य ने नहीं कहा कि इसको प्रवर समिति में भेजने से क्या फायदा है । (व्यवधान)

मान्यवर, मुझे अफसोस है कि हमारे विरोधी दल में कोई अनुशासन नहीं है । जब मैं खड़ा हूं तो बार-बार इन्टरप्शन होता है । बाद में आप जवाब दे सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं । मैं यह कह रहा हूं कि जब कोई भी कानून बनता है । (एक सदस्य के कुछ कहने पर) (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

जो कुछ ये पूछ रहे हैं, आप लोग लिखेंगे नहीं । आप बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं ।

श्री गंजी प्रसाद—

[* * * *]

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[* * *]

श्री गंजी प्रसाद—

[* * *]

[* * *] श्री अधिष्ठाता की आज्ञानुसार निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता—

आप स्थान ग्रहण करें ।

(वक्ता न बोलना जारी रखा)

आम तौर से इस सदन में मुझे देखने को मिलता है कि माननीय सदस्य बिना मेरी आज्ञा के बीच में बोलना शुरू कर देते हैं । जो लोग प्रोसीडिंग से संबंध रखते हों, जो भी माननीय सदस्य मेरी बिना आज्ञा के बोलें, वह नोट न करें ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के साथ-साथ बोलने से शोर)

एक सदस्य—

[* * * *]

श्री अधिष्ठाता—

मैं कोई प्रश्न सुनना नहीं चाहता हूं ।

(शोर)

श्री गंजी प्रसाद—

[* * * *]

एक सदस्य—

[* * *]

श्री अधिष्ठाता—

मैं आप लोगों को आज्ञा नहीं दे रहा हूं । मंत्री जी खड़े हैं । मेरी रूलिंग अध्यक्ष की रूलिंग है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

तो श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से....

श्री गंजी प्रसाद—

[* * * *]

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य कानून को पढ़ लें और तब पूछें ।

एक सदस्य—

[* * * *]

श्री अधिष्ठाता—

अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं आप बैठें ।

[***] श्री अधिष्ठाता की आज्ञानुसार निकाल दिया गया ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मैं कह रहा था कि कोई उचित कदम उठाने का सुझाव देना चाहिये था। जिससे गरीबों का हित होता और जमीन निकलती। लेकिन प्रवर समित में भेजने का सुझाव रखना मेरी समझ से गरीबों के हित के खिलाफ है। क्योंकि 6 महीने या साल भर प्रवर समित चलेगी। उसके बाद यह आयेगा। तो इस तरह से जो हरिजनों को जमीन दे सकेंगे उसमें विलम्ब होगा। तो विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने कोई सुझाव नहीं दिया कोई उचित राय नहीं दी है। संशोधन अगर पेश हुआ तो यह हुआ कि जो इसमें डेढ़ एकड़ रखना चाहते हैं उसको 2 एकड़ कर दिया जाय। सीलिंग से बचाने के लिये।

तो हम जो यह संशोधन विधेयक लाये हैं इससे आशा है कि हमको काफी जमीन जिस तरह से निकल रही है, मिलेगी, सदन यह विश्वास रखे। अभी विशारद कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर पूर्णतः हम विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट लेंगे तब ऐसा विचार किया जायेगा कि इसमें कोई कदम उठायें ताकि जिन्होंने सीलिंग ऐक्ट की अवहेलना की है उनसे जमीन ली जाये। तो मैं आशा करता हूं कि इसे प्रवर समिति को देने का प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

श्री अधिष्ठाता---

भीखा लाल जी आप वापस ले रहे हैं ?

श्री भीखा लाल---

नहीं। क्यों नहीं लेना चाहता हूं इसके लिये कुछ अवसर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक 1974 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जिसको परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट 1 माह के अंदर प्रस्तुत करे।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

घोषणा

2---एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को सुनिश्चित करन की दिशा में राज्य को नीति को कार्यान्वित करने के लिए है।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 3

3—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,—

उत्तर प्रदेश अधिनियम 1, 1961 धारा 3 का संशोधन

(क) खण्ड 11 में शब्द "नियत रीति से" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 4-क में निर्धारित रीति से" रख दिये जायें।

(ख) खंड (11) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:— "(11-क) 'अवयस्क' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु 18 वर्ष की न हो गयी हो,"

(ग) खंड (18) में, शब्द "सिंचित भूमि या बाग भूमि" के स्थान पर शब्द "सिंचित भूमि, बाग भूमि या ऊसर भूमि" रख दिये जायें।

श्री कुंवर बहादुर मिश्र (जिला हमीरपुर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 (ख) द्वारा मूल अधिनियम की धारा 3 में प्रस्तावित खण्ड (11-क) निम्नांकित रूप में रख दिया जाय।

"(11-क) 'वयस्क' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु 18 वर्ष की हो गई हो तथा 'अवयस्क' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो वयस्क न हो।"

श्री अधिष्ठाता—

क्या माननीय मंत्री जी को संशोधन स्वीकार है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 (ख) द्वारा मूल अधिनियम की धारा 3 में प्रस्तावित खण्ड (11-क) निम्नांकित रूप में रख दिया जाय।

"(11-क) 'वयस्क' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु 18 वर्ष की हो गई हो, तथा 'अवयस्क' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो वयस्क न हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 के वर्तमान मद (ग) को पुनः संख्यांकित करके मद (घ) कर दिया जाय तथा इस प्रकार पुनः संख्यांकित मद (घ) के पूर्व मद (ग) को निम्नांकित रूप में बढ़ा दिया जाय:

"(ग) खण्ड (17) में शब्द "किन्तु" के पश्चात् शब्द तथा अंक "सिवाय अध्याय 3 के" बढ़ा दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता—

क्या माननीय मंत्री जी को स्वीकार है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, मुझे मंजूर है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 के वर्तमान मद (ग) को पुनः संख्यांकित करके मद (घ) कर दिया जाय तथा इस प्रकार पुनः संख्यांकित मद (घ) के पूर्व मद (ग) को निम्नांकित रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(ग) खण्ड (17) में शब्द "किन्तु" के पश्चात् शब्द तथा अंक "सिवाय अध्याय 3 के" बढ़ा दिये जायं :

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "खण्ड 3 की मद (ग) निकाल दी जाय"। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अधिक जमीन अर्जित करने के लिये हम यह बिल लाये हैं ताकि ज्यादा जमीन निकल सके और अधिक लोगों को दे सकें। इसमें आपने जो यह जोड़ दिया है बाग, असिंचित भूमि और ऊसर। तो यह ऊसर क्यों जोड़ दिया गया है। यह बात समझ में नहीं आई, अगर बता दें तो अच्छा हो।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ऊसर और बाग यह एक एकड़ सिंचित में ढाई एकड़ मानी जाती है। बाग के लिये जैसा माननीय सदस्य ने कहा है एक तो फसल कम होती है और....

श्री अधिष्ठाता—

क्या संशोधन स्वीकार है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि "खण्ड 3 की मद (ग) निकाल दी जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 4

खण्ड 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में खण्ड (2) में,

(क) शब्द "किसी असिंचित भूमि की ढाई हेक्टर भूमि" के स्थान पर शब्द "किसी एकल फसल वाली भूमि की डेढ़ हेक्टर अथवा किसी अन्य सिंचित भूमि की ढाई हेक्टर भूमि' रख दिये जायें।

(ख) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—खण्ड (2) के प्रयोजनार्थ पद 'एकल फसल वाली भूमि' का तात्पर्य किसी ऐसी असिंचित भूमि से है जिसमें किसी राजकीय सिंचन संकर्म अथवा निजी सिंचन संकर्म से आश्वासित सिंचाई के परिणामस्वरूप किसी कृषि वर्ष में केवल एक फसल उगायी जा सके।"

श्री त्रिवेणी सहाय—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन रखता हूं कि "खंड 4 के मद (क) में शब्द 'एकल फसल वाली भूमि की डेढ़ हेक्टर' के स्थान पर 'एकल फसल वाली भूमि की 2 हेक्टर' रख दिये जायं।" जो मूल अधिनियम है उसमें सिंचित और असिंचित जमीन की परिभाषा करके कैटेगरी तय की है। जिनके पास सिंचित जमीन है उनको तो दे दिया और जिसके पास साधन नहीं हैं उनकी सीमा निर्धारित कर दी। लेकिन जिनके पास एक फसल का साधन है तो उन्हें भी लाभान्वित होना चाहिए। इसी उद्देश्य से यह रखा है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह संशोधन अस्वीकृत है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि "खंड 4 के मद (क) में शब्द 'एकल फसल वाली भूमि की डेढ़ हेक्टर' के स्थान पर 'एकल फसल वाली भूमि की 2 हेक्टर' रख दिये जांय"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 4 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 5

5—मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:— नयी धारा 4—क का बढ़ाया जाना

"4-क—नियत प्राधिकारी वर्ष 1378 फसली, 1379 फसली और 1380 फसली के संगत खसरों, गांव के नवीनतम नक्शों तथा ऐसे अन्य अभिलेखों की, जिन्हें वह आवश्यक समझे, जांच करेगा और जहां वह आवश्यक समझे स्थानीय निरीक्षण भी कर सकता है, और तदुपरान्त यदि नियत प्राधिकारी की यह राय हो कि— सिंचित भूमि का अवधारण

प्रथमतः—(क) उपर्युक्त वर्षों में से किसी एक वर्ष में किसी फसल के सम्बन्ध में—

(1) समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 1579—डब्लू/23-62-डब्लू- 1946, दिनांक 31 मार्च, 1953 में अधिसूचित सिंचाई दरों की अनुसूची संख्या 1 में सम्मिलित किसी नहर द्वारा, या

(2) किसी लिफ्ट सिंचन नहर द्वारा, या

(3) किसी राजकीय नलकूप या किसी निजी सिंचन संकर्म द्वारा, किसी भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी, और

श्री अधिष्ठाता]

(ख) उपर्युक्त वर्षों में से किसी एक वर्ष में ऐसी भूमि में कम से कम दो फसलें उगायी गयी थीं, या

द्वितीयतः—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवृत्त होने के पश्चात् परिचालित होने वाले राजकीय सिचन संकर्म द्वारा किसी भूमि को सिचाई सुविधा उपलब्ध हो गयी और ऐसे संकर्म के परिचालित होने के दिनांक तथा धारा 10 के अधीन नोटिस जारी किय जाने के दिनांक के बीच किसी कृषि वर्ष में ऐसी भूमि में कम से कम दो फसलें उगायी गयी थीं, या

तृतीयतः—(क) कोई भूमि किसी लिफ्ट सिचन नहर या राजकीय नलकूप अथवा निजी सिचन संकर्म के प्रभावकारी कमाण्ड क्षेत्र में स्थित है, और

(ख) उसकी मिट्टी का वर्ग तथा गुण ऐसा है कि उसमें किसी कृषि वर्ष में कम से कम दो फसलें उगायी जा सकती हैं; या

चतुर्थतः—वर्ष 1378 फसली, 1379 फसली और 1380 फसली में से किसी वर्ष में किसी भूमि में गन्ने की फसल उगायी गयी थी;

तो नियत प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि को सिंचित भूमि अवधारित करेगा।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "प्रभावकारी कमांड क्षेत्र" का तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है जिसका किसी भी दिशा में सबसे दूर का खेत :—

(क) वर्ष 1378 फसली, 1379 फसली और 1380 फसली में से किसी वर्ष में, या

(ख) खण्ड "द्वितीयतः" में अभिविष्ट कृषि वर्ष में, सिंचित किया गया हो।

स्पष्टीकरण 2—किसी निजी सिंचन संकर्म का स्वामित्व तथा उसका अवस्थान इस धारा के प्रयोजनार्थ संगत न होगा।'

श्री प्रेमदत्त—

मैं आपकी आज्ञा से संशोधन रखता हूं कि "खंड 5 द्वारा मूल अधिनियम में प्रस्तावित धारा—4—क में शब्द "चतुर्थतः वर्ष 1378 ··· गयी थी' निकाल दिये जाय।"

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह स्वीकृत है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि "खंड 5 द्वारा मूल अधिनियम में प्रस्तावित धारा 4—क में शब्द चतुर्थतः वर्ष 1378 ····· गयी थी' निकाल दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री त्रिवेणी सहाय—

मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन रखता हूं कि "खंड 5 में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा 4—क के स्पष्टीकरण—1 में शब्द 'प्रभावकारी कमांड क्षेत्र ··· किया गया हो" के स्थान पर शब्द 'प्रभावकारी कमांड क्षेत्र' का तात्पर्य निजी सिचन संकर्म क लिए उसके

स्वामी के सबसे दूर के खेत से तथा अन्य सिंचन 'संकर्म की दशा में सबसे दूर का खेत से है' रख दिये जायं।" यह बहुत आवश्यक संशोधन है। ऐसा है कि आपने कह दिया कि जो प्राइवेट ट्यूबवेल ओनर्स हैं या जहां प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं तो जितनी दूर तक सींच सकते हैं वह खेत इसमें शामिल कर दिये जायगे। इसमें मेरी घोर आपत्ति यह है कि अपने ही खेत सींच रहा हूं और पड़ोसी के खेत को नहीं सींचने देना चाहता। लेकिन इससे अगर किसी से मेरी दुश्मनी है तो उसकी भी जमीन मेरे ट्यूबवेल के कमांड में रख रहे हैं। जहां सरकारी ट्यूबवेल या नहर हो वहां तो यह चल सकता है लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में ट्यूबवेल्स हैं वहां यह चीज नहीं आनी चाहिए।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

त्रिवेणी सहाय जी सोचते हैं कि इससे झगड़ा होगा लेकिन हम समझते हैं कि इससे प्रेम होगा। इसलिए यह अस्वीकृत है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि "खंड 5 में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा 4—क के स्पष्टीकरण—1 में शब्द 'प्रभावकारी कमांड क्षेत्र.... किया गया हो" के स्थान पर शब्द 'प्रभावकारी कमांड क्षेत्र' का तात्पर्य निजी सिंचन संकर्म के लिये उसके स्वामी के सबसे दूर के खेत से तथा अन्य सिंचन संकर्म की दशा में सबसे दूर का खेत से है' रख दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री त्रिवेणी सहाय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "खंड 5 में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा 4—क के स्पष्टीकर—ण 2 में 'प्रयोजनार्थ संगत न होगा' के स्थान पर 'प्रयोजनार्थ संगत होगा' रख दिय जायं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अस्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि "खंड 5 में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा 4-क के स्पष्टीकरण 2 में 'प्रयोजनार्थ संगत न होगा' के स्थान पर 'प्रयोजनार्थ, संगत होगा' रख दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री प्रेम दत्त—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड 5 द्वारा मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा 4-क में स्पष्टीकरण—2 पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—3—जहां वर्ष 1378 फसली, 1379 फसली और 1380 फसली में से किसी भी वर्ष में किसी भूमि में गन्ने की फसल उगाई गई हो तो यह समझा जायगा कि इन वर्षों में से किसी भी वर्ष में उस पर दो फसलें उगाई गई थीं और वह भूमि किसी कृषि वर्ष में दो फसल उगाने योग्य है।"

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

स्वीकार है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

कितनी निन्दनीय स्थिति है कि सरकारी तरफ से इसी समय से संशोधन आने लगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

यह कमेटी में पहले ही स्वीकार हो चुका था। अब माननीय सदस्य को अच्छाई भी बुराई लगती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

बिना सोचे समझे अमेंडमेंट लाने का ही यह फल है। न जाने कितने संशोधन लाने की जरूरत पड़ेगी। कानून पास ही न हो, गरीबों का भला हो न हो और अमेंडमेंट आने शुरू हो जांय। 'यू आर सेल्फ डिफीटेड।'

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 5 द्वारा मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा 4-क में स्पष्टीकरण-2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय :--

"स्पष्टीकरण-3-जहां वर्ष 1378 फसली, 1379 फसली और 1380 फसली में से किसी वर्ष किसी भूमि में गन्ने की फसल उगाई गई हो तो यह समझा जायगा कि इन वर्षों में से किसी भी वर्ष में उस पर दो फसलें उगाई गई थीं और वह भूमि किसी कृषि वर्ष में दो फसल उगान योग्य है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 5 इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 6 से 8

धारा 5 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 5 में--

(क) उपधारा (2) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्,--

"(ग) कोई इण्टरमीडिएट या डिग्री कालेज जो कृषि विषयक शिक्षा देता हो या स्नातकोत्तर कालेज";

(ख) उपधारा (3) में--

(1) प्रारम्भिक पैरा में शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (4), (5) और (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए" के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (4), (5), (6) और (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए" रख दिए जायें।

(2) खण्ड (ग) और (घ) निकाल दिये जायें।

(3) स्पष्टीकरण में, खण्ड (त) में शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक "खण्ड (क)" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक "इस उपधारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख)" रख दिये जायें।

(ग) उपधारा (5) में खण्ड (ख) में, शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक "खण्ड (घ)" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक "खण्ड (ङ)" रख दिये जायं।

(घ) उपधारा (6) में, वर्तमान स्पष्टीकरण को पुनः संख्यांकित करके उसका स्पष्टीकरण 2 कर दिया जाय, और इस प्रकार पुनः संख्याकित स्पष्टीकरण 2 के पहले निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ पदावली 'दिनांक 24 जनवरी, 1972 के पश्चात् ऐसी भूमि के किसी अन्तरण' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :—

(क) किसी वाद में, 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् किसी व्यक्ति की सह-खातेदार के रूप में घोषणा, भले ही ऐसा वाद 24 जनवरी, 1971 को विचाराधीन था अथवा उसके पश्चात् संस्थित किया गया था;

(ख) किसी अन्य विलेख या संलेख में अथवा किसी अन्य रीति से किसी व्यक्ति के पक्ष में की गयी सम्प्रभावी कोई स्वीकृति, अभिस्वीकृति या त्याग अथवा घोषणा।"

(ङ) उपधारा (7) में वर्तमान स्पष्टीकरण को पुनः संख्यांकित करके उसका स्पष्टीकरण-2 कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण-2 के पहले निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण 2—यदि उक्त तिथि के पश्चात् कोई वाद इस घोषणा के लिए संस्थित किया जाय कि उक्त तिथि को या उससे पूर्व किसी भूमि का बंटवारा हो चुका है तो ऐसी घोषणा की उपेक्षा की जायगी और उस पर विचार नहीं किया जायगा और यह समझा जायगा कि उक्त तिथि को या उसके पूर्व कोई बंटवारा नहीं हुआ है।"

धारा 6 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 6 में—

(क) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(छ) वह भूमि जो नियत सीमा तक, उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक प्रकार की गोशाला द्वारा 8 जून, 1973 के पहले से धृत हो;"

(ख) खण्ड (ज) निकाल दिया जाय।

धारा 8 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 8 में शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक 'खण्ड (क)' के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक 'खण्ड (क) या खण्ड (ख)' रख दिये जायें।

श्री कुंवर बहादुर मिश्र—

मैं प्रस्ताव करता हूं खंड 6 के—

(1) वर्तमान उपखंड (क) तथा (ख) को पुनः संख्यांकित करके उपखंड (ख) और (ग) कर दिया जाय तथा इस प्रकार पुनः संख्यांकित खंड (ख) के पूर्व निम्नलिखित उपखंड बढ़ा दिया जाय :—

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायं,—

"स्पष्टीकरण 1—किसी खातेदार पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र अवधारित करने में, उसके द्वारा धृत ऐसी समस्त भूमि को जो उसके वैयक्तिक अधिकार में हो, चाहे उसके नाम में हो या दिखावे के लिये किसी अन्य व्यक्ति के नाम में हो, ध्यान में रखा जायगा।

[श्री कुंवर बहादुर मिश्र]

स्पष्टीकरण 2--यदि कोई भूमि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भूलतः धृत थी जो वास्तव में उसके कृषकीय कब्जे में चली आ रही है किन्तु बाद में, वार्षिक रजिस्टरों में किसी अन्य व्यक्ति का नाम, या तो पूर्ववर्ती व्यक्ति के नाम के अतिरिक्त अथवा उसके नाम के स्थान पर और चाहे उसे किसी अन्तरण, विलेख या लाइसेन्स के आधार पर या किसी डिक्री के आधार पर दर्ज किया गया हो, तो जब तक कि नियत प्राधिकारी के संतोषानुसार इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, यह मान लिया जायगा कि प्रथम उल्लिखित व्यक्ति ही भूमि को धृत किये हुये है और वह उसके द्वारा द्वितीय उल्लिखित व्यक्ति के नाम दिखावे के रूप में धृत है।"

(2) वर्तमान उप-खंड (ग), (घ) और (ङ) को पुनः संख्याकित करके उप-खंड (ङ), (च) और (छ) कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्याकित उपखंड (ङ) के पूर्व निम्नांकित उपखंड (घ) रख दिया जाय--

(घ) उपधारा (4) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि फर्म, सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के समुदाय में किसी व्यक्ति की प्रविष्टि के ठीक पूर्व, उसके पास कोई भूमि धृत न हो अथवा उसके पास उपर्युक्त अंश के अनुपात से कम क्षेत्रफल की भूमि धृत हो तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि, यथास्थिति, उसका उस जोत में कोई अंश नहीं है या अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल है, और यथास्थिति, सम्पूर्ण जोत या उसके शेष क्षेत्रफल के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह शेष सदस्यों द्वारा फर्म, सहकारी समिति, या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के समुदाय में उनके अपने-अपने अनुपात में धृत है।"

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 के--

(1) वर्तमान उप-खंड (क) तथा (ख) को पुनः संख्याकित करके उप-खंड (ख) और (ग) कर दिया जाय तथा इस प्रकार पुनः संख्याकित खंड (ख) के पूर्व निम्नलिखित उप-खंड बढ़ा दिया जाय:--

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायं, अर्थात्--

"स्पष्टीकरण 1--किसी खातेदार पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र अवधारित करने में, उसके द्वारा धृत ऐसी समस्त भूमि को जो उसके वैयक्तिक अधिकार में हो, चाहे उसके नाम में हो या दिखावे के लिये किसी अन्य व्यक्ति के नाम में हो, ध्यान में रखा जायगा।

स्पष्टीकरण 2--यदि कोई भूमि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मूलतः धृत थी जो वास्तव में उसके कृषकीय कब्जे में चली आ रही है किन्तु बाद में, वार्षिक रजिस्टरों में किसी अन्य व्यक्ति का नाम, या तो पूर्ववर्ती व्यक्ति के नाम के अतिरिक्त अथवा उसके नाम के स्थान पर और चाहे उसे किसी अन्तरण विलेख या लाइसेन्स के आधार पर या किसी डिक्री के आधार पर दर्ज किया गया हो तो, जब तक कि नियत प्राधिकारी के संतोषानुसार इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, यह मान लिया जायगा कि प्रथम उल्लि-

खित व्यक्ति ही भूमि को धृत किये हुये है और वह उसके द्वारा द्वितीय उल्लिखित व्यक्ति के नाम दिखावे के रूप में धृत है।"

(2) वर्तमान उप-खंड (ग), (घ) और (ङ) को पुनः संख्याकित करके उप-खंड (ङ), (च) और (छ) कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्याकित उप-खंड (ङ) के पूर्व, निम्नांकित उप-खंड (घ) रख दिया जाय—

(घ) उपधारा (4) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि फर्म, सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के समुदाय में किसी व्यक्ति की प्रविष्टि के ठीक पूर्व, उसके पास कोई भूमि धृत न हो अथवा उसके पास उपर्युक्त अंश के अनुपात से कम क्षेत्रफल की भूमि धृत हो, तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि, यथास्थिति, उसका उस जोत में कोई अंश नहीं है या अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल है, और यथास्थिति, सम्पूर्ण जोत या उसके शेष क्षेत्रफल के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह शेष सदस्यों द्वारा फर्म, सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के समुदाय में उसके अपने-अपने अनुपात में धृत है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रेम दत्त—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 6 की मद (घ) में मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (6) में प्रस्तावित स्पष्टीकरण 1, की प्रथम पंक्ति में शब्द व अंक "दिनांक 24 जनवरी, 1972" के स्थान पर शब्द व अंक "24 जनवरी 1971" रख दिये जायं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, मंजूर है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 की मद (घ) में मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (6) में प्रस्तावित स्पष्टीकरण 1, की प्रथम पंक्ति में शब्द व अंक "दिनांक 24 जनवरी, 1972" के स्थान पर शब्द व अंक "दिनांक 24 जनवरी 1971" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 6, खण्ड 7 व खण्ड 8 इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खण्ड 9

श्री कुंवर बहादुर मिश्रा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 8 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय—

"9—जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व, किसी खातेदार के सम्बन्ध में अतिरिक्त भूमि अवधारित करने के लिये मूल अधिनियम के अधीन कोई आदेश दिया गया हो, तो नियत प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय, इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधनों के अनुसार अतिरिक्त भूमि का पुनः अवधारण कर सकता है।"

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय—

संक्रमण कालीन उपबन्ध

"9— जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व, किसी खातेदार के सम्बन्ध में अतिरिक्त भूमि अवधरित करने के लिये मूल अधिनियम के अधीन कोई आदेश दिया गया हो, तो नियत प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय, इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधनों के अनुसार अतिरिक्त भूमि का पुनः अवधारण कर सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि बढ़ाया गया नया खण्ड 9 इस विधेयक का अंग माना जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री त्रिवेणी सहाय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है यह प्रथा है संशोधन रखने के बाद जो सदस्य संशोधन रखें, वह उसका स्पष्टीकरण करे और हमें उसका आशय मालूम होना चाहिए, जिससे हम उसका विरोध करना चाहें तो कर सकें, इसका भी अवसर होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

आज पहली बार विचारार्थ विधेयक इस सदन के सामने नहीं प्रस्तुत है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

किन्तु रोजाना ऐसा होता है, हर बार मौका मिलता है।

खण्ड 1

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) यह 8 जून, 1973 से प्रवृत्त समझा जायगा।

श्री कुंवर बहादुर मिश्र—

अधिष्ठाता जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खण्ड 1 में, वर्तमान उप खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय—

"(2) यह धारा और धारा 9 तुरन्त प्रवृत्त होगी, और शेष धारायें 8 जून 1973 से प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 में, वर्तमान उपखण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड रख दिया जाय :—

"(2) यह धारा और धारा 9 तुरन्त प्रवृत्त होगी, और शेष धारायें 8 जून, 1973 से प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

आप मेरी बात सुन लें, जो इन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है...

श्री अधिष्ठाता---

आप हमारे अग्रज हैं, कैसे मैं आग्रह करूं कि जब कोई मतदान चल रहा हो तो उसके बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। यहां से जाने के बाद मैं आपको इस सम्बन्ध में नियमावली प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

एक प्रस्तुत होता है, अमेण्डमेंट है, आप उसपर वोट लेते हैं, हम उसपर विचार प्रकट करना चाहते हैं जिससे शायद मंत्री जी मान जाएं, तो इसका अवसर हमें मिलना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता---

इस सम्बन्ध में आप प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन जब मतदान चल रहा हो, उसके बीच में नहीं।

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 1 इस विधेयक का अंग माना जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1974

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:---

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक, इस बिधेयक का अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1974 जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1974 जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री त्रिवेणी सहाय---

यह सरकार का बहुत पुअर शो है कि आज ही बिल आया और आज ही उसमें संशोधन पेश करते हैं और उस पर भी कहते हैं कि आपको पढ़ा दूंगा। प्रवर समिति में भेजने की बात इनको माननी चाहिए।

विद्युत-गृहों को प्राइवेट लोगों को सस्ते दामों पर बेचने के सम्बन्ध में चर्चा

*श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

अध्यक्ष महोदय, यह जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन सीमित समय है। दरअस्ल, इस विद्युत परिषद् के कार्य में, जिसका बेंच और खरीद से सम्बन्ध रहता है, इसमें इतनी ज्यादा गड़बड़ी और भ्रष्टाचार है, इतनी अनियमितताएं हैं, जिसके साथ दो घंटे में न्याय नहीं हो सकता। अधिष्ठाता महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं, जब इस सदन के कटौती के प्रस्ताव पर हमारे माननीय मित्र हिम्मत सिंह जी बोल रहे थे तब, दूसरे माननीय सदस्य मुलायम सिंह जी ने भी, जो विद्युत परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार पर, जिसके परिणामस्वरूप यह बेंच वगैरह हुआ है, उस पर काफी रोशनी डाली गयी, चर्चा हुई। और आप जानते होंगे अधिष्ठाता महोदय, प्राक्कलन समिति ने अपने प्रतिवेदन में भी जो गड़बड़ियां हैं परिषद के अन्दर उसका काफी उसमें जिक्र है। तो इसलिए मैं आपके जरिये मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा और पहले मेरी मांग होगी कि दोनों सदनों की समिति को, और उस समिति में एक टेक्निकल जानकार आदमी सम्मिलित हो, कोई जब उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का शामिल किया जाय, वह सारे भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों की जांच-पड़ताल करें। तब जाकर इसमें कुछ सुधार हो सकता है।

यह जो मंत्री जी का वक्तव्य है मैंने पढ़ा। वक्तव्य में उन्होंने यह कहा कि जो यंत्र बेचे गये हैं जो बिजलीघर बिके हैं, उसका मूल कारण यह था कि उनकी क्षमता खत्म हो गयी थी, उनको रखना अनार्थिक हो गया था। इसलिए परिषद् ने केन्द्र से भी राय लेकर, बात करके, उनको बेंचा।

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)

आपकी इत्तला क्या है ?

श्री रामसेवक यादव---

उसी को सुना रहा हूं। इस सम्बन्ध में दो एक बातें कहना चाहता हूं। यह जो विद्युत् परिषद् है हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिष्ठान है। इस मानी में हम समझते हैं कि यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन जिस तरह से इसका कार्य संचालन होता है, एसा लगता है कि रेलवे से यह कम्पीट कर रहे हैं। जो वहां गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार हो वह यहां भी चलें यह प्रयोग बराबर चल रहा है। अगर वहां इतनी गड़बड़ी हो सकती है, करोड़ों का घाटा हो सकता है, तो हम दूसरे नम्बर पर हैं, तो दूसरे नम्बर पर जरूर रखें और अगर एक नम्बर पर चले जायं तो कोई हर्ज नहीं होगा। हमारे मित्र पांडेय जी को, बेचारों को, सब चीज का जवाब देना पड़ता है। यह जैसे कुछ बेचारे विशेषज्ञ हो गये हों इस मामले में।

(इस समय 4 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, तो जो विद्युत् परिषद् है उसकी अक्षमता का एक नमूना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह इतनी अक्षम है कि विद्युत् परिषद् को पता नहीं है कि इसके भंडार में, स्टाक में क्या क्या सामान है। इन्होंने जुलाई में हैदराबाद से एक विशेषज्ञ बुलाया, वह यह बताएं कि सूची वगैरह कैसे तैयार होती है, जुलाई में, जून में बुलाते हैं कि कैसे इनवटरी बनती है, कितना सामान है, और वही विद्युत् परिषद् अपने विद्युत् गृहों को बेचती है। उसके सामान को बेचती है। उससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप समझ सकते हैं, अध्यक्ष महोदय, कि कितनी गड़बड़ी हो सकती है। जिसको पता नहीं है कि उसके पास कितना सामान है, दूसरी अक्षमता का नमूना, जो उनके हाथ में आता है, लखनऊ का हो या इलाहाबाद का हो विद्युत् गृह उसकी क्षमता गिर जाती है। और जो इसके हाथ से लेकर चलाना चाहते हैं तो दूसरे हाथ में क्षमता बढ़ जाती है और ठीक से काम चलता है। यह न प्रशासन के मामले में न विभाग की देख-रेख में सक्षम हैं और न इनमें इस बात की योग्यता है कि अपने प्रतिष्ठानों में उत्पादन बढ़ा सकें जिससे बिजली की आवश्यकता की पूर्ति हो सके।

आशा थी विद्युत् परिषद् कृषि के उत्पादन में प्रोत्साहन देगा लेकिन इसकी ऐसी स्थिति हो गई है जैसे कि इतिहास में राजा पुरु के हाथी की बन गई थी जो अपने ही दल को रौंद रहा था। इसी तरह की इसकी हालत हो गई है। यह इसका नमूना है। मैं कहूंगा कि इन विद्युत् गृहों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, यह भ्रष्ट राजनेता और भ्रष्ट नौकरशाही, असामाजिक और देशद्रोही लोगों का गठबंधन का नमूना है। इनका काम यह रहता है कि यह लाखों का सामान करोड़ों में खरीदते हैं करोड़ों का सामान लाखों में बेचते हैं। यह बहुत बढ़िया सौदागर हैं और मैं नमूना पेश करना चाहता हूं।

यह बीमार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करते हैं और सूती मिलों का राष्ट्रीयकरण करते हैं। बीमार चीनी मिलों के लाखों के लोहे के ढेर को करोड़ों में खरीद लेते हैं और खराब विद्युत्गृहों के नाम पर करोड़ों के माल को लाखों में निबटा देते हैं। कितने बढ़िया लोग हैं और सरकार कितनी बढ़िया है जो इन लोगों का नियंत्रण करती है और मैं इनका नमूना देना चाहता हूं। कहा जाता है कि ये लोग अक्षम हैं। लेकिन हम कहते हैं कि यह बहुत एफीशियेंट हैं, बहुत बढ़िया हैं और इनका नमूना इनकी रिपोर्ट में ही है। वह क्या हैं? इन्होंने 16 जून, 74 को एडवरटाइज किया और टेंडर मांगे गये और टेंडरों के आने की अंतिम तिथि 27 जून रखी। जब कि करोड़ों का सौदा था। कहां-कहां पर एडवरटाइज किया। एक आध हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, नेशनल हैरेल्ड, पायोनियर, नवजीवन, स्वतंत्र भारत और एक आध वाराणसी के समाचार पत्रों में। जब इतना बड़ा मामला था तो देश मे पूरे पैमाने पर इसका एडवरटाइजमेंट होना चाहिये था जो नहीं हुआ और दस दिन के अन्दर टेंडर मांग लिये गये। यह कितनी बड़ी एफीशियेंसी है। दस दिन में टेंडर आ गये और 27 को खुल गये और 29 जुलाई को फैसला हो गया। यह इनकी कार्य कुशलता और निपुणता का नमूना है। इस तरह से इन्होंने किया और जैसा मैंने कहा इसका विज्ञापन स्थानीय अखबारों को ही दिया गया। भगवान इंडस्ट्रीज का कोटेशन 57.51 लाख का था और विद्युत् परिषद् ने 1 करोड़ 5 लाख 6 हजार का सौदा किया। मैं कहना चाहता हूं कि यहां कहीं दाल में काला है। 57 1/2 लाख को इकट्ठा बढ़ाकर 1 करोड़ में ले लें। अगर यह हो सकता है तो आपने दुबारा टेन्डर क्यों नहीं मांगा। एक माने में बहुत कुशल मंत्री हैं और कुशल बोर्ड है। बड़े-बड़े व्यापारी भी इतना न देते। तो यह मामला कोई लम्बा रहा होगा। इसीलिए मैं इसको नमूने के तौर पर रख रहा हूं।

दूसरा मैं फिर इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर का मामला है। उन्होंने कोटेशन दिया, एक करोड़ 11 लाख 11 हजार का। फिर उन्होंने एक प्रार्थना-पत्र दिया कि हमने 10 हजार ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन बीच में सौदा तय हो गया 1 करोड़ 5 लाख में। मंत्री जी का कहना है कि उसने लेने से इनकार किया, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिसने कोटेशन दिया तो

[श्री रामसेवक यादव]

उसकी अरनेस्ट मनी जब्त होनी चाहिए, लेकिन जब्त नहीं की गयी । तो यह चीज साफ साफ बतलाती है कि इस डील में कहीं कोई बड़े से बड़ा गड़बड़ है । तिवारी जी का पट बहुत बड़ा है और मैं मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि यह उनके ही हक में है कि इसकी ठीक से जांच की जाये ।

सार्वजनिक जीवन इतना भ्रष्ट हो गया है जिसका परिणाम हमारे प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा और प्रदेश अधोगति को प्राप्त हो गया है । इस पर अंकुश लगाना चाहिए । हम ईमानदार ही न हों बल्कि संसार इसको जाने । कोई इसके लिये तैयार नहीं है । जब हम बसों में जाते हैं तो नेताओं को गालियां मिलती हैं । कपड़ा नहीं बदलना चाहिए । मौका परस्त लोग कपड़ा बदलते हैं । कभी-कभी वह साधू बन जाते हैं । तो एक रिवाज चल गया है । सच में आदमी को खराब नहीं होना चाहिए । दुनिया में उसको ईमानदार बनना चाहिए । आज विद्युत् परिषद भ्रष्टाचार का विषय बना हुआ है और जो खरीद-फरोख्त की गयी है उसकी एक कमेटी से जांच करायी जाये । तभी भ्रष्टाचार दूर होगा और जनता का इस बोर्ड पर विश्वास होगा । इसमें तमाम गड़बड़ियां हुई हैं । इसीलिए मैंने इसको नमूने के लिए दिया । इसलिए बेच दिया कि खर्च ज्यादा आता था, बिजली महंगी पड़ रही थी 14 तारीख को इसी सदन में बयान भी था कि 5–6 पैसे फी यूनिट उत्पादन आना चाहिए । यह बढ़कर हो गया 19 पैसे । लेकिन मैं 50 पैसे ही माने लेता हूं । 5–6 पैसे के उत्पादन की आशा करते हैं, 50 पड़ता है । इसलिए उन्हें बंद कर दें । लेकिन जो डीजल, आपके पावर हाउस चलते हैं डेढ़ रुपये फी यूनिट उनका उत्पादन आता है ।

दूसरा इसी के साथ-साथ आपने क्या कहा कि हमने कभी बिजली नहीं ली । लेकिन बस्ती चीनी मिल से आपने बिजली ली है और 80 पैसे से लेकर डेढ़ सौ पैसे तक आपने उसके पूर्व दिया है और आपके हिसाब से 19 पैसे और 50 पैसे से बिजली पैदा करते हैं । आपने उनको बेच दिया, क्या है इसका आर्गूमेंट, इसका क्या औचित्य है और फिर मंत्री महोदय ने अपने बयान में कहा कि हम तो इन्तजार करते रहे, हम तो बेचना बहुत पहले चाहते रहे, लेकिन बिजली का रेट बढ़ गया, उद्योगपति को बिजली नहीं मिली । इसलिए उन्होंने दाम बढ़ा दिया । लेकिन हमने महंगाई का फायदा नहीं उठाया । हमने उनको ऐसे ही बेच दिया । यह जो रामपुर का पावर स्टेशन है इसके बारे में तो यह है कि 36 लाख में तो इन्होंने खरीदा जिसमें हरदुआगंज का सभी बेचा, मोदी की साढ़े 5 करोड़ की सम्पत्ति आंकी जाती है, अगर कोई आंकड़े हों, आपकी जो विद्युत् परिषद् है इसके पास कोई स्टाक नहीं है । रामपुर पावर स्टेशन की जिसको 36 लाख में बेचा गया कि करोड़ों का माल, लाखों में हो गया और अगर करोड़ों का माल लाखों में हो गया तो ऐसे क्यों हुआ । तो इस तरह से आपका जो तरीका है कि चूंकि उनकी कैपेसिटी कम थी, इसकी कैपेसिटी के बारे में बताया गया 3300 किलो वाट, उसकी कैपेसिटी बताते रहे हैं ।

हमको कुछ लोग मिले यूनियन के और यूनियन के लोगों का कहना था कि हम चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको नहीं दिया गया । तो वहीं से हमको जानकारी हुई कि यह कोशिश की गई कि इसकी क्षमता गिरावें, गिरी हुई क्षमता दिखावें ताकि इसको बेचने के लिए आधार तैयार हों । जब वह चेक की गई तो वह फिर 2800 किलोवाट पर गई । लेकिन उसकी 1600 किलोवाट की क्षमता दिखाई गई, जिससे कि उसे बेच दिया जाय और बेच दिया गया । तो करार क्या होता है कि आप यहीं लगाये रहिये इंस्टालेशन को । किराये के आधार पर वह वहां पर जमे हुए हैं और जो बिजली पैदा करते हैं वह सरकार को दे दिये हैं और सरकार उतनी ही बिजली वहां पर जहां उनको जरूरत होती है, बिजली देते हैं । मोदीनगर में 3–3 कंसर्न्ड हैं, आप वहां पर तिगुना बिजली देते रहे हैं । यह

है आपकी करार, तो इस तरह से आपके यहां पर यह करार हुआ है। जो अच्छे पावर हाउसेज थे, जो बिकने नहीं चाहिए थ, जिनमें मामूली सी ब्लेड की खराबी थी, उसे ठीक करके 2800 किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती थी, उसे हम लोग ठीक नहीं कर पाये। सरकार के पास से किसी और के पास ज्यादा साधन नहीं हो सकते हैं, वह किसी भी चीज को देश के अन्दर और बाहर से मंगा सकती है, अगर सरकार नहीं खरीद सकती तो यह और कौन कर पायगा। पूंजीपति घाटे का सौदा नहीं करते हैं। आप उन्हें दोजख में भेजने का सौदा कर रहे हैं लेकिन होता इसका उल्टा है।

अब भ्रष्टाचार का एक ही नमूना आपके सामने पेश करके अपनी बात समाप्त करता हूं। कानपुर में इनका एक पनकी बिजली घर है। कहा गया कि वहां पर 18 हजार लीटर डीजल बह गया 27-28 मई, 1974 की रात को लेकिन केवल 1 हजार लीटर बहा हुआ देखने में आया और बाकी जो था उसे काले बाजार में देते रहे और मुनाफा कमाते रहे, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिये यह कह दिया। मेरी प्रार्थना है कि अगर माननीय मंत्री जी को इसकी कोई सूचना हो तो उत्तर दे दें अन्यथा इसकी जांच करा लें क्योंकि अगर यह सचमुच में 26,000 लीटर डीजल बहा है तो उन्होंने दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है क्योंकि यह वहां के लोगों की मिली भगत मालूम पड़ती है वहां पर बाहर से आयरन सप्लाई होता है। पनकी के अन्दर एक गोदाम है, वहां पर वह तौला जाता है और रेलवे का जो ब्रेक होता है उसमें 20 टन का होता है। उसके आधार पर ही तौल में बचता है और बचे हुए लोहे को बाजार में बेचा जाता है। तो इस प्रकार से वहां पर नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

अन्त में मेरी प्रार्थना है कि बिजली के जो यन्त्र बेचे गये हैं, जिसमें विद्युत् परिषद् को करोड़ों का घाटा है, जिसके लिए विद्युत् परिषद् जिम्मेदार है, इसकी जांच कराकर ही इसका निराकरण हो सकता है। इन शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा कि जो प्रश्न मैंने उठाये हैं, उनके ऊपर भी, जैसे की मैंने मांग की है, एक जांच समिति बिठायें इस सारे मामलों में छानबीन करें और विद्युत् परिषद् की दशा को ठीक करायें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि या तो यह विद्युत परिषद् ठीक होगा नहीं हम हट जायेंगे। तो न तो वह ठीक हुआ और न ही वे हट पाये। पता नहीं दोनों में क्या बातचीत चल रही है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, देश के अन्दर इस समय दो महान राष्ट्रीय संकट हैं। एक तो मुद्रा स्फीति के द्वारा उत्पन्न हुआ और दूसरा पावर शार्टेज, विद्युत् शक्ति की कमी है। एक के लिए कहा जाता है कि युद्धस्तर पर प्रयास हो रहा है, आर्डिनेन्स पास हो रहे हैं, सफल या असफल अनेक कदम उठाये जा रहे हैं, दूसरे बिजली का जहां तक सम्बन्ध है आज विद्युत् परिषद् में करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है, कितना बुरा इन्तजाम है, वर्किंग में कितना जबरदस्त भ्रष्टाचार है।

इसमें लगभग 35 परसेंट लास है, जिसे विद्युत् बोर्ड रोक नहीं सका। उसके कारण करोड़ों रुपये का नुक्सान है। यह सब बातें सदन के सामने आ चुकी हैं। आज का विचाराधीन विषय है कि सरकार क्यों ऐसे थर्मल प्लांट्स और डीजल प्लांट्स को इन कैपिटलिस्ट्स के हाथ बेच रही है। विरोध पक्ष या किसी भी तर्कसंगत सही बात सोचने वाले का विचार है कि यह मामला बड़ा फिशी है। इसमें इनके अपने विभाग की बड़ी लापरवाही मालूम होती है। ये इन प्लांट से काम करना नहीं चाहते। यदि आपके सामने तर्क से साबित हो जाय कि जो उन्होंने बताया और उसका जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

कारण दिया वह सही नहीं है और किसी कसौटी पर सही नहीं उतरता तो आप भी उसी नतीजे पर पहुंचेंगे जिस पर रामसेवक जी पहुंचे। मैं भी कहूंगा कि कोई कमेटी सदन की मुकर्रर होनी चाहिए जो एक्सपर्ट्स की राय लेकर सारे मामले पर निर्णय दे। विरोध पक्ष का कहना है कि इसमें बड़ा गड़बड़ घोटाला है। इसमें विद्युत् बोर्ड की अकर्मण्यता, अकुशलता, असफलता स्पष्टतया प्रकट है।

इन्होंने अपने पक्ष में एक अंग्रेजी का उद्धरण दिया केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग का पत्र दिनांक 16 सितम्बर, 1967 का हवाला दिया। जिस प्रकार एक वकील जब उसका मुकदमा कहीं हारने लगता है तो उलटी-सीधी नजीर देने लगता है उसी तरह से उन्होंने सन् 67 की नजीर सामने रखी जिससे स्पष्ट है कि हमारे विद्युत बोर्ड ने कैसे उसका लाभ उठाया। इसमें कहते हैं कि उन्होंने कह दिया कि बहुत सी मशीनें आपकी लीक हो गयीं उनकी आयु समाप्त हो गयी, लेकिन कहते हैं कि एक लिस्ट है आपके यहां उन मशीनों की जो पुरानी हो गयी हैं, जरा उनको एग्जामिन कर लीजिए। यह एक बड़ा लूपहोल इनके हाथ में छोड़ दिया। यानी सारी शक्ति उनके हाथ में दी गयी परीक्षा की कि मशीन बेचने लायक है या नहीं। यही कुल तोड़ है, इस प्रकार यह मामला इनके हाथ में आया। यानी परीक्षार्थी भी यही और परीक्षक भी यही। अब देखना है कि एग्जामिनी, एग्जामिनर के मौके पर सही उतरता है या नहीं।

दूसरी तरफ केन्द्रीय सरकार ने एक मर्तबा एक विद्युत् एक्सपर्ट मुकर्रर किये थे, उन्होंने एक मर्तबा लिखा था इसी सरकार को कि थर्मल और डीजल पावर हाउस भरोसे के होते हैं हाइडिल इस लायक नहीं होते तो जो प्रदेश में बनाये जायं तो इन लाइन पर बनाये जायं। तो एक ओर तो यह मार्ग प्रदर्शन है और दूसरी ओर वह पुरानी नजीर है जिसके जरिये आप अपने गलत काम को ढंकते हैं। इनके सामने स्पष्ट राय है एक्सपर्ट की थर्मल और डीजल के बनाइये, काम में लाइये, ये फेल नहीं होंगे। फिर इन्होंने बेचा क्यों? इन्होंने बेचा अपने बड़े परमप्रिय कैपिटलिस्ट के हाथ में और कह दिया कि हमने 20–25 परसेंट कटौती कर ली, और हम इनको बिजली दे नहीं सकते, राष्ट्रीय संकट है। उत्पादन को इस प्रकार एक्सप्लायटेशन का हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह चाहते हैं कि परचेजेबिल कमोडिटी इनके हाथ में बनी रहे। इन्होंने यहां कह दिया कि 25–40 परसेंट की कटौती कर दी है और ये लोग उसकी खरीद करके पूर्ति करेंगे। तो रामसेवक जी ने कहा कि ये तो लाभप्रद तरीके से चलेंगे। कारण कि इनके एक्सपर्ट, यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो कि हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा पब्लिक एंटरप्राइज है दूसरा है, उसमें योग्य इंजीनियर नहीं है, मगर प्राइवेट सेक्टर के पास योग्य इंजीनियर हैं। इनके पास रुपया नहीं है उस घाटे को बर्दाश्त करने के लिये लेकिन प्राइवेट वाला बर्दाश्त करेगा। मुझे आजतक कोई मिसाल नहीं मिली कि सरकार या इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को ओबलाइज करने के लिये बहुत ज्यादा दाम पर कोई खरीदेगा इसलिये कि घाटे पर चलाये और यह कहें कि हमने तो मुनाफे पर बेचा जैसा कि अभी पांडेयजी ने बयान दिया। क्या कभी कोई व्यापारी ऐसी चीज खरीदेगा जिसमें रोज-रोज हानि हो? वह तो समझता है कि गवर्नमेंट की चीज है, 5 की 3 पर बिकती है, खरीद लो। अगर प्राइवेट आदमी कोई चीज नीलाम करेगा तो तौल कर करेगा। गवर्नमेंट लैण्ड इज नो मैन्स लैंड, गवर्नमेंट प्रापर्टी इज नो मैन्स प्रापर्टी। प्राइवेट आदमी यह समझ कर बेचेगा कि हमारी चीज है, हम नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले कहते हैं कि हम बेचना चाहते हैं नुकसान हो या कुछ हो, बवाल तो हमारे सिर से जाये। थर्मल और डीजल प्लांट्स में बड़ी कठिनाई होती है।

इसमें फिजिकल लेबर बहुत करना पड़ता है, बायलर पर खड़े रहना पड़ता है, इसमें कोयलामय हो जायेंगे इसलिये इन्होंने यह किया कि ये सब प्लांट्स राट करें, इनमें जंग लग जाय, 4-6 साल बाद कहेंगे कि ये सब बेकार हैं। यह सब योजनानुसार ही किया गया। इसमें सरकार और अधिकारी, दोनों शामिल हैं। सरकार की भी साजिश अभी साबित करूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो बतायें प्राइवेट आदमी को छोड़कर अपने आदमी को लगाते हैं जो कभी नहीं सोच सकता कि इससे फायदा होगा। सरकार अगर 35 परसेंट घाटा उठाती है तो 10 परसेंट कम करती, 25 परसेंट घाटा उठाती। वह तो सरकार करती नहीं सरकार बल्कि जो हमारे पास प्लांट्स थे वह भी इन इंजीनियर्स की सलाह से बेंच रहे हैं। उन्हीं की राय फाइनल होगी कि यह काम करने लायक नहीं है। लेकिन जिसने खरीदा उसके प्राइवेट इंजीनियर ने कहा कि यह तो कौड़ियों के दाम बिक रही है, ले लो। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मुनाफे पर चलाऊंगा। मैं इस सदन में डिक्लेयर करता हूं कि उस प्राइवेट इंजीनियर ने मुझसे आकर कहा कि वह घाटे पर नहीं लाभ पर चलेगी। मैं नाम नहीं बताऊंगा। अभी भाई रामसेवक जी ने अनेक मिसालें दीं। सारी मिसालों में न जाकर मैं दो मिसालें लेता हूं।

मेरठ में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एक पावर हाउस ट्रांसफर किया है। यह कहते हैं कि अपनी पावर लाइन पर 200 किलोमीटर पर खरीदार को पावर दौड़ाने की इजाजत दे दी। हरदुआगंज का पावर प्लांट बेचा गया और उसी कम्पाउन्ड में वहीं जहां इनका स्टोर हाउस है और उनका इंजीनियर चलायेगा, हमारा नहीं चला सकता और वह अपनी तरफ से रीडिंग कर के इनको बतायेगा कि कितनी बिजली यहां पैदा होती है। जितनी वह कह देगा उतनी सरकार लेगी। यह इसलिये कि 76 का एलेक्शन निकट आ रहा है। अगर 75 में शुरू करेंगे तो इनको पैसा नहीं मिलेगा। एकदम से मांगेंगे तो मसीबत हो जायेगी इसलिये धीरे-धीरे मांगों। इस डिपार्टमेंट से इतना मांगा, उससे इतना मांगा, बड़े-बड़े फाइनेन्सर्स से भी मांगा, वरना मैं जानना चाहता हूं कि इतनी कम कीमत पर बेचने का क्या कारण था? इसलि मैं चाहता हूं कि इसकी जांच होना चाहिये।

अभी विधेयक पर चर्चा हो रही थी, बहुमत के बल पर उसे पास करवा लिया। उसमें एक शब्द ऐसा रखा गया था कि अर्थ का अनर्थ हो रहा था। उस पर विरोध पक्ष से एक संशोधन रखा गया, मगर चूंकि वह विरोध पक्ष का था इसलिये स्वीकार नहीं किया गया। बाद शायद अध्यक्ष जी ने उसको ठीक करवाया। तो मान्यवर, यह बहुमत के बल पर हर चीज करना चाहते हैं। विरोधी पक्ष की सही बात भी इनको गलत दिखलायी देती है।

मैं अब चन्दौसी व रामपुर के लिये जो टेन्डर्स मांगे गये उसके बारे में कहता हूं। आपने उस आदमी को क्यों नहीं दिया जिसका हायस्ट टेन्डर था? यहां तो सरकार का बहुमत के बल पर निर्णय होता है, बुद्धि के बल पर नहीं। इस मामले में क्या हुआ है? एक से कहा जाता है, घर पर आ जाना, बात हो जायेगी, दूसरे को बताया भी नहीं जाता और कह दिया जाता है कि दूसरा आया ही नहीं और इस तरह से घर पर बातचीत होकर बेचने का सौदा कर लिया जाता है। जिस तरह से यह हुआ है वह कोई तरीका नहीं है। करोड़ों का मामला था, इसमें आपकी नियत भी साफ नहीं थी। इलैक्शन की वजह से आपने आफिसर्स को भी अपने साथ घसीट लिया। बिना उनकी साजिश के आप यह कर नहीं सकते थे, इसलिये उनको साथ लेकर आपने यह काम किया, वरना इतनी कम कीमत पर बेचने का कोई आधार नहीं था। इसमें मालिक और काम करने वाले दोनों एक हो गये। जब दोनों एक हो जायेंगे तो फिर भगवान ही मालिक है, भगवान जाने क्या होगा।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

डैमरेज के मामले में देख लीजिये, लाखों रुपये का डैमरेज दिया जाता है, अब भी दे रहे हैं। इसको सरकार क्यों नहीं देखती ? मैं फिर कहता हूं कि बुद्धि के बल पर आप कभी टिक नहीं सकते, बहुमत के बल पर यह सब करते हैं। यही नहीं मान्यवर, करोड़ों रुपया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने केवल माल खरीदने में खर्च किया है। एक बड़ी कम्पनी से माल खरीदा गया और 90 प्रतिशत पेमेंट बिना किसी वेरिफिकेशन के ही कर दिया गया। माल देखा भी नहीं गया, कीमत अदा कर दी गयी। अगर गलती हो तो मंत्री जी मुझे बतायें, मैं क्षमा मांग लूंगा, मगर मुझे बताया गया कि 90 फीसदी का भुगतान बिना वेरिफिकेशन कराये कर दिया गया। बाद में जब 10 फीसदी पेमेंट का सवाल एक दूसरे आफिसर के सामने आया तो उसने कहा कि बिना वेरिफिकेशन कराये पेमेंट नहीं होगा। तब सारे सामान का वेरिफिकेशन शुरू हुआ।

मान्यवर, एक एक्सपर्ट आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से इसलिये बुलाया गया है कि वह स्टाक चेकिंग करे। आश्चर्य की बात है कि उत्तर प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो इतने वर्षों से चल रहा है उसकी स्टाक इंवेंटरी तक नहीं बनी है। उस एक्सपर्ट ने भी कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इंडिया की नेक्स्ट अंडरटेकिंग और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पब्लिक अंडर टेकिंग है उसकी अभी तक स्टाक इंवेंटरी नहीं बन पायी है। 600—600 और 700—700 ट्रांसफार्मर्स गायब हो गये हैं जैसा कि मुझे बतलाया गया है। इसके लिये आपने अपने कितने इंजीनियर्स और अधिकारियों को सजा दी ? अगर कहीं किसी नत्थू खैरे चपरासी को आपने पकड़ लिया तो उसको सजा आपने भले ही दे दी हो लेकिन जिसने ट्रांसफार्मर्स की चोरी की, जो ठीक से काम न करे, ईमानदारी न बरते, माल सस्ते में बेंच डाले, उसको आपने कितनी सजा दी ? ऐसे लोगों को कौन माफ कर सकता है, कोई भी पढ़ा-लिखा आदमी उसको माफ नहीं कर सकता है। यह आप ही हैं जो इलेक्शन के नाम पर आम का इमली और इमली का आम करते हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि हाउस की एक कमेटी मुकर्रर की जाय जो सारे मामले की जांच करे और इसमें दूसरे एक्सपर्ट्स की राय ली जाय तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह सारा मामला फिसी है। और मेरा तो ऐसा विश्वास है कि हमारे अधिकारी भी सरकार की तरफ से मजबूर किये गये कि वे भी अपनी चांदी बना लें, जैसा कि अभी श्री रामसेवक जी ने कहा। इन शब्दों के साथ में अपना बयान समाप्त करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, जो वक्तव्य हम लोगों को मिला है उस पर विभाग के सचिव का दस्तखत है। क्या किसी सचिव को यह अधिकार है कि वह कोई वक्तव्य अपने दस्तखत से सदन में बंटवा दें ?

श्री अध्यक्ष—

यह मंत्री का वक्तव्य नहीं है। यह तो एक इत्तिला है, सूचना जो माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये बंटवा दी गयी है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मंत्री की ओर से बंटवाना आवश्यक नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं सदन को कुछ जानकारी देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं ।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी के खड़े होने पर ।)

जिनका नाम इसमें है उनको मैं पहले समय दे रहा हूं । श्री भीखालाल का नाम पहले था लेकिन वे नहीं थे और श्री गोविन्द सिंह खड़े हो गये इसलिये मैंने उनको समय दे दिया ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आज इस प्रदेश के अन्दर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अन्दर एक साजिश चल रही है कि किस तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र के अन्दर तोड़-फोड़ करके सैबोटेज कर दिया जाय । लगातार प्राइवेट सेक्टर के एजेंट और सरकारी नौकरशाह का यह एफर्ट हो रहा है कि किसी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र बदनाम हो जाय और इनको कहने के लिये हो जाय कि कोई चीज पब्लिक सेक्टर के अन्दर नहीं चल सकती है और टाटा, बिड़ला के सामने आत्म समर्पण कर दिया जाय तो फायदा होगा, पूरी एकोनामी होगी । इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अन्दर भी जितने काम करने वाले नौकरशाह हैं वे भी लगातार प्राइवेट सेक्टर की वकालत करने की साजिश में लगे हुए हैं और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बराबर सैबोटेज कर रहे है । इस बात को साबित करने के लिये कहा जाता है कि यह तो जंक है, यह तो स्क्रैप्स थे जिनके रख-रखाव में बड़ा खर्च पड़ रहा है, उसके लिये चौकीदार रखना पड़ता है और बड़ा महंगा हो रहा है ।

मान्यवर, तो अगर इस कबाड़ को कोई कबाड़ी ले लेता तो बात समझ में आ सकती थी । तो इस जंक को कौन खरीद रहा है । मोदी साहब, कितने रुपये में साढ़े 7 लाख रुपये में । इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिये जो सामान जंक हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो सामान कबाड़ हो गया है आज वह भी साढ़े 7 लाख रुपये में खरीद कर उससे बिजली पैदा की जा सकती है । मान्यवर, आज, माधव बाबू जो यह कह रहे हैं कि आपका पब्लिक सेक्टर निकम्मा हो गया है, लगातार हानि हो रही है तो यह बात ठीक ही कह रहे हैं । जो प्राइवेट सेक्टर है, वह आज जो आपका कूड़ा-कबाड़ है उससे भी उत्पादन कर सकता है । मैं पूछना चाहता हूं कि आप इसका क्या जवाब देंगे । क्या यह सही नहीं है कि क्या यह हकीकत नहीं है कि आपके जो अफसर हैं वह यह साबित करने पर तुले हैं कि पब्लिक सेक्टर से कोई इकोनामिक बिल्ट नहीं हो सकती । इसके लिये कवल प्राइवेट सेक्टर ही होना चाहिये । मान्यवर यह मिसाल है । मैं कहना चाहता हूं कि जो जंक था और जो रामपुर का जो जनरेटर है वह फिर भी काम कर रहा है चंदौसी का जो जनरेटर है वह भी काम कर रहा है । अब आप यह स्वीकार करेंगे । बिजली का संकट है, भयंकर सकट है । आज रामपुर का जनरेटर काम कर रहा है, चंदौसी का जनरेटर काम कर रहा है लेकिन फिर भी आप मजबूर हैं कि इसको बेंचे ।

मान्यवर, तालिका में क्या देते हैं कि जितनी क्षमता थी उस क्षमता के हिसाब से बिजली का उत्पादन नहीं करते थे । मैं तो पूछना चाहता हूं कि आपके जो नये जनरेटर हैं, जो आपने नये जनरेटर लगा रखे हैं, जितने आपके पावर हाउस हैं क्या वह पूरी क्षमता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

से काम कर रहे हैं बावजूद इसके कि आपके पास नयी मशीनें हैं, बड़े-बड़े इंजीनियर और मजदूर हैं। मैं पूछना चाहता हूं अगर प्राइवेट सेक्टर का एक पूंजीपति उस जनरेटर से जिसको आप कबाड़ समझते हैं, जो आपके लिये कबाड़ बन गया है, अगर वह उस जनरेटर से बिजली पैदा कर सकता है तो क्या कारण है कि हमारे इंजीनियर जिनको हम हजारों रुपये तनख्वाह देते हैं बिजली नहीं पैदा कर सकते। केवल धर्म के नाम पर मोदी साहब जनरेटर नहीं ले गये हैं। वह मुनाफा कमाने के लिये ले गये हैं। अगर मोदी साहब के इंजीनियर उस जनरेटर से बिजली पैदा कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे जो इंजीनियर्स और टेक्नीशियंश हैं वह इन मशीनों को क्यों नहीं चला सकते हैं।

मान्यवर, बड़ी डींग हांकी जाती है कि हमने मुनाफा कमा कर बेचा है। कहते हैं असल कीमत ो डेढ़ लाख रुपया थी पर इसको साढ़े 7 लाख का बेचा है। साथ में यह भी कहा है कि खरीदा 15 लाख का था। खरीदा पंद्रह लाख का था और बेचा साढ़े 7 लाख का फिर भी मूछों पर ताव दे रहे हैं। 15 लाख रुपये का उस समय था, 1922 में। 1922 में क्या भाव था और आज क्या भाव है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1922 में लोहे का क्या भाव था और आज क्या है। आपने किस हिसाब से बेचा है। इसी तरह से और तमाम चीजें देखें, कोई मशीन 1938 की है और कोई 1949 की। यह तमाम चीजें देखें।

कहते हैं कि 25 साल तक एक मशीन की उम्र होती है। 25 साल के बाद खत्म हो जाती है। तब पता नहीं है कि कौन सा ऐसा मुनाफा हो रहा था कि मोदी साहब ने ले लिया।

श्री राज मंगल पांडेय---

बाद में बता देंगे।

श्री गोविंद सिंह नेगी--

माननीय पांडे जी, गोरखपुर का आपका जनरेटर 1922 का नहीं था। वह 1950 में खरीदा गया था। रामपुर का जो जनरेटर है वह 1940 में खरीदा गया था। यह तो नये हैं। इनको क्यों बेच दिया गया।

एक बात और कही है कि जनरेटर यहीं रहेंगे और जिन्होंने खरीदारी की है यहां पर आकर बिजली पैदा करेंगे। यह एक नयी बात है। समझ में नहीं आती। कभी सुनने में नहीं आयी है। मान्यवर, मेरी निश्चित राय है कि लगातार सैबोटेज के प्रयत्न किये जा रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर का सर्वनाश हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि एक कमेटी बनाई जानी जानी चाहिये जो इस तमाम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के गड़बड़ घोटाले की जांच विस्तार से करें।

श्री अध्यक्ष---

आपका मतलब कमेटी से है तो जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है वह पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी है, वह इसको देख सकती है।

*श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अध्यक्ष महोदय, यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से जो यह बांटा गया है लिखकर के और इसके श्री गुप्ता जो सचिव सदस्य हैं। तो श्रीमन्, इसमें दो राय नहीं हैं कि केन्द्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से कोई ऐसा अवसर आये जिसमें मशीनों को बिना इक्जामिन किये हुये बेच दिया जाय। केन्द्रीय जल विद्युत आयोग ने यह राय दी थी कि आउट आफ डेट जो हो गई हैं और जिनकी मारजिनल यूटीलिटी समाप्त हो गई है उनको इक्जामिन करके बेच सकते हैं। उन्होंने फ्लैट आर्डर नहीं किये थे बल्कि कहा कि मशीनों को इक्जामिन करने में अगर उनकी यूटीलिटी खत्म हो गई है तब आप उनको राज्य के हित में बेच सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमन्, हरी झंडी पा गये और घपला करके पैसा कमाने के लिये सोचा बेचो। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जितनी शिकायतें हैं उससे साफ है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चयरमन और उच्च अधिकारियों का हाथ है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच कराई जाय। टेक्निशीयन की क्या राय है, यह अलग बात है लेकिन साधारण बुद्धि जो कहती है उससे टेक्निकल्टी जाहिर नहीं होती है। मेरी बात का जवाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास नहीं है कि प्राइवेट कंपनियां बिजली पैदा करें और सरकार का जिन पर नियंत्रण है वह उससे न पैदा कर पावें। प्राइवेट कंपनियां एक खास सीमा क बाद रेट नहीं बढ़ा सकती हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह जो उद्धरण है उसको आपने शायद नहीं पढ़ा है।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, उसको पढ़ा है। तो मैं कह रहा था कि एक प्राइवेट कम्पनी एक खास सीमा के बाद रेट नहीं बढ़ा सकती हैं लेकिन फिर भी वे मुनाफे पर बिजली पैदा कर रही हैं। परन्तु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे पर क्यों चल रहा है? एक कमीशन बैठा है और उसने रिपोर्ट में कहा है कि पावर की सप्लाई की कमी है। इसलिये 50 प्रतिशत बिजली लकड़ी और गोबर से, 50 प्रतिशत डीजल और कोयले से पैदा कर रहे हैं तथा 50 प्रतिशत बिजली जल से पैदा कर रहे हैं। इस प्रकार बिजली की जो बुनियादी आवश्यकता है उसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पूरा नहीं कर पा रहा है। श्रीमन्, दूसरे देशों में जो बिजली पैदा करने के पुराने ढंग थे उनको आधुनिकीकरण करके नई मशीनों को बिठाकर बिजली पैदा करने की योजनायें चलाई जा रही हैं और उससे बिजली अधिक पैदा कर रहे हैं। उन्होंने पुराने मकानों में ही नये ढंग से बिजली पैदा करने की मशीनें लगा रखी हैं। परन्तु हमारे यहां शक्ति भवन में आग तक लग जाती है। यदि सख्त हुकूमत होती तो आग लगने के अपराध में बड़े-बड़े अधिकारियों को मुअत्तल करना चाहिये था। वहां क्यों और कैसे आग लगी? वहां बिजली पैदा करने की हिम्मत करते हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

यह बात अफसरों के दिलों में लग रही है।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, शक्ति भवन में बिजली जनरेट नहीं होती है।

श्री काशी नाथ मिश्र—

शक्ति भवन में बैठ करके जिस तरह से अधिकारी संचालन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मेन्टीनेन्स पर तथा बड़े-बड़े अधिकारियों पर कितना खर्च कर रहे हैं और उसके बाद यह टेकनीकल आफीसर कहते हैं कि यह पावर काम नहीं करेगी? बिजली की कमी है, आफत आई हुई है, लेकिन प्राइवेट कम्पनियां चलाकर मुनाफा करा रही हैं। मान्यवर, मैंने इसी सदन में एक प्रश्न उठाया था कि एक टेंडरर ने 1 करोड़ 11 लाख का टेंडर भेजा। मेरी यह निश्चित राय है कि इस मामले में घपला हुआ है। मुरादाबाद

[श्री काशीनाथ मिश्र]

चन्दौसी में एक थर्मल पावर स्टेशन है उस सम्बन्ध में टेन्डर मंगवाये गये थे। जिन सज्जन ने एक करोड़ 11 लाख का टेन्डर भेजा था उनसे चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने या उनके उच्च अधिकारियों ने मिलकर 1 करोड़ एक लाख लिखवा लिया और एक दूसरे व्यक्ति ने जिसने 57 लाख का टेण्टर भेजा था, जिससे वहां के अधिकारियों ने सांठ-गाठ की हुई थी उससे एक करोड़ 5 लाख का टेण्डर मंगवा लिया और उसे अप्रूव करके उसको दे दिया। मेरी यह धारणा है कि इसमें घपला हुआ है। तर्क क्या दिया जाता है कि हमने यह सब नेगोसिएशन से किया। नेगोसिएशन का जो अर्थ है, डिक्सनरी में, अगर सचमुच नेगोसिएशन करना है तो जितनी पार्टीज हैं जिन्होंने टेण्डर दिया था उनको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के भवन में बुलाकर मीटिंग करते और कहते कि इसमें जिसकी हाइएस्ट बिड होगी उसको मिलेगा। तब हम समझते कि निगोसिएशन से वहां के चेयरमन और अधिकारियों ने किया और वह ईमानदार हैं।

एक आदमी को बुलाकर उसको एक करोड़ 5 लाख कराकर दे दिया और दूसरी पार्टी को खबर ही नहीं। यह सब चीजें ऐसी हैं जिसके कारण मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि जब तक राज्य विद्युत परिषद् में जितने भ्रष्ट आफीसर हैं, भ्रष्ट कर्मचारी हैं उन पर प्रशासनिक अंकुश नहीं लगेगा तब तक इस प्रदेश की हालत नहीं सुधरेगी। हमारे प्रदेश की उन्नति बिजली पर ही निर्भर है। सारे राज्य विद्युत परिषद् के बड़े-बड़े इन्जीनियर्स इस मुल्क को तबाह कर देना चाहते हैं। मैं फिर मंत्री जी से अपील करूंगा कि इस पूरे डील पर एक जांच समिति बैठाई जाय, टेक्नीकल लोगों से जांच करवाई जाय और फिर दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाय।

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

आज सदन में विद्युत विभाग की जो चर्चा चल रही है कि उस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जितने प्राइवेट विद्युत गृह थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के गठन के पूर्व, जो आज बड़े बड़े उद्योगपतियों को हस्तांतरित कर दिये गये हैं उसमें करोड़ों रुपयों का घपला हुआ है और जब तक सी० बी० आई० और सतर्कता अधिष्ठान द्वारा इनकी जांच नहीं होगी, सारी बातें व्यर्थ सिद्ध होंगी। इस सम्बन्ध में एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं विद्युत् उपकरणों में तांबा एक महत्वपूर्ण चीज है जिसकी कीमत आजकल बहुत बढ़ी हुई है। लाखों मन तांबा इस विद्युत विभाग के अफसरों ने जिनमें मूर्धन्य अफसर भी शामिल हैं, उसमें लाखों रुपयों का घपला किया है यह लोग विश्व बैंक का पैसा खा गये, रिजर्व बैंक का पैसा खा गये, दूसरी दुनिया भर की बैंकों का पैसा खा गये, इन्होंने अपना दिवाला निकाल दिया है।

श्री अध्यक्ष—

दुनिया भर की बैंकों से कहां लिया है?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, ट्रान्सफारमर की चोरी की घटनाएं बढ़ी रही हैं। अभी एक महीना पूर्व देवरिया जनपद में एक ऐसा गिरोह है जो ट्रान्सफारमर की चोरी करा रहा है। 8-8 हजार के ट्रान्सफारमर गिरोह तांबा निकालने के बाद 500-600 में बेच देता है। 10 हजार रुपये का ट्रान्सफारमर तांबा निकालने के बाद इतने सस्ते दामों पर बिकता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। 15 लाख रुपये की चोरी का सामान एक आद्योगिक अधिष्ठान में पड़ा हुआ था। सारे लोगों ने कहा। बगल में छापा पड़ा लेकिन उस पर छापा नहीं पड़ा जहां 15 लाख का चोरी का बिजली का सामान पड़ा हुआ था। तिलक हाल में एक मीटिंग हुई थी उसमें मैंने और मेरे और साथियों ने भी यह बात कही थी। मान्यवर, जो स्थानान्तरण होते हैं उनमें भी बड़ा घोटाला है बिजली बोर्ड में।

श्री अध्यक्ष—

आपने तीन मिनट के लिए कहा था। आप पूरी बिजली पर बोल रहे हैं। यह विषय से बाहर है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मेरे यहां विद्युत खंड 2 है जिसमें जी० एल० सराफ हैं। इनको तो रिवर्ट कर दिया गया और इनके पीछे जो 100 आदमी थे वे प्रोमोशन पा गये। जी० एल० सराफ इतने ईमानदार व्यक्ति हैं कि किसी विभाग में मैंने नहीं देखा। चेयरमैन साहब से जब मिले तो कहा कि इसलिए इनको हटाया क्योंकि इनके भाई जनसंघी हैं। इसके बाद श्री गोपालदत्त पन्त हैं। उनसे मिले तो उन्होंने इनको बहुत डांटा और कहा कि नेता लोगों से सिफारिश करवाते हो, तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

यह विषय से बाहर है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

इसलिए मान्यवर, जब तक सतर्कता अधिष्ठान से जांच नहीं करायी जायगी तब तक स्थिति साफ नहीं होगी।

*श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)

वैसे तो काफी प्रकाश पड़ चुका है लेकिन मैं दो चार बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह कि जो चंदौसी वाला प्लान्ट बेचा गया उस सम्बन्ध में माननीय काशी नाथ जी ने बतलाया कि 1 करोड़ 11 लाख की बजाय धोखा देकर 1 करोड़ 1 लाख में लिया गया ताकि सौदा 1 करोड़ 5 लाख में हो जाय। जो 6 लाख का घुटाला था उसमें मेरा अनुमान है कि उसमें हमारे चेयरमैन विद्युत परिषद् और मंत्री महोदय का हिस्सा रहा है। यह तो अनुमान है लेकिन जो हरदुआगंज वाला प्लान्ट बेचा गया तो जिसने खरीदा वह कहता है कि 80 हजार रुपया तिवारी जी को दिया और दो लाख रुपया बहुगुणा जी को पार्टी के लिए चंदा दिया। एक बात यह कि जो आक्शन दिया गया उसमें वीलिंग चार्जेज होते हैं। यहां से बिजली ली और कारखाने पर बिजली देंगे तो वीलिंग चार्जेज एकार्डिंग टु डिस्टेंस होते हैं। मन्त्री जी अपने भाषण में बतलायेंगे कि यह वीलिंग चार्जेज हरदुआगंज और जो रामपुर का प्लान है दोनों जगह एक सा है या अलग-अलग है। उनकी डिस्टेंस बहुत है। जहां तक मेरी जानकारी है इन दोनों के वीलिंग चार्जेज एक हैं।

तीसरी बात यह है कि जहां तक मेरी जानकारी है आपका जो प्लान्ट हरदुआगंज का है उसके एक्सपेन्शन के हिसाब से मशीन खरीद ली है और आपने अपना प्लान्ट बेच दिया और वह वहां पर लगा रहेगा तो कैसे एक्सपेन्शन होगा। इस प्लान्ट के बेच देने के कारण एक्सपेन्शन रुका रहेगा। इससे यह साफ होता है कि जो मशीन खरीदी है उसका उपयोग आप करने नहीं जा रहे हैं। एक करोड़ पांच लाख का कंट्रेक्ट चंदौती वाले को दिया है तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धीरेन्द्र सहाय]

उसमें यह शर्त रखी है कि एक तिहाई वह जमा कर देगा और दो तिहाई रुपये आपने इसमें लिखा हुआ है उस सम्बन्ध में उसने कहा था कि 1 करोड़ 1 लाख रुपये वाली पार्टी जो है उसे वह 6 महीने में अदा करेगी और दूसरी पार्टी ने कहा कि 45 दिन में अदा करूंगी। अब केवल 15 दिन उस कांट्रेक्ट में रह गये हैं। क्या अब उस लिमिट को बढ़ाया जायगा ? यही तरीका रहता है उसको कम करके दिखाने का और फिर जितना चाहा बढ़ा लेंगे। दोनों पार्टीज ने ही पहले एक तिहाई रुपया देने की बात कही थी। केवल शर्त यही थी कि दो तिहाई रुपया कितने दिनों में दिया जायगा ? उस शर्त को उसी तरह से निभाया जाय जिस तरह से उसे रखा गया था।

जब 13 तारीख को बहस हो रही थी उस समय भी मैंने यह बात कही थी। मंत्री महोदय ने उस समय जिक्र किया था कि बस्ती शुगर मिल से हम बिजली नहीं ले रहे हैं जब कि उससे आप बिजली ले रहे हैं। इसकी वह सफाई करेंगे कि शुगर मिल से बिजली खरीदी गयी या नहीं जिसका रेट 80 पैसे से डेढ़ रुपये तक था और जब फैसला लिया गया उनको बेचने का तो किस आधार पर लिया गया ? 67 की जो रिपोर्ट है उसका अगर आधार माना जाता है तो उस वक्त जो बिजली की जो पोजीशन थी बहुत दिक्कत तलब नहीं थी जैसी कि आज है। आज के वातावरण में आप स्वयं मानते हैं कि आज जो कीमत मिल रही है वह ज्यादा होगी क्योंकि बिजली की मांग ज्यादा है। इन प्लांट्स की किसी एक्सपर्ट से जानकारी कराई गयी कि इस समय उनकी क्या कीमत है और जब कि 15 लाख उसकी उस समय कीमत थी। लेकिन आपने 7 लाख में इस समय बेच दिया। इतने बड़े-बड़े प्लांट्स बेचे गये तो आपने किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से जांच कराई ? बोर्ड का कोई डिसीजन नहीं हुआ। चेयरमैन ने अपनी मर्जी से बेंच दिया। मंत्री महोदय इन सब बातों पर प्रकाश डालेंगे और जैसी सब सदस्यों ने मांग की है इसकी जांच सी० बी० आई० से करायेंगे या माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना देंगे जिसमें एक्सपर्ट भी होंगे उससे जांच करायेंगे।

श्री चितरंजन स्वरूप (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश भारतवर्ष के आठ उन प्रदेशों में से है जिनमें बिजली थर्मल तथा हाइडल दोनों तरीकों से पैदा की जाती है। अभी कुछ दिन पहले केन्द्रीय मंत्री श्री पंत ने कहा था कि देश में थर्मल पावर स्टेशन्स और लगाये जायं लेकिन हमारे यहां थर्मल पावर स्टेशंस को बेचा जा रहा है यह कह कर कि ये अनइकोनामिकल हैं और उनसे प्रोडक्शन पूरा प्राप्त नहीं हो पाता है। यह बात समझ में आती है कि जो अनइकोनामिकल है और जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विशेषज्ञ ने रिपोर्ट भी दी है कि इनको बेच दिया जाय तो जरूर बेच दिया जाय। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि जब उनको प्राइवेट कम्पनीज को बेच दिया जाता है तो उनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाता है और जब सरकार चलाती है तो प्रोडक्शन कैसे घट जाता है ? चन्दौसी थर्मल पावर हाउस के लिये मुजफ्फरनगर की एक कम्पनी का टेंडर था 1 करोड़ 11 लाख 11 हजार का टेंडर की शर्त कालम 17 में यह लिखा हुआ है "नो बायविल प्राइस शैल बी एक्सेप्टेड"। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी कम्पनी जो टेंडर में दुबारा संशोधन दे मंजूर नहीं होगा लिहाजा भगवान इंडस्ट्रीज का वह टेंडर जो पहले 56 लाख 11 हजार का था जो बाद में 1 करोड़ 5 लाख कर दिया गया था कैंसिल समझा जाना चाहिये था। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों नहीं किया गया ? फिर आगे आप कालम 10 में देखें जिसमें लिखा हुआ है :

The seller does not pledge to accept the highest or any render and reserves to himself the right of accepting or rejecting the whole or any

portion of any tender as he may think fit without assigning any reasons for acceptance or rejection.

जब उनको इतने अधिकार प्राप्त हैं कि टेन्डर की शर्तों के द्वारा वे उसको रिजेक्ट कर सकते थे तो उन्होंने क्यों रिजेक्ट नहीं किया ? दुबारा टेन्डर क्यों नहीं मांगे गये। इससे साबित होता है कि इस मामले के अन्तर्गत चेयरमैन का हाथ है। एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि रेलवे माल गोदामों में 9 करोड़ पये का विद्युत बोर्ड का सामान पड़ा हुआ है और एक लाख रुपये रोज डेमरेज लग रहा है। उसको क्यों नहीं छुटवाया गया ? क्या यह भ्रष्टाचार का नमूना नहीं है। वास्तव में इसका कारण यह है कि हमारे यहां प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की एक ही एजेन्सी केवल इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड ही है और उसी से उत्पादन एवं वितरण करवाया जा रहा है। यदि उत्पादन और वितरण की अलग-अलग एजेन्सीज बनायी जांय तो प्रदेश में बिजली का सुधार हो सकता है। मान्यवर, वस्तुतः इस पर रोक इसलिये भी नहीं लगायी जा सकती है क्योंकि हमारे यहां बोर्ड का सेक्रेटरी और चेयरमैन एक ही व्यक्ति है जब कि कहीं भी भारत के किसी प्रदेश विद्युत बोर्ड में सचिव और अध्यक्ष एक ही व्यक्ति नहीं है। इसलिए यहां पर वह जो चाहे कर सकता है और उसके अधिकारों का दायरा असीमित हो जाता है।

मुख्य मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारे यहां 1458 मेगावाट प्रोडक्शन हो रहा है जब कि प्रदेश को 1800 मेगावाट की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि लगभग 350 मेगावाट बिजली हमें और मिले तो हम विद्युत की कमी कवर कर सकते हैं। हमारे प्रदेश में विद्युत की उत्पादन हानि 35 प्रतिशत हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में केवल 10 प्रतिशत की उत्पादन हानि है। हमारे यहां ही क्यों 35 प्रतिशत हानि है। यदि हम इस हानि में से 10 प्रतिशत ही कम कर दें तो इस प्रदेश की विद्युत की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, जो जेनरेटर्स हैं उनके निकम्में होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे यहां दो प्रकार के इंजीनियर्स ट्रेन्ड होते हैं—एक थरमल के और दूसरे हाइडिल के। हाइडिल के इंजीनियर्स को थर्मल सेटों में लगा दिया जाता है जिससे व उसकी तकनीक नहीं जानते हैं लिहाजा वे खराब हो जाते हैं और बाद में उनको बेकार कहकर बोर्ड के अधिकारीगण सस्ते दामों में बेच दते हैं। बोर्ड ने हरदुआ गंज थर्मल पावर हाउस सबसे पहले बेचा। जिसे चलाकर मोदी उस पावर हाउस की क्षमतानुसार पूर्ण उत्पादन ले रहे हैं 50 प्रतिशत उन्होंने पहले टरबाइन से लिया। रामपुर का पावर स्टेशन भी लगभग पूरा प्रोडक्शन दे रहा है। दो टरबाइन उनके चल चुके हैं और तीसरा चलने वाला है।

मान्यवर, यह सर्वविदित है कि प्रदेश का आर्थिक विकास कृषि और उद्योग पर ही निर्भर करता है जिसके लिये बिजली की अत्यन्त आवश्यकता है। बड़े दुःख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि 6 बड़ी कम्पनियां विद्युत न मिलने के कारण प्रदेश छोड़कर अन्यात्र चली गई है। प्रदेश में 100 करोड़ रु० की छोटी फैक्टरियां लगी हुई हैं जिनको आज तक बिजली नहीं मिल रही है। यदि हम इस एजेन्सी को बदलें तभी हमें पूरी बिजली प्राप्त हो सकती है और उससे प्रदेश का विकास हो सकेगा।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, इस सवाल पर बहुत सी बातें कहीं गई हैं। अतः मैं चन्द बातें ही इस सम्बन्ध में कहूंगा। पहली बात यह है कि रामपुर के अन्दर जो प्लान्ट बेचा गया, मुझे स्पष्ट जानकारी है वह, वह प्लान्ट संजय गांधी की मारुती लिमिटेड कार के एक पार्टनर के हाथ बेचा गया.... (व्यवधान)।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम अधार]

मुझे पूरी जानकारी है। रामपुर में जिस पूंजीपति के हाथ प्लान्ट बेचा गया है, वह उसे दिल्ली ले जाएगा और वह संजय गांधी के मारुति कार कम्पनी में एक पार्टनर है। यही कारण है कि वहां के ह्वीलिंग चार्जेज जो हैं वह हरदुवागंज और मुजफ्फरनगर वाले से ज्यादा है। यही कारण है कि संजय गांधी के दबाव से ह्वीलिंग चार्जेज रामपुर और हरदुवागंज के दोनों के बराबर कर दिए गये हैं। इसलिए मेरा स्पष्ट चार्ज है कि इस तरह से जो प्लान्ट्स बेचे जा रहे हैं वे दिल्ली के दबाव से उत्तर प्रदेश की सरकार पैसे लेकर बेच रही है, उनका खुला सौदा कर रही है। यह इनके मुनाफा कमाने का बहुत बड़ा जरिया है। 10 बजे से लेकर शाम तक और रात्रि में दो बार बिजली की जरूरत पड़ती है। यह किसानों से तो यह पूंछते हैं कि तुम पिक-टाईम में बिजली लोगे या आफ-टाइम में बिजली लोगे। किन्तु पूंजीपतियों को जो आपने अपने प्लान्ट्स दिये हैं, उनके ऊपर कहीं आपने तय नहीं किया है कि तुम पीक-टाइम बिजली लोगे या आफ-टाइम में बिजली लोगे। तो किसानों और जनता या पब्लिक सेक्टर के कारखानों को बिजली की जरूरत होगी तो उसे बिजली नहीं मिलेगी और उनसे इस तरह के सवालात किये जाएंगे।

इस तरह की बात करके आपने डकैती और लूट का सबसे बड़ा प्रमाण दिया है। और मेरा स्पष्ट आरोप है कांग्रेस के बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर कि वे पूंजीपतियों को प्लान्ट्स बेचकर आज करोड़पति बने बैठे हैं। मेरी चुनौती है उनके मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को कि वे इसकी जांच करावें कि जिनके पास 10 हजार रुपया भी नहीं थे, उनके पास अब करोड़ों रुपये कहां से आ गये हैं। आज मंत्रियों में पूंजी का जो अभाव है, वह प्लान्ट बेचकर है। 1908 में रुपये की वैल्यू क्या थी और आज क्या है, आज 20 पैसे के बराबर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसके अंदर करोड़ों रुपये का घोटाला है। इसमें संजय गांधी और बहुगुणा से लेकर बड़े-बड़े अफसरों की मिलीभगत है। इसके लिए एक उच्च कमेटी बनाई जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई अफसर और इस सदन के माननीय सदस्य हों, तब इस कांड का पर्दाफाश होगा। फिर मैं मांग कर रहा हूं कि कमेटी बने।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रकरण है, सदन के सामने प्रस्तुत है, यह कोई नया प्रकरण नहीं है। इस सदन में समय समय पर विद्युत परिषद के घोटाले के बारे में केसेज सामने आए हैं। मैंने ट्रांसफारमर-कांड को आपके सामने सदन में रखा था। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन एल० बी० त्रिपाठी का पेट सुरसा पेट की तरह है। भ्रष्टाचार और काला-पैसा उनके पेट में कितना हजम होता जाएगा इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मैंने रांची फर्म का नाम लिया था, जो स्टेट ओनरशिप की फर्म है, उसने अपना सामान सप्लाई करने के लिए कहा था, किन्तु उससे बोर्ड के लोगों ने मिलना भी मुनासिब नहीं समझा।

दूसरा उदाहरण कापर स्कैंडल का दिया। कम से कम करोड़ रुपये का, पिछले 2–3 साल में कापर वायर रिप्लेस करके अलम्युनियम वायर से, यह नयी बीमारी पैदा हुई। बुद्धि तो है ही बाबा के पास उसका सदुपयोग करके पैसा अर्जन करने में, कापर वायर हटाया, अलम्युनियम वायर लगाया कितना कापर वायर हटा कितना बिका, कितना स्टोर में हैं, कम से कम दो करोड़ रुपया पंडित एल० बी० तिवारी ने उसमें भी कमाया। इसी तरह से बहुत सी और त्रुटियां हैं। अगर आप वक्तव्य को देखें, तो आपको मालूम होगा कि कितनी भी परम्पराएं हैं टेंडर की, सारी परम्पराओं की अवहेलना करके, सारे नियमों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को वायलेट करके, किसी भी विभाग में, दुनियां के किसी भी इतिहास में, ऐसा नहीं हुआ होगा कि टेंडर इनवाइट होता है, ओपेन कर दिया जाता है, उसके बाद बारगेनिंग होती है। अगर ऐसा होता है तो फिर टेंडर ओपेन किये जाते हैं, चूंकि इतना ज्यादा रेट बढ़ चुका है इसलिए सारे टेंडर फिर इनवाइट किये जाते हैं।

मैं गोरखपुर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। अभी 1950 का है। वह वैलुएशन का दस परसेंट हो गया। 1950 में जो लोहा खरीदा गया होगा उसकी कीमत दस गुना बढ़ी है या कम हुई है। उसका वैलुएशन दस फीसदी रह गया है मेरी समझ में यह नहीं आता है। अभी राय साहब ने मारुति मोटर के सम्बन्ध इशारा किया। मिश्रा जी क्यों चौंक रहे हैं? एक घटना नहीं है, अनेक घटनाएं हैं। बस्ती का जिक्र आया। बस्ती की बिजली एक रुपया पचास पैसे में क्यों खरीदी जा रही है? इसलिए वह फैक्टरी नारंग की है। यह नारंग दिल्ली राजधानी की सेकंड कार की कहानी के नायक ही नहीं हैं, बल्कि प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की बगल में बैठने वाले कांग्रेस के वालेंटियर फोर्स के कनवीनर भी हैं। आप इनक्वायरी कराइये। सामाजिक जीवन कहीं-कहीं ईमानदारी की आवश्कता पड़ती है। बिजली बोर्ड की और शोषित दलित जनता की आंखे लगी हुई हैं। किसी भी मंत्री को हिम्मत हो तो अपने दस मतदाताओं को ले आकर शक्ति भवन में जायें फिर अपने क्षेत्र में जायें तो पता लगेगा। उसमें जो ऐशोइशरत होती है, सार्वजनिक पैसे का अपव्यय होता है, भ्रष्टाचार का नंगा नाच होता है, अगर मतदाता देख लें तो आटे दाल का भाव मालूम हो जायगा।

जजों को क्या कहा जाय, अब जज के पद पर कोई पहुंच सकता है। इसलिए सदन के सम्मुख में अपनी अनुनय विनय रखता हूं और मैं सदन से न्याय की भिक्षा मांगता हूं। एक कमेटी गठित की जाय जिसमें सत्ता पक्ष और इस पक्ष के सारे लोग हों। इतना ही नहीं, यह पंडित एल० बी० तिवारी अप्रत्यक्ष रूप में जो बिग बिजिनेस मैन हैं, उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आपकी मंशा नहीं है, केवल नारे में विश्वास करते है लेकिन अगर कोई सत्यता का उसमें अंश और पब्लिक अन्डरटेकिंग, या पब्लिक सेक्टर में विश्वास करते है तो पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर को बदनाम करने के लिए नियोजित संडयन्त्र चल रहा है। इस प्रकार से विद्युत बोर्ड बिग बिजिनेस मैन के इशारे पर मनोपलीड के इशारे पर काम कर रहा है और पब्लिक अंडर टेकिंग के प्रति जनता को जो विश्वास होता है वह टूटता चला जा रहा है। फिर प्राइवेट सेक्टर की बात आज चलायी जा रही है।

ज्यादा समय न लेकर मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की एक कमेटी नियुक्त करें और वह सारे ट्रांजेक्शन कितने गलत हुए हैं कापर वायर और दूसरे प्रकार की जो गड़बड़ियां हुई है जिसकी तरफ सदन में समय-समय पर प्रश्न उठाया गया है। इन तमाम मामलों की व्यापक पैमाने पर जांच करायें तब विद्युत परिषद् की सही तस्वीर सामने आयेगी। इन शब्दों के साथ में आग्रह करूंगा कि...

*श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न इस सदन में उठाया गया है, उसके केवल एक मुद्दे पर मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इस बात से कंविंस हूं कि यह जो चंदौसी का प्लान्ट बेचा गया है उसमें बहुत बड़ा गोलमाल हुआ है। बहुत सी बातें हमारे साथियों ने कही हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के इसमें नाम आये हैं जिन्होंने निगोशियेट किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव]

जैसे चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सेक्रेटरी वगैरा जिनका जिक्र इसमें आया है उन लोगों ने निश्चित रूप से, मेरा जानकारी है और मैंने स्वयं इसमें जिरह की है, गड़बड़ घोटाला किया है। मैं एक पत्र पढ़ना चाहूंगा। जो इटेंडिंग परचेजर था जिसने 1 करोड़ 11 लाख रुपये का टेंडर दिया था। बाद में दूसरे के नाम 1 करोड़ 5 लाख रुपये में यह डील फाइनेलाइज कर दिया। लेकिन जब 1 करोड़ 11 लाख रुपये वाले को सूचना मिला तो उसने इनको पत्र लिखा। इसमें वहा हुआ है जिसका जिक्र हमारे साथी काशीनाथ जी ने किया है। दरअसल में चेयरमैन वगैरा बेईमानी करना चाहते थे। पहले टेंडरर को समझाया गया कि यह आपको सस्ता मिल सकता है। इसलिए 11 लाख के बजाय इसमें 1 लाख कर दीजिए। दूसरी तरफ दूसरे आदमी से एक करोड़ 5 लाख का टेंडर लेकर उसको फाइनलाइज कर दिया। पहले वाले ने एक करोड़ दस लाख का टेंडर दिया था।"

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के दफ्तर में ही बैठकर लिखा गया कि जहां हमने 1 करोड़ 11 लाख रुपया लिखा है उसको एक करोड़ एक लाख रुपया पढ़ा जाय। जब एक करोड़ 11 लाख के हिसाब से उन्होंने अर्नेट मनी जमा किया था। मैं टेंडर की शर्त नम्बर 18 पढ़ रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अख्तियार था कि वह पहले टेंडरर से 1 करोड़ 11 लाख रुपया वसूल कर सकता था। शर्त नम्बर 18 इस प्रकार है कि—

"In Case of ambiguous or self contradictory terms Conditions mentioned in the tender, interpretation as may be disadvantageous to the renderer may be taken",

अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो उस शक्ल में जो टेंडरर को नुकसानदेही शक्ल होगी वह मानी जायगी। इस मामले में एक करोड़ 11 लाख रुपये वाले टेंडरर को नुकसान होने वाला था। इसलिये उसको माना जाना चाहिये था। लेकिन जैसा कि काशीनाथ जी ने कहा था उनसे एक करोड़ एक लाख रुपया लिखा लिया गया और दूसरी तरफ एक करोड़ 5 लाख रुपये में मामला फाइनेलाइज कर दिया। दूसरे टेंडरर वाले के साथ लोग इंटरेस्टेड थे इसलिये ऐसा किया गया।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि 18 तारीख को यह फाइनेलाइज हुआ। उसने 23 तारीख को चिट्ठी लिखी है। मैं उसका एक अंश पढ़ रहा हूं कि—

"If any tenderer was prepared afterwards to offer higher than the highest tenderer, the Board ought to have brought the fact to our knowledge and asked us if we could pay higher than him."

अगर इसको बढ़ाना था और एक करोड़ 5 लाख रुपये में फाइनेलाइज करना था तो इससे पहले हमसे लिख कर पूछना चाहिये था कि आप इससे ज्यादा पर लेने के लिये तैयार हैं या नहीं। उसने फिर लिखा है कि—

"Therefore it is prayed that the Chairman, U.P. State Electricity Board, may kindly be ordered to stop the sale proceedings forthwith and the original highest tender may please be accepted."

इसलिये यह सेल रोक दी जाय और हम ज्यादा देने के लिये तैयार हैं। यह चिट्ठी उसने चीफ मिनिस्टर को लिखा है। मैं कहना चाहूंगा कि संसदीय प्रणाली में जनतंत्र में यह धारणा नहीं है कि हम सरकार के पक्ष में बैठे हुये हैं तो बेईमान अधिकारियों को प्रोटेक्ट करने के लिये बैठे हैं। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा आफिसर हो। मैं यह भी मानता हूं कि हमारे साथियों ने इस डिबेट को दूसरी तरफ ले जाना चाहा।

आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रदेश के प्रशासन की गौरवमय परम्परा रही है। उत्तर प्रदेश को भी गिनती अच्छे प्रदेशों में की जाती रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि इसकी जांच करायी जाये। गेहूं कितना ही महंगा क्यों न हो लेकिन यह न देखना चाहिए कि वह खाने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसी तरह से पावर कितना ही मंहगा क्यों न हो वह जनता को उपलब्ध करना चाहिए। यह विद्युत बोर्ड की ड्यूटी थी कि वह किसानों को सिंचाई के लिए बिजली देता। लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इन सबका एक कारण मुझे मालूम यह हुआ कि विद्युत परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनके ठाट-बाट बहुत ज्यादा है। मुगल काल में जहांगीर के समय में घंटी बजाने और उसकी आवाज पर बादशाह उसकी बात को सुनता था और उसे राहत पहुंचाता था लेकिन अध्यक्ष विद्युत परिषद के दर्शन होना ही दुश्वार है। चेयरमैन से किसी की मुलाकात नहीं होती है। मैं आपके जरिए निवेदन करुंगा कि बिहार सरकार के एक आई0 एस0 अफसर 7 दिन तक विद्युत परिषद के चेयरमैन से मिलने की कोशिश करते रहे लेकिन उनसे वे मिले नहीं क्यों कि वे 3 1/2 परसेंट कमीशन देने के लिए तैयार नहीं थे और जो भी कारण हो वे अपनी जगह पर है लेकिन कम से कम आप इसकी जांच करवाय और सदन के सामने जिस रिपोर्ट को रख दें जिससे वहां के अधिकारियों के बारे में जो शंकायें पैदा होती हैं वह न हों।

श्री अध्यक्ष--

बिजली के बारे में बोलें।

*श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

मान्यवर, यह सरकार के गति किधर बा। शासन पक्ष और वि ोध पक्ष के सदस्य दोनों सहमत भएल कि विद्युत गृह के बेचले में घोटाला भइल बा। अब सरकार कउने बूते चलत बा। नौकरशाही के बूते या सदन के बूते। यह कर गति केकड़ा की तरह से होइल बा। रूख केहर बा। यहिका पता नहीं चलत बा। लकड़ी एहर लगावे तो वहर चली और वहर लगावे तो एहर चली। देवरिया जिला मां 500 एकड़ से अधिक जमीन सीलिंग मां निकली बा। वहिका सरकार के कर्मचारी लोग बेंच खइलेन। भूमिहीन और हरिजन लोग के झगड़ा और मुकदमा बांटत आने। इलाहाबाद का म्यो हाल का आजो के भाव नौकरशाही बेच खइले। हम का भय बा कि कहीं विधान सभा भवन न बेंच देंय।

श्री अध्यक्ष--

यह भवन इनके कब्जा मां नाहिन बा।

श्री श्रीनारायण--

बिजली का जौन सम्बन्ध है। एक तरफ सरकार राष्ट्रीयकरण का दंगा मचइले बा और दूसरी तरफ विद्युत गृह का पूंजीपति को बेचत बा। एकर का कारण बा। एक तरफ कहत बा कि समाजवाद है और दूसरी तरफ पूंजीपतिन का बढ़ावा देत बा।

ये तरीका से सरकार के गति पर जांच कमेटी रखली जाय कि कितना घोटाला बा, कितना घपला बा। एकर जांच करें। जब तक एकर ठीक तरीके से जांच न होइले, तब तक सही पता न चले कि आखिर इतना घपला का कौन कारण बा।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर समय मांगन पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

जिस चीज की आवश्यकता आप समझें, तब सवाल पूछ लीजिएगा।

*श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, मुझे दुख है कि इस विषय को एक राजनैतिक मंच का विषय दे दिया गया। मान्यवर, इसी सदन में बार-बार मा० सदस्यों ने कहा कि आई० ए० एस० अफसरों को हटा कर विद्युत परिषद के टेक्निकल हैंड्स को दिया जाय।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

यह थोड़े कहा गया था कि किसी बेईमान को दे दिया जाय। आपके अफसर बैठे हैं और मान्यवर आप बैठे है 28 मई को यह जो एस० सी० एस० ओ० निकला है, वित्त विभाग की ओर से मेसेज निकला है, आप उसको बदल दें, सारी बातें क्लियर हो जायंगी।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, कौशिक जी को मेरा ख्याल है, कि बिजली विभाग के सारे इंजीनियर्स ओवरसियर्स से ज्यादा जानकारी है। उनको सब जानकारी है, मुझको नहीं है। मान्यवर, इसमें 3 बातें मुख्य हैं। एक बात तो मुजफ्फरनगर वाले को न देकर जो 1 करोड़ 11 लाख, 11 हजार का था, उसको न देकर, 1 करोड़ 5 लाख वाले को दिया गया। मान्यवर, उस दिन भी चर्चा के समय कहा था कि 2 टेंडर की जगह एक जगह 76 लाख 11 हजार और दूसरी जगह 76 हजार के करीब था। टेक्निकल बात जो शर्त टेंडर के खिलाफ है उसको नहीं कह सकता हूं। 18 तारीख को दूसरी पार्टी को दिया था, जिसको भगवान दास कहते हैं, मुजफ्फरनगर को उन्होंने लिखकर दिया कि 1 करोड़ 11 लाख 11 हजार से ज्यादा हम पैसे देने के लिए तैयार नहीं है और कहा कि एक तिहाई पहले दूंगा और बाकी 6 महीने में दूंगा। भगवान दास ने कहा कि 1 करोड़ कुछ दूंगा। अब 18 तारीख को, फाइनल होता है। ओम प्रकाश जी 23 तारीख का पढ़ रहे हैं। मान्यवर, जब सौदा तय हो जाय तब लेने के लिए तैयार होते हैं, 5 दिन बाद कहें कि 1 करोड़ 11 लाख कुछ दूंगा कोई इसका औचित्य है मान्यवर ?

श्री धीरेन्द्र सहाय—

मान्यवर, सौदा तय होने के पहले की यह बात है।

श्री प्रभु नारायण (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, 1 करोड़ 5 लाख तक चला जाय लेकिन 1 करोड़, 11 लाख वाले को न मिले जो कि ज्यादा है। इसमें मान्यवर, कोई लिखित सूचना देने की बात हुई ?

श्री राज मंगल पांडेय—

माननीय सदस्य ने सुना नहीं। उसी दिन 18 तारीख को जिस दिन 1 करोड़ 5 लाख का टेन्डर स्वीकृत हुआ, उस 1 करोड़ 1 लाख वाले टेन्डर ने लिखित रूप से दिया कि हम इससे ज्यादा देने को बिल्कुल तैयार नहीं है।

बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी)—

सार्वजनिक क्षेत्र मे काम करने वाले प्राइवेट लोगों के हाथ में इनको देने से क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे है। हमारे संविधान की धारा 39 (सी) में स्पष्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिखा हुआ है कि:

"(c) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment."

इस तरीके से पब्लिक सेक्टर में जितने काम हो रहे हैं, धीरे-धीरे प्राइवेट सेक्टर में देंगे तो उपरोक्त धारा का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री राज मंगल पांडेय—

श्रीमन्, मैंने अभी स्पष्ट किया कि उस तारीख को 1 करोड़ 1 लाख टेन्डर करने वाले ने साफ इन्कार कर दिया लिखित रूप म कि वह इससे ज्यादा एक भी पैसा देने को तैयार नहीं है।

बाबा राम नाथ—

श्रीमन्, मैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। इसका आप उत्तर दिला दें।

श्री अध्यक्ष—

वे जवाब दे रहे हैं।

बाबा राम नाथ—

श्रीमन्, अगर सार्वजनिक उद्योग के प्राइवेट सेक्टर में झोंक दिए जायेंगे तो यहां की जनता दिवालिया हो जायगी। ये कोरा समाजवाद का नारा देते हैं लेकिन इनके काम सब पूंजीवाद के हैं।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप एक-एक सवाल करें तो उसका वे जवाब दे देंगे। जब वे एक का उत्तर दे दें तो आप नया सवाल करें ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जैसा मैंने निवेदन किया 1 करोड़ 1 लाख वाले टेन्डरर ने साफ लिखित रूप में 18 तारीख को दिया कि वे इससे अधिक पैसा नहीं दे सकते हैं। फिर 23 तारीख को, जिसका निहित स्वार्थ इन्वाल्वड है, अगर वह कहता है कि हम 1 करोड़ 11 लाख रुपये में लेने को तैयार हैं तो वह 18 से 23 तक कहां था। अगर हर दूसरे तीसरे दिन ये कहते हैं कि हम ज्यादा देंगे तो उसके टेंडर को नहीं माना जाता है। ऐसे सरकार काम नहीं करती है। जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है बिजली सस्ती या महंगी पैदा करके वे बिजली को हायर प्रोडक्शन चाहे वह स्टील में हो या बाई प्रोडक्ट में जिसको बेचकर दुगना या ढ़ाई गुना लाइसेन्स को पूरा करके उनसे वे जितना कमा लेते हैं, सरकार ऐसा नहीं कर पाती है। सरकार ने जो बिजली पैदा की, वह उसे सरटेन रेट पर कन्ज्युमर को देती है। सरकार कोई आयरन स्टील या अलुमुनियम आदि का कोई रोजगार नहीं करती है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में जो कारखाने चलते हैं, उनमें बड़ा फर्क होता है।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

जो आपसे सवाल पूछा गया था कि आप बिजली महंगी खरीद रहे हैं, उसका आपने कोई उत्तर नहीं दिया है ?

श्री हुकुम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इन नेगोशिएशन्स की बात थी तो बोर्ड की ओर से कोई पत्र गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि मुजफ्फर नगर स्टील वाले वहां पर मौजूद थे, और जब 1 करोड़ 5 लाख दूसरी फर्म से लिया जा रहा था तो मुजफ्फर-नगर वाले से यह बात नहीं की गयी कि 1 करोड़ 5 लाख की ओफर है क्या वे इससे ऊपर देने पर तैयार है ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, जिस व्यक्ति ने साफ-साफ कह दिया कि 1 करोड़ 1 लाख 11 हजार से एक पैसा ज्यादा नहीं देंगे 18 तारीख को, उसके बाद भी यह कहना कि उसको मौका नहीं दिया और मेरी बात पर कोई विश्वास न करें तो उसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है।

श्री हुकुम सिंह--

मंत्री जी पर विश्वास करते हैं। प्रश्न यह है कि जिस अधिकारी को आप ब्रीफ होल्ड कर रहे हैं या जिसे डिफेंड कर रहे हैं उसने आपको कई स्टेजेज पर गुमराह रखा।

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, जो कागज है उसके अनुसार कह रहा हूं। मान्यवर, आज हम लोगों की ममता अपनी निजी संपत्ति पर जितनी है उतनी सार्वजनिक संपत्ति के प्रति नहीं है, इसे कौन नहीं जानता ? मोदी साहब ने तीनो सेटों को और बावजूद इसके कि इंग्लैन्ड के एक्सपर्ट उनके पास थे, एक साल ही चला पाये हैं इतनी बड़ी मशीनरी को। उस बिजली को वह स्टील के कारखाने में लगायेंगे और स्टील की कीमत ढाई-तीन गुनी बढ़ गयी। फिर उससे बाई प्रोडक्ट पैदा करेंगे अपने डिफरेंट कारखानों में। लेकिन सरकार क्या करे ? जब कि बिजली 19 पैसे में और डोमेस्टिक 32 में देती है तो सरकार इस घाटे को कैसे पूरा करेगी ? सके पहले शहरों को बिजली....

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

माननीय मंत्री जी, फिर टेंडर काल क्यों नहीं किये गये। जब 56 लाख वाला 1 करोड़ 5 लाख पर आ गया तो क्यों नहीं फिर से टेंडर्स मांगे गये, प्राइवेट नेगोशिएसंस क्यों किये गये ?

श्री राजमंगल पांडय--

इसीलिए आज नहीं, जब से कानून बना है मान्यवर, हाइयेस्ट टेंडर का भी तरीका होता है। लेकिन हाइयेस्ट टेंडर करने वाले जब आप से मिल जाते हैं तो कभी हाइयेस्ट बिड नहीं देते। इसीलिए इस सिद्धान्त के अनुरूप एक कानून वाई नेगोशिएशन्स....

बाबा रामनाथ--

मैं एक बात और बताना चाहता हूं। बिजली उद्योगों को यहां बिल्कुल चौपट किया गया। इस समय रिहंड परियोजना में बिजली का रेट 4'6 नये पैसे पर कनोरिया केमिकल्स को आधे दामों पर दी, तमाम कायदे-कानून का वायोलेशन किया गया। बिजली उद्योगों को जिस तरह से चौपट करने की साजिश की। रिहंड को क्यों न घाटा पड़ता जब कि किसान को 25 पैसा पर यूनिट दिया जाता था ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जैसा कि पूछा था कि 56 लाख से एक आदमी बढ़ करके 1 करोड़ 5 लाख पर आ जाता है इतना बड़ा गैप बन जाता है, तब तो कम से कम मोटा सा अन्दाजा है कि कम से कम

आपको फ्रेश टेंडर इनवाइट करने चाहिए थे। यहां पर शक पदा होता है और मंत्री जी से निवदन करूंगा कि इसमें आप राजनीति न लायें। हमारी तरफ से राजनीति नहीं है। आप इंक्वायरी करायें।

श्री रामसेवक यादव—

मंत्री जी ने कहा कि यह राजनीतिक प्रश्न है, लेकिन यह राजनीतिक प्रश्न नहीं है क्योंकि पूरा सदन जैसे लगता है एक है।

श्री राजमंगल पांडेय—

राजनीतिक प्रश्न न होता तो बहुगुणा जी और संजय गांधी का नाम न आता।

श्री रामसेवक यादव—

यह मैं नहीं कह सकता हूं। पांडेय जी और उनके साथियों के बीच में कोई राजनीति की बात हो, लेकिन इधर से ऐसा नहीं है।

श्री राजमंगल पांडेय—

आपकी तरफ से एक व्यक्ति ने कहा।

श्री रामसेवक यादव—

यह राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर इधर से सब लोग कह रहे हैं। तो आप जवाब दें कि जब इतना महत्वपूर्ण सेल था तो उसके लिए जो टेंडर आये वह 10 ही दिन के अन्दर क्यों? क्योंकि ठेके के टेंडर इनवाइट किये जाते हैं सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण विभाग में तो पर्याप्त समय दिया जाता है। लेकिन यहां केवल 10 दिन का दिया गया। दूसरे जैसे अभी नेगी साहब ने कहा कि जब दूना हो जाता है तो इससे भी सबक लेकर फ्रेस टेण्डर इनवाइट करते। मंत्री जी ने अभी-अभी कहा कि वह अपने दाम बढ़ा लेंगे और सरकार यह कर नहीं सकती। क्या मंत्री जी जानते हैं कि स्टील के भाव सबसे पहले सरकार के कारखाने में बढ़ते हैं उसी हिसाब से ये पूंजीपति बढ़ाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुये इस बात का क्या उत्तर है कि जब वह खुद डेढ़ रुपये में बिजली खरीदते हैं तो इसकी बिजली को कैसे मंहगी कहते हैं।

श्री राज मंगल पांडेय—

टेन्डर के लिये रूल्स में ही है कि कितने दिन का मिनिमम पीरियड होना चाहिये। और जिस मोदी के बारे में इतनी लम्बी चौड़ी बात कही गयी तो इन्हीं जनरेटिंग सेट्स को लेने के लिये महाराष्ट्र की एक फर्म ने टेन्डर किया 44 लाख कुछ हजार का और उससे 5 लाख रुपया मोदी ने ज्यादा दिया। नियमों के अन्दर भी है कि अपनी स्टेट का व्यक्ति अगर कुछ कम भी देता है तो भी चूंकि वह बिजली पैदा करके यहां के लोगों को कुछ राहत दे सकेगा हम उसी को प्रिफर करेंगे। 5 लाख रुपया ज्यादा महाराष्ट्र के मुकाबले म मोदी का देना कौन सा बड़ा पाप कर दिया। सेन्ट्रल वाटर एंड पावर कमीशन ने सारी लिस्ट दी है कि किस-किस सन् में कितने-कितने सेट्स रिटायर किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि 1967-68 में 10,270 किलोवाट, 1968-69 में 28,832 किलोवाट और 1970-71 में 30,125 किलोवाट इस तरीके से उसके रेकमेन्डेशन पर कार्यवाही की गयी।

हरदुआगंज की बात कही गयी। वहां एक आपरेटर को गियर लगाने के लिये कहा गया। उसका लोहा इतना गल चुका था कि गियर लगाते वक्त एक्सीडेन्ट हुआ, उस वक्त जो मिस्त्री था उसकी मौत हो गयी। यह सारी चीजें स सदन में हो चुकी है। फिर यह कहना कि 57 लाख का करोड़ कैसे हो गया तो यह इसलिय हुआ कि हायेस्ट बिडर 1 करोड़ 1 लाख 11 हजार से ज्यादा देने को तैयार नहीं था और फिर टेन्डर इन्वाइट

[श्री राजमंगल पांडेय]

करते तो टेन्डरर्स को आपस में मिलने का मौका देते । जब यह साबित है कि 57 लाख देने वाले से हमने 1 करोड़ 57 लाख वसूल किया और उसके बाद भी हमारी नियत पर हमला करें तो बड़े दुःख की बात है । (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जब आप खुद मानते हैं कि 57 लाख वाला 1 करोड़ 5 लाख तक पहुंच गया तो ऐसी परिस्थिति में आपको अन्दाजा हो जाना चाहिये था कि मामला गड़बड़ है, दोबारा टेन्डर मांगना चाहिये ।

एक सदस्य--

जब सारा सदन उस अधिकारी के बारे में कह रहा है कि कुछ न कुछ घोटाला है तो अकल मंत्री जी विशेष रूप से क्यों जोर दे रहे हैं । सदन की एक कमेटी बना दे, उसमें जांच हो जायगी ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

आपके माध्यम से एक सूचना और देना चाहता हूं ।

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)--

(व्यवधान) मैं यह पूछता हूं ....।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

40 प्रतिशत पावर की चोरी हो रही है, उसको नहीं देखते ।

श्री बालकृष्ण सनवाल--

जब टेन्डर दो से ज्यादा थे तो केवल एक ही के साथ निगोशियेशन्स करने से संदेह पैदा हो जाता है, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिये था और उचित यह था कि दोबारा टेन्डर काल किये जाते ।

श्री हुकुम सिंह--

जिस वक्त यह निगोशियेशंस चल रहे थे उस वक्त क्या सभी 6 आदमियों को बुलाकर सबसे बात की गयी थी, सब वहां मौजूद थे ।

श्री राजमंगल पांडेय--

श्रीमन्, 18 तारीख को सब वहां मौजूद थे । जब और सब ने इनकार कर दिया तब इनको दिया गया...(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

पंडित नेहरू के काल में शिराजुद्दीन कांड में मालवीया जी ने त्यागपत्र दे दिया था । उसी तरह मैं त्याग पत्र देने के लिये तो नहीं कहता, मगर मैं यह कहूंगा कि यह कांड, वाटर गेट कांड से कम नहीं है । जब दोनों तरफ के माननीय सदस्यों द्वारा एक ही बात कही जा रही है कि घपला हुआ है, संजीव गांधी का भी नाम लिया गया, तो मैं यह चाहता हूं कि मंत्री जी एक कमेटी जांच के लिये बना दें जिसमें इस सदन के, विधान परिषद् के सदस्य हों, पार्टीज के नेता हों, टैक्नीकल एडवाइजर हों । वह पूरी जांच करके अपनी रिपोर्ट दे । अथवा प्राविन्शियल सी० आई० डी० से ही जांच करवा लें । (व्यवधान) वरना यह वाटर गेट कांड से कम साबित नहीं होगा जिसमें आपकी बदनामी होगी ।

श्री मधुकर दिघे--

कमेटी बनाने में क्या दिक्कत है ? (व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

आप अपने ही दल के सदस्यों की कमेटी बना दें ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा) ---

श्रीमन्, जब सदन में बिजली विभाग की अनुदान चल रही थी तो भी इस विभाग के चेयरमैन के खिलाफ बहुत सी बातें कही गयी थीं और काफी आरोप लगाये गये थे । तो क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देने के लिये तयार हैं कि वे इसकी जांच कराने के लिये कोई कमेटी बनायेंगे जो समस्त मामले पर विचार करके अपनी रिपोर्ट दे सके ।

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, जो चेयरमैन, सेंट्रल स्टोर परचेज कमेटी है, वे सारे टेंडर इनवाइट करते हैं । कमेटी सब को स्क्रूटिनाइज करती है और सारी चीजों को देखती है । हाइएस्ट टेंडर होने के बावजूद वह देखती है कि उसे दिया जाय या नहीं दिया जाय । अगर नहीं देती है तो निगोशिएशन करके किसी को देती है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

उस सेंट्रल स्टोर परचेज कमेटी में कौन-कौन-लोग हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय---

उसमें जितने बिजली विभाग के चेयरमैन हैं वे सब हैं । 6-7 आदमी उस कमेटी के मेम्बर हैं । उसमें हमारे फाइनेंस के सेक्रेटरी वगैरह भी हैं ।

श्री हरीश कुमार गंगवार---

सदन की भावनाओं का ख्याल रखने में कोई बुराई मैं नहीं देखता हूं, फिर माननीय मंत्री जी उसको क्यों नहीं मान लेते ।

श्री अध्यक्ष---

अब ऐसा है कि मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो हमारी सार्वजनिक उपक्रम कमेटी है, जब वह बाद में बनेगी तो उसको हम लिख देंगे कि सदन की यह राय है इसको देख लिया जाय ।

(व्यवधान)

अब तो समय खतम हो गया ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन के बावजूद माननीय मंत्री जी उस पर इनक्वायरी कराने के लिये तैयार नहीं है । आप कृपा करके सदन की भावनाओं को माननीय मुख्य मंत्री तक पहुंचा दें ताकि वे इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दे दें ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

माननीय मुख्य मंत्री से फिर वक्तव्य दिलवा दें।

श्री राजमंगल पांडेय--

जितनी औपचारिकता है सब बरती गयी, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि उस चीज को अनुचित क्यों कहा जाता है।

(व्यवधान)

श्री गोबिन्द सिंह नेगी--

चूंकि माननीय मंत्री जी सदन की भावनाओं का आदर नहीं करते हैं इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री गोबिन्द सिंह नेगी अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत आज 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इनमें से श्री शारदा प्रसाद रावत, श्री अब्दुल रऊफ़ लारी और फिरंगी प्रसाद विशारद का मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है जो इस प्रकार है--

"ग्राम मटियारा थाना सहजनवां जिला गोरखपुर के गरीब हरिजनों को ग्राम पाली के सवर्णों द्वारा मारा पीटा जाना।"

शेष अस्वीकृत है।

(व्यवधान)

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
16 अगस्त, 1974।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 22 पर)

सूची

पद नाम	संख्या	अनुसूचित जाति की संख्या
राजपत्रित		
1—तहसीलदार	4	1
2—चकबन्दी विभाग के अधिकारी	10	—
योग .	14	1
अराजपत्रित		
1—लिपिक	181	7
2—चपरासी	392	54
3—अमीन	133	5
4—कानूनगोयान	38	—
5—लेखपाल	514	28
चकबन्दी अधिष्ठान		
6—सहायक चकबन्दी अधिकारी	20	—
7—चकबन्दी कर्ता	40	1
8—प्रधान अनुरेखक	5	—
9—अनुरेखक	10	—
अराजपत्रित कर्मचारियों का सम्पूर्ण योग ..	1,333	95

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

गोरखपुर जनपद में मार्च, 1973 से 24 जून, 1974 तक मकान बनाने हेतु जिन लोगों को पी०डी० पर साखू के पेड़ दिए गए उनके नाम व पते की सूची

नाम	पता
1—श्री चौथी प्रसाद	ग्राम—भोपा, पोस्ट—लक्ष्मीपुर, जिला गोरखपुर।
2—श्री गजेन्द्र मिश्रा	ग्राम—हरदीडाली, पोस्ट—गोपालापुर, आनंद नगर, जिला गोरखपुर।
3—श्री कुबर नाथ	ग्राम—मुडीला, पोस्ट—पुरन्दरपुर, जिला—गोरखपुर।
4—श्री अम्बिका प्रसाद	ग्राम—राजधानी, पोस्ट—राजधानी, जिला गोरखपुर।
5—श्री राहत हुसैन	ग्राम—सेमरहना, टोला—दुर्गाजोत, थाना—रेंज अधिकारी, फरेन्दा।
6—श्री अनवर अली	ग्राम—सूरपार, पोस्ट-पुरन्दरपुर, जिला-गोरखपुर।
7—श्री रामानंद	ग्राम—गांगीबाजार, पोस्ट—गांगीबाजार, जिला-गोरखपुर।
8—श्री लाल बचन	ग्राम—पनेरा, पोस्ट—महावा, गोरखपुर।
9—श्री राम वृक्ष	ग्राम—पनेरा, पोस्ट—महावा, गोरखपुर।
10—श्री कैलाश चन्द्र	ग्राम—महावा, पोस्ट—महावा, पनियर ब्लाक, गोरखपुर।
11—श्री श्याम बचन सिंह	ग्राम—राजापुर, पोस्ट—कमासिन खुर्द, जिला—गोरखपुर।
12—श्री मन नारायन सिंह हेल्थ असिस्टेन्ट	ग्राम—पनेरा, हेल्थ सेन्टर पनेरा, गोरखपुर।
13—श्री जेठू मिसिर	ग्राम—सूबा बाजार, पोस्ट—खोराबार, जिला—गोरखपुर।
14—श्री राम संवर	ग्राम—जंगल बिहुली, टोला लमुहिया, पोस्ट—पीपीगंज, गोरखपुर।
15—श्री नागेश्वर प्रसाद	ग्राम—सेखुई, पोस्ट—मदनपुर, जिला—गोरखपुर
16—श्री अद्या प्रसाद	ग्राम—आनंदनगर, पोस्ट—आनंदनगर, जिला—गोरखपुर।
17—श्री बेचन	ग्राम—मुरोला, पोस्ट—पुरन्दरपुर, गोरखपुर।
18—श्री वसीउल्लाह	ग्राम—रामपुर बुजुर्ग, पोस्ट—महराजगंज, जिला—गोरखपुर।
19—श्री मोहरम अली	ग्राम—मौजा चियुर टप्पा, कटेहरा, परगना हवेली, महराजगंज, गोरखपुर।
20—श्री फेरई	ग्राम—हाताबेला, हरैया, शेषपुर, पोस्ट—बृजमनगंज, जिला—गोरखपुर।

नाम	पता
21—श्री बदलू	ग्राम—नीरबाम, टोला—तिलकहना, तहसील फरेन्दा, गोरखपुर ।
22—श्री रमजान	ग्राम—महदेवा बुजुर्ग, पोस्ट आनंदनगर, जिला—गोरखपुर ।
23—श्री जयगोविन्द	ग्राम—बाघा, तहसील फरेन्दा, गोरखपुर ।
24—श्री राम सुभग	ग्राम—हरपुर, दारा—रेंज अधिकारी फरेन्दा ।
25—श्री सन्तराम	ग्राम सभा—लेहरा, टोला—विश्वनाथपुर, पोस्ट—लेहरा बाजार, गोरखपुर ।
26—श्री दुलारे	दारा—रेंज अधिकारी, फरेन्दा ।
27—श्री शिवपूजन पाण्डे	ग्राम—रुद्रपुर, पकड़ी रेंज, गोरखपुर ।
28—श्री बासदेव	ग्राम—मदरहवा ककटही, पोस्ट—राजधानी, गोरखपुर ।
29—श्री परमात्मा प्रसाद	ग्राम—महदेवा बुजुर्ग, आनंदनगर, गोरखपुर ।
30—श्री शम्भूशरण मिश्रा	ग्राम—ठाकुरनगर, पोस्ट—ठाकुरनगर, जिला—गोरखपुर ।
31—श्री दुधई	ग्राम—सरडीला, टोला—जनकपुर, तहसील—महराजगंज, गोरखपुर ।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर।)

वर्ष 1972-73 में उत्तर प्रदेश क्रीड़ा परिषद् के लिए आयोजनेतर तथा आयोजनागत प्राविधान के व्यय का व्योरा

मद	धनराशि
आयोजनेतर	
	रु०
1--अधिष्ठान (कार्यालय सचिव के वेतन के अतिरिक्त) ..	65,511.54
2--फील्ड स्टाफ	92,647.00
3--प्रशिक्षण केन्द्र एवं एन० आई० एस० प्रशिक्षकों पर व्यय	20,036.97
4--मण्डलीय क्रीड़ा परिषदों को अनुदान ..	88,054.34
योग ..	2,66,250.25
आयोजनागत	
1--क्षेत्रीय केन्द्र पर अतिरिक्त प्रशिक्षक ..	19,436.05
2--क्षेत्रीय क्रीड़ा परिषद्, पौरी की स्थापना ..	7,656.55
3--क्रीड़ा परिषद् के मुख्यालय के लिए अतिरिक्त पर्यवेक्षक एवं अराजपत्रित कर्मचारी वर्ग ..	7,980.40
4--प्रदेशीय क्रीड़ा संघों को अनुदान ..	61,500.00
5--क्लबों और संघों को अनुदान ..	32,386.00
6--केन्द्रीय क्रीड़ांगन अनुदान ..	1,62,700.00
7--क्षेत्रीय क्रीड़ांगनों को अनुदान ..	96,500.00
8--महिला क्रीड़ा के लिए अनुदान ..	19,400.00
9--क्रीड़ा पुस्तकों के प्रकाशन हेतु अनुदान ..	2,371.28
10--क्रीड़ा सामग्री के लिए अनुदान ..	65,997.88
11--क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु अनुदान ..	13,999.71
12--केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविरों हेतु अनुदान ..	16,201.39
13--जिला प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु अनुदान ..	13,968.29
14--ग्रामीण क्षेत्रों में क्रीड़ा केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुदान ..	40,460.00
15--जिला क्रीड़ा परिषद् को अनुदान ..	46,800.00
16--निर्माण कार्य हेतु अनुदान ..	2,47,733.00
17--क्रीड़ा छात्रावास ..	49,986.67
18--अन्तर्जिला ग्रामीण खेलकूद के आयोजन हेतु अनुदान ..	11,000.00
19--पर्वतारोहण कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता ..	15,000.00

विधान सभा

मदें	धनराशि
	रु०
20—भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों व पहलवानों के लिये अनुदान ..	2,730.00
21—खिलाड़ियों के लिये अनुदान (विदेशों में खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु) ..	2,000.00
22—विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार	..
23—एन०आई०एस० पटियाला में प्रशिक्षक प्रमाण-पत्र हेतु नियमित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता ..	1,250.00
24—उत्तर प्रदेश क्रीड़ा परिषद् का सुदृढ़ीकरण ..	23,205.82
25—अखिल भारतीय हाकी प्रतियोगिता का आयोजन ..	16,197.92
26—मंत्री जी के विवेकाधीन अनुदान ..	5,000.00
27—अखिल भारतीय हाकी टीम के प्रशिक्षण कार्य पर व्यय ..	15,739.61
योग ..	9,97,200.57

टिप्पणी:—आयोजनेतर एवं आयोजनागत पक्ष में वर्ष 1972–73 में प्राविधानित धन से क्रमशः रु० 35,400.25 तथा रु० 1,19,900.57 का अधिक व्यय उत्तर प्रदेश क्रीड़ा परिषद् द्वारा शासन की अनुमति प्राप्त करके पूर्व वर्ष में हुई बचत से किया गया।

पी० एस० यू० पी० —ए० पी० 138 वि० सभा— (1665) —1975—835.